बिहार सरकार

वार्षिक
प्रतिवेदन

2025-26

बिहार सरकार

वार्षिक प्रतिवेदन 2025-26

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन 2025-26

प्रस्तावना

21वीं सदी में पारिस्थिकीय संतुलन और पर्यावरणीय सुरक्षा दुनिया और देश के अहम् मुद्दों में शामिल हैं। शासनिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रबंधन एवं वैज्ञानिक–प्रौद्योगिकी – इन समस्त विषयों और इनसे सम्बंधित प्रक्रियाओं में पारिस्थितिकी–पर्यावरण के पहलुओं का गहरा नाता है। पारिस्थितिकीय संतुलन और पर्यावरणीय सुरक्षा – दोनों का अभिन्न सम्बन्ध प्राकृतिक जैव विविधता के संरक्षण से है, जो आज के परिवेश में अनन्य रूप से महत्वपूर्ण हो गया है।

पारिस्थितिकीय असुंतलन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और इसके कुप्रभाव तथा कई प्राकृतिक संसाधनों, तंत्रों एवं प्रक्रियाओं से जुडी समस्याओं के निदान के लिए जैव विविधता के ह्रास को रोकना तथा इनका युक्तिसंगत पुनर्स्थापन अनिवार्य एवं सर्वथा प्रभावकारी उपायों में सम्मिलित है।

जैव विविधता संरक्षण एवं प्रबन्धन के पहलू सतत् पोषणीय विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के सहभागी एवं समावेशी शासन व्यवस्था हेतु भी विशेष महत्व के हैं।

इनके सन्दर्भ में प्राकृतिक वनस्पति एवं जंतुओं की नैसर्गिक विविधता – विशेषकर देशज यानि स्थानिक प्रजातियों एवं उनके समुदायों तथा उनके पर्यावासों को बचा कर रखना एवं उनके मानवीय उपभोग की सतत पोषणीय प्रणाली सुनिश्चित करने की व्यवस्था आवश्यक है। साथ ही स्थानिक जैविक संसाधन के वाणिज्यिक उपभोग पर राष्ट्रीय तथा स्थानीय समुदाय की सम्प्रभुता के अधिकारों की मान्यता को व्यवहार में लाकर प्राकृतिक सम्पदा के प्रबंधन में समावेशी, समतामय और सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था को कारगर बनाना महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

जैव विविधता के मामले विशेष स्वरुप तथा बहु–आयामी होने के आलोक में अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन और समझौता कार्यरत हैं, एवं हमारे देश में इसके लिए विशेष कानून (जैव विविधता अधिनियम, 2002) और नीति क्रियान्वित हैं। इसी वैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत गठित बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद वर्ष 2017 से जैव विविधता के हित में लक्षित उद्देश्यों, उपायों तथा कार्यों के वास्ते सक्रिय है।

पर्षद द्वारा अपने सृजन से सात वर्षों में जैव विविधता सम्बन्धी नियामक तथा प्रोत्साहक पहलुओं पर की गयी प्रगति को वर्ष 2025–26 में सुदृढ़ एवं संवर्धित किया गया है। राज्य की जैव विविधता रणनीति और कार्य–योजना के सूत्रण हेतु विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श–प्रक्रिया भी अग्रसर हुई है।

इस वर्ष स्थानीय लोक निकाय स्तर पर गठित पंचायतों के जैव विविधता प्रबंधन समितियों के क्षमता वर्धन का कार्य बढ़ाया गया है, एवं उनके लिए स्थानीय जैव विविधता निधि का प्रावधान किया जा रहा है ताकि वे स्थानीय तौर पर व्यावहारिक रूप से सक्रिय हो सकें।

कृषि, पशुपालन तथा वानिकी प्रक्षेत्रों में जैवविविधता के विशेष पहलुओं पर अनुसन्धान कार्यो का विस्तार किया गया है। जैविक संसाधनों के पोषणीय उपभोग में आर्थिक पहलुओं में व्यापार–बाजार तथा ग्रामीण स्तर पर सामाजिक–पारिस्थिकीय की प्रक्रियाओं के बारे में विशेष शोध कार्य भी प्रारम्भ कराये जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में जैव विविधता तथा इनसे जुडी पारिस्थिकी–पर्यावरण के विषय पर विशेष अध्ययन करा कर उपयोगी परामर्श हेतु भी नयी पहल की गयी है। इन क्रिया–कलापों में विभिन्न विशेषज्ञ संस्थानों को सहभागी बनाया गया है।

इस वार्षिक प्रतिवेदन में पर्षद के विभिन्न क्रिया–कलापों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। आशा है यह प्रतिवेदन उपयोगी होगा।

राज्य एवं केंद्र शासन के विभिन्न प्राधिकारों, निकायों, सम्बंधित विभागों तथा संगठनों एवं संस्थानों से प्राप्त सहयोग और समर्थन से पर्षद का मार्ग प्रशस्त होता रहा है, जो साभार सराहनीय है।

अध्यक्ष,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद

अनुक्रमणिका

क्र० सं०	विषय	पृष्ठ सं०
1.	परिचय।	01
2.	जैव विविधता प्रबन्धन संरचना	03
3.	बिहार राज्य में स्थानीय निकायों की व्यवस्था	04
4.	जैव विविधता प्रबन्धन समिति (बी०एम०सी०) के कर्तव्य एवं अधिकार	06
5.	वर्ष 2025–26 में पर्षद् द्वारा संचालित क्रिया–कलाप :– 5.1 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 2025 का आयोजन 5.2 जैव विविधता विरासत स्थलों की पहचान एवं घोषणा कार्यक्रम 5.3 बिहार राज्य में जैव विविधता विरासत वृक्षों की पहचान एवं घोषणा कार्यक्रम 5.4 जैव विविधता प्रबन्धन समितियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 5.5 ''बिहार राज्य जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना'' का सूत्रण 5.6 शहरी जैव विविधता आकलन हेतु अध्ययन 5.7 जैव विविधता संबंधी शोध एवं अध्ययन 5.8 वन जैव विविधता के सम्बन्ध में विशेषज्ञों का अध्ययन परिभ्रमण कार्यक्रम 5.9 जैव विविधता प्रबंध समितियों के लिए ''स्थानीय जैव विविधता निधि'' का सृजन एवं बैंक खातों के संचालन की व्यवस्था 5.10 महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम तथा युवा प्रोफेशनल का अल्पकालीन नियोजन 5.11 जन जैव विविधता पंजी का संधारण / अद्यतीकरण 5.12 वन प्रमण्डल पदाधिकारियों की कार्यशाला 5.13 परामर्शी सेवा अन्तर्गत वन विभाग को उपलब्ध कराये गए प्रतिवेदन 5.14 परामर्शी सेवा अन्तर्गत अन्य विभाग को उपलब्ध कराये गए प्रतिवेदन	07
6.	जैविक संसाधनों / उत्पादों तक पहुँच तथा लाभ के साझाकरण को विनियमित करने संबंधी अनुदेश	36
7.	वित्तीय वर्ष 2025–26 में आयोजित बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् की बैठकें	38
8.	पर्षद् की कार्यकारी संरचना एवं कार्यबल	40
9.	बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् का वर्ष 2025–26 के लिए स्वीकृत बजट तथा वर्ष 2026–27 का प्रस्तावित बजट	42
10.	अन्य विभागों के कार्यक्रमों में पर्षद की सहभागिता	43
11.	पर्षद् के कार्यक्रम–समाचार पत्र की सुर्खियों में	45
12.	प्रचार प्रसार एवं प्रकाशन	49

क्र० सं०	विषय	पृष्ठ सं०
13.	परिशिष्ट :– 1. ''जैव विविधता विरासत वृक्षों की घोषणा कार्यक्रम'' का दिशा–निर्देश 2. जैव विविधता विरासत स्थलों की पहचान, घोषणा एवं संरक्षण प्रबन्धन हेतु दिशा–निर्देश 3. जैविक संसाधनों / उत्पादों के वाणिज्यिक व्यापार (संग्रहण एवं विपणन) से होने वाले फायदा के अंश को सम्बन्धित जैव विविधता प्रबन्धन समितियों से बांटने की अनिवार्यता सम्बन्धी समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना 4. LBF Account खोलने हेतु सचिव पंचायती राज विभाग द्वारा सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्गत आदेश 5. 08 शोध परियोजनाओं की समीक्षा सम्बधी विवरणी 6. पंचायतों में स्थानीय ''जैव विविधता निधि'' के बैंक खाता संबंधी समाचार पत्र द्वारा सूचना 7. प्रधान सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार द्वारा राज्य के सभी वन प्रमंडल पदाधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत चिन्हित स्थलों को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कराने हेतु निदेश	52

01 परिचय

I. वैधानिक प्रावधान एवं पर्षद का गठन

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में जैव विविधता अधिनियम, 2002 प्राख्यापित किया गया। यह कानून जैव विविधता के संदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय समझौता (International Convention on Biological Diversity, 1992- CBD) से जनित है। इसका मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है–

  1. जैव विविधता का संरक्षण।
  2. अपने जैव संसाधनों के प्रतिरक्षण के हित में देश की सम्प्रभुता अधिकार का उपयोग करना।
  3. देश के अन्दर वाणिज्यिक उपयोग को विनियमित करना ताकि स्थानीय समुदाय का अपने क्षेत्र में जैव विविधता के विशिष्ट संसाधनों (विशेषकर औषधीय एवं पोषण के वनस्पति उत्पाद) के व्यापार में मुनाफा की हिस्सेदारी मिल सके तथा उनके क्षेत्र में ऐसे जैविक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके।

- जैव विविधता के समेकित प्रबन्धन हेतु अधिनियम में त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रावधानित किया गया है :–

  (क) राष्ट्र स्तर – **राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण**

  (ख) राज्य स्तर – **राज्य जैव विविधता पर्षद्**

  (ग) स्थानीय निकाय स्तर – राज्य के सभी स्थानीय (ग्रामीण तथा नगर) निकायों में गठित **जैव विविधता प्रबन्धन समितियाँ**।

- उक्त अधिनियम की धारा–68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभागीय अधिसूचना सं०–2/ वन्यप्राणी–14/ 16–188 (ई०) प०व० दिनांक–27.03.2017 द्वारा बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 बनायी गयी।

- बिहार जैव विविधता नियमावली के नियम–3 के आलोक में विभागीय अधिसूचना– पर्या० /वन–7/2007–1045 (ई०)/प०व० दिनांक–19.12.2017 द्वारा बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् का गठन किया गया। पर्षद में अध्यक्ष के अलावे 5 सरकारी पदाधिकारी एवं 5 गैर सरकारी विषय विशेषज्ञ सदस्यों का प्रावधान है।

II. पर्षद् के मुख्य क्रिया–कलाप

पर्षद् की मुख्य भूमिका जैव विविधता का संरक्षण, उसके अवयवों का सतत पोषणीय उपयोग तथा जैविक श्रोतों और पारम्परिक ज्ञान से होने वाले लाभ/मुनाफा का उचित एवं साम्यपूर्ण प्रभाजन अर्थात् बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए निम्नांकित दो स्वरूप के कर्तव्य एवं क्रिया–कलाप से संबंधित है :–

(क) नियामक (Regulatory) कर्त्तव्य :– अधिनियम की धारा–7 के तहत् जैविक संसाधन तथा पारम्परिक ज्ञान के श्रोतों तक पहुँच एवं उपयोग को विनियमित करना।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आलोक में लाभ के उचित एवं साम्यपूर्ण प्रभाजन को विनियमित करना।

(ख) परामर्शी (Advisory) कर्त्तव्य :– राज्य सरकार को जैव विविधता संरक्षण, उसके अवयवों का पोषणीय उपयोग तथा जैविक श्रोतों और पारम्परिक ज्ञान से होने वाले लाभ/मुनाफा के उचित एवं

साम्यपूर्ण प्रभाजन से संबिधित बिन्दुओं पर परामर्शित करना। यह परामर्श केन्द्र सरकार अथवा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा जारी नियमावली/दिशा निर्देश के आलोक में होगा।

इनके अलावे अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु अन्य आवश्यक कार्य तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कार्य।

उपर्युक्त उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं कर्तव्यों के संदर्भ में पर्षद द्वारा संचालित मुख्य क्रिया–कलाप निम्नवत् हैं:–

1. पंचायती राज विभाग एवं नगर विकास विभाग की सहभागिता से ग्राम पंचायतों एवं नगर निकायों में जैव विविधता प्रबन्धन समितियों का गठन कराकर इन्हें सक्रिय करना एवं तकनीकी समर्थन प्रदान करना।
2. राज्य में जैव विविधता संरक्षण से संयोजित विभिन्न प्रक्षेत्रों – यथा कृषि एवं बागवानी, मतस्यिकी एवं पशुपालन तथा वन एवं अन्य प्राकृतिक भू–क्षेत्रों में तथा शहरी क्षेत्रों हेतु उपयुक्त/प्रासंगिक शोध, अनुसंधान तथा अन्य समर्थक क्रिया–कलापों का प्रोत्साहन एवं समर्थन इत्यादि।
3. राज्य के लिए **जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना** का संबंधित विभागों एवं सगठनों तथा अन्य पक्षकारों के परामर्श से सूत्रण करना।

02 जैव विविधता प्रबन्धन संरचना

राष्ट्र एवं राज्यों में जैव विविधता के संरक्षण, उसके अवयवों के पोषणीय उपयोग से प्राप्त वित्तीय फायदों के उचित एवं साम्यापूर्ण बँटवारा के लिये जहाँ केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जैव विविधता नियमावली अधिनियम तथा नियम अधिसूचित किया गया है, वहीं इसके प्रबन्धन हेतु **त्रिस्तरीय व्यवस्था** निर्धारित की गयी है–

1. **राष्ट्र स्तर –** **राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण** जिसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है।
2. **राज्य स्तर –** **बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्** जिसका मुख्यालय पटना है।
3. **स्थानीय निकाय स्तर –**

   ग्रामीण निकाय – पंचायत, प्रखण्ड तथा जिला परिषद स्तर पर गठित **जैव विविधता प्रबन्धन समितियाँ**।

   नगर निकाय – नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम स्तर पर गठित **जैव विविधता प्रबन्धन समितियाँ**।

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ''जैव विविधता अधिनियम, 2002'' की धारा–22 (1) तथा बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित ''बिहार जैव विविधता नियमावली 2017'' के नियम 3 के तहत **''बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्''** का गठन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1045 (ई), पटना दिनांक 19.12.2017 द्वारा किया गया है। पर्षद् का मुख्यालय 'पटना' है

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद एक वैधानिक एवं स्वायत्त निकाय है जिसकी भूमिका हितधारकों को अपेक्षित सहयोग, विनियामक तथा सलाहकार का है।

2. राज्य जैव विविधता पर्षद् की संरचना :–

(क) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष।

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सात से अनाधिक पदेन सदस्य (2023 संशोधन) निम्नलिखित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव

1. कृषि विभाग, बिहार
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार
3. डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार
4. जल संसाधन विभाग, बिहार
5. पंचायती राज विभाग, बिहार
6. अनुसुचित जन जाति कल्याण विभाग, बिहार
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), बिहार, पटना।

(ग) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जैव विविधता के विशेषज्ञों में से पांच से अनाधिक सदस्य।

03 बिहार राज्य में स्थानीय निकायों की व्यवस्था

1. स्थानीय निकाय का तात्पर्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (ख) (1) में ग्रामीण क्षेत्रों हेतु तीन स्तरीय पंचायती व्यवस्था (ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति तथा जिला परिषद) तथा अनुच्छेद 243 (थ) (1) में शहरी क्षेत्रों हेतु नगर पालिकाओं (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद् तथा नगर निगम) से है।

2. बिहार राज्य में वर्तमान में स्थानीय निकायों की संख्या निम्नवत् है:–

पंचायती राज निकाय		**शहरी निकाय**	
ग्राम पंचायत–	8053	नगर पंचायत–	154
पंचायत समिति–	533	नगर परिषद–	88
जिला परिषद–	38	नगर निगम–	19
कुल–	**8624**	**कुल–**	**261**

स्थानीय निकायों की कुल संख्या :– 8885

3. जैव विविधता प्रबन्धन में स्थानीय निकायों का सामाजिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक विकास में प्रमुख भूमिका है। योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी सहभागिता स्थानीय समुदाय को निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

4. ग्रामीण क्षेत्रों में जैव विविधता प्रबन्धन समितियों के गठन का दायित्व पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार का है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह कार्य नगर विकास विभाग, बिहार सरकार के तत्वाधान में किया जाना है।

जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (Biodiversity Management Committees- MCs)

अधिनियम की धारा 41 के अनुसार, प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र के लिए जैव विविधता प्रबंधन समिति (Biodiversity Management Committee- BMC) का गठन करेगा, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण, संवहनीय उपयोग एवं अभिलेखन को बढ़ावा देना है।

जैव विविधता अधिनियम को जमीनी स्तर पर कार्यान्वित करने हेतु बी०एम०सी० का गठन एक महत्वपूर्ण बुनियादी व्यवस्था हैं तथा इसकी वैधानिक स्थिति स्वायत्तशासी निकाय के रूप में है।

जैव विविधता प्रबंधन समिति की संरचना

1. बी.एम.सी. के गठन हेतु सर्वप्रथम सम्बन्धित स्थानीय निकाय के अध्यक्ष द्वारा स्थानीय निकाय की एक आम बैठक बुलायी जाएगी।

2. बैठक में आम सहमति से अधिकतम 06 व्यक्तियों को समिति का सदस्य चयनित किया जाएगा, जिनका नाम सम्बंधित स्थानीय निकाय की मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) में अवश्य होने चाहिए। समिति की संरचना निम्नवत् होगी:–

1	अध्यक्ष (किसी भी वर्ग का) – 1
2	महिला सदस्य (किसी भी वर्ग का) – 2

3	अनु० जा०/ अनु० जन जा० सदस्य – 1
4	सदस्य (किसी भी वर्ग का) – 2

3. विभिन्न स्तरों पर गठित जैव विविधता प्रबन्धन समितियों के सदस्य सचिव स्थानीय निकायों के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे–

ग्राम पंचायत	–	पंचायत सचिव
पंचायत समिति	–	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
जिला परिषद	–	जिला परिषद् के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
नगर निकाय	–	संबंधित नगर निकाय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

4. इस प्रकार प्रत्येक बी०एम०सी० में सचिव सहित कुल 07 सदस्य होंगे।
5. जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को समिति के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। उस बैठक की अध्यक्षता स्थानीय निकाय का अध्यक्ष करेंगें। स्थानीय निकाय के अध्यक्ष के पास समान मत होने की स्थिति में निर्णायक मत का अधिकार होगा। जैव विविधता प्रबन्धन समिति के सचिव को मत देने का अधिकार नहीं होगा।

बी०एम०सी० का कार्यकाल

1. बी०एम०सी० का कार्यकाल 05 वर्ष/यानी स्थानीय निकाय के कार्यकाल के समरूप होगा। नई समिति के गठन होने तक पूर्व गठित समिति यथावत कार्य करती रहेगी।
2. स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में जैव विविधता प्रबन्धन समितियों का कार्यकाल स्थानीय निकायों के कार्यो के निष्पादन हेतु सरकार द्वारा गठित ''परामर्शी समिति'' के कार्यकाल तक विस्तारित होगा।
3. बी०एम०सी० के अध्यक्ष का कार्यकाल समिति के कार्यकाल के समरूप होगा

04 जैव विविधता प्रबन्धन समिति (बी.एम.सी.) के कर्तव्य एवं अधिकार

जन जैव विविधता पंजी (पी०बी०आर०) (People's Biodiversity Register/ PBR) तैयार करना।

1. जन जैव विविधता पंजी का नियमित संधारण एवं सत्यापन करना।
2. जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग से उत्पन्न लाभ का प्रबन्धन ।
3. जन जैव विविधता पंजी में अभिलिखित पारम्परिक ज्ञान का संरक्षण ।
4. स्थानीय जैव विविधता की पूर्व अवस्था बहाल करने की कोशिश करना।
5. बौद्धिक सम्पदा अधिकार, पारम्परिक ज्ञान तथा जैव विविधता से सम्बन्धित स्थानीय मुद्दों पर प्रतिक्रिया अथवा सूचना राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण/राज्य जैव विविधता पर्षद को उपलब्ध कराना।
6. आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वनस्पतियों/जीव–जन्तुओं के पारम्पारिक/देसज किस्मों/नस्लों का संरक्षण।
7. वाणिज्यिक एवं अनुसंधान प्रयोजनों के लिए जैविक संसाधनों तथा/अथवा सम्बद्ध पारम्पारिक ज्ञान तक पहुंच बढ़ाना।
8. विरासत स्थलों सहित विरासतीय वृक्षों, पशुओं, पवित्र वनों एवं पवित्र जल निकायों का प्रबन्धन।
9. जैव विविधता, संरक्षण हेतु सामाजिक शिक्षा एवं जागरूकता को बढ़ावा देना।
10. जैविक श्रोतों का उपयोग करने वाले स्थानीय वैद्यों तथा चिकित्सकों से संबंधित आँकड़ा संधारित करना।

जैव विविधता प्रबन्धन समिति के अधिकार

1. जैव विविधता अधिनियम की धारा 41 (3) के अनुसार बी०एम०सी० अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत वाणिज्यिक उपयोग हेतु जैव संसाधन एकत्रित करने वाले व्यक्ति/संस्था से संग्रहण शुल्क प्राप्त कर सकती है।
2. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एवं राज्य जैव विविधता पर्षद स्थानीय निकाय के क्षेत्रीय अधिकारिता में उपलब्ध जैव संसाधनों तक पहुँच एवं उसके सहबद्ध ज्ञान के उपयोग के सम्बंध में निर्णय लेने से पूर्व बी०एम०सी० से परामर्श करेंगे।
3. स्थानीय जैव विविधता निधि का प्रबन्धन।

05 वर्ष 2025-26 में पर्षद् द्वारा संचालित क्रिया-कलाप

5.1 अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 2025 का आयोजन

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता का महत्व एवं उसके संरक्षण की अनिवार्यता के बारे में जन जागृति हेतु बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, 2025 के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ० सुनील कुमार, माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमति हरजोत कौर बम्हरा, भा०प्र०से०, अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार द्वारा व्याख्यान के साथ प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किया गया।

मुख्य कार्यक्रम से पूर्व निम्न–क्रियाकलापों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया:–

(i) परामर्शी कार्यशालाओं का आयोजन–

दिनांक	स्थान	विषय
16 / 20 मई, 2025	बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना।	पशुपालन एवं मत्स्यपालन प्रक्षेत्र मे जैव विविधता हेतु रणनीति एवं कार्य योजना।
19 मई, 2025	जू एजुकेशन हॉल, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।	प्राकृतिक क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्र में जैव विविधता हेतु रणनीति एवं कार्य योजना।
21 मई, 2025	पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र–भा०कृ०अ०प०, पटना।	कृषि एवं बागवानी प्रक्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण हेतु रणनीति एवं कार्य योजना।

(ii) चित्रकारी एवं फोटोग्राफी प्रतियोगिता–

अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 2025 के अवसर पर 19 मई, 2025 को संजय गाँधी जैविक उद्यान में राज्य स्तरीय चित्रांकन एवं फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा–01 से 12 तक के 24 सरकारी एवं गैर–सरकारी विद्यालयों के 1165 विद्यार्थियों ने भाग लिया तथा वर्गवार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया।

चित्रकारी प्रतियोगिता (Drawing/Painting Competition) का विषय–

कक्षा	प्रतियोगिता का विषय
1–4	चिड़ियाँ मेरे आस–पास (Birds all around me)
5–8	जल में जीवन (Life in water)
9–12	जैव विविधता : शहरी क्षेत्र में जरूरी (Biodiversity a necessity in urban areas)

फोटोग्राफी प्रतियोगिता (Photography Competition) का विषय–

(कक्षा 1 से 12 तक के लिए)			फोटो प्रतियोगिता के लिए संजय गाँधी जैविक उद्यान (Patna Zoo) के अंदर में ही जन्तु/पौधे/पक्षी/कीट में से किसी एक का फोटो।
(i)	Group-A	1-4 Classes	
(ii)	Group-B	5-8 Classes	
(iii)	Group-C	9-12 Classes	

(iii) जिलों में समारोह का आयोजन–

जैव विविधता के संरक्षण तथा प्रचार–प्रसार हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारियों के माध्यम से भी राज्य के सभी जिलों में अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 2025 के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कराया गया।

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर चित्रकारी प्रतियोगिता

माननीय मंत्री द्वारा सफल प्रतिभागी को पुरस्कार वितरण

विजेता प्रतिभागियों के साथ विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य अतिथि

समस्तीपुर जिला में कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक द्वारा जैव परिभ्रमण के क्रम में जैव विविधता की दी जा रही जानकारी

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर पुस्तक का विमोचन

जैव विविधता पहचान प्रतियोगिता

समस्तीपुर जिला में छात्र-छात्राओं को आर्द्रभूमि जैव विविधता के जानकारी हेतु परिभ्रमण

चित्रकारी प्रतियोगिता

प्रथम पुरस्कार हेतु चयनित चित्रकारी

GROUP-A (CLASS 1-4)

GROUP-A (CLASS 1-4)

GROUP-A (CLASS 1-4)

फोटाग्राफी प्रतियोगिता

प्रथम पुरस्कार हेतु चयनित फोटाग्राफी

GROUP-A (CLASS 1-4)

GROUP-B (CLASS 5-8)

GROUP-C (CLASS 9-12)

5.2 जैव विविधता विरासत स्थलों की पहचान एवं घोषणा

जैव विविधता अधिनियम, 2002 (यथा–संशोधित, 2023) के उद्देश्य/लक्ष्यों के अनुसरण में इसके अध्याय–7 की धारा–37(1) में ''जैव विविधता विरासत स्थलों'' के संबंध में प्रावधान किये गये हैं।

बिहार राज्य में उपलब्ध परिवेश एवं विशिष्टयों को दृष्टिपथ में रखते हुए विभिन्न स्वरूप के क्षेत्रों एवं इलाकों में जैव विविधता संरक्षण की प्रासंगिता के अनुरूप ''जैव विविधता विरासत स्थलों'' की पहचान एवं उक्त अधिनियम के अन्तर्गत घोषणा की कार्रवाई प्रारंभ की गयी है।

- जैव विविधता विरासत स्थल की पहचना, घोषणा एवं संरक्षण प्रबंधन हेतु एक विस्तृत दिशा–निर्देश तैयार कर पर्षद् के कार्यालय पत्रांक–बी॰–230, दिनांक–19.04.2024 द्वारा सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, पशु एवं मत्स्य पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद् एवं नगर आयुक्त को प्रेषित किया गया है। (परिशिष्ट–2)
- जैव विविधता विरासत स्थल की घोषणा अंतर्गत सभी जिलों में उपयुक्त स्थल को चिन्हित कर प्रस्ताव की मांग संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी से की गयी है।
- अद्यतन सारण, नालन्दा, औरंगाबाद तथा मोतिहारी वन प्रमण्डलों में चयनित स्थल संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में स्थिति निम्नवत है :–

जिला	स्थल	क्षेत्रफल	स्थिति
सारण	चिरांद (पंचायत– चिरांद प्रखण्ड– छपरा सदर)। गंगा नदी के अंश तथा सोन नदी का मिलन स्थल एवं समीपस्थ नदी तट	2592.00 हे० नदी क्षेत्र की असर्वेक्षित भूमि 0.89 हे० गैरमजरूआ मालिक बिहार सरकार **कुल– 2592.89 हे०**	विरासत स्थल घोषित करने संबंधी सूचना का समाचार पत्रों में प्रख्यापन के पश्चात् अधिसूचना प्रारूप सरकार को समर्पित।
औरंगाबाद	देव अंचल, पवई पंचायत के टिटाई बिगहा ग्राम में अवस्थित तीन पहाड़ी श्रृखंलाएँ।	मध्यवर्ती तथा दक्षिणवर्ती पहाड़ी क्षेत्र– 16 हे० अधिसूचित वन भूमि के साथ उत्तरवर्ती गैर मजरूआ पहाड़ी क्षेत्र–04 हे. **कुल–20 हे॰**	विरासत स्थल घोषित करने संबंधी सूचना का समाचार पत्रों में प्रख्यापन हो चुका है। अधिसूचना प्रारूप सरकार को शीघ्र प्रेषित किया जायगा।
नालन्दा	हिरण्यक पहाड़ (बड़ी पहाड़ी), प्रखण्ड– बिहारशरीफ, बिहारशरीफ नगर।	पहाड़ी के कुल– 48 हे० क्षेत्र में से **6.63 हे०** अंश क्षेत्र।	प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा में इस स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने हेतु उपयुक्त पाया गया। स्थानीय जैव विविधता प्रबन्ध समिति की अनुशंसा प्रतीक्षित।
पू० चम्पारण	भीमलपुर जंगल (पूर्वी चम्पारण, अंचल महेसी)।	वृक्षाच्छादिन क्षेत्र– 10 हे०, नदी धारा अंश– 18 हे०, जलीय एवं आद्रभूमि क्षेत्र– 10 हे०, बलुआही एवं घास मैदान– 102 हे० **कुल– 140 हे०**	चिन्हित स्थल के एक भाग को विरासत स्थल घोषित करने तथा दूसरे भाग पर जैव विविधता उद्यान की स्थापना करने सम्बन्धी अनुशंसा सरकार को प्रेषित।

अन्य चयनित स्थलों की सूची जिनसे संबंधित प्रस्ताव सूत्रण के प्रक्रियाधीन है :–

जिला	स्थल
जहानाबाद	बराबर पहाड़ी का अंश भाग (पुरातत्विक गुफा स्थल के क्षेत्र को छोड़कर)।
गया	राम शिला पहाड़ी
बाँका	मंदार पहाड़ी एवं ककवारा पहाड़ी के वन क्षेत्र का अंश
मुंगेर	पीर पाहाड़ी और शंकरपुर पहाड़ी

Decimal
DMS
Latitude
25.727293
25°43'38" N
Longitude
84.836904
84°50'12" E

चिरांद (सारण)

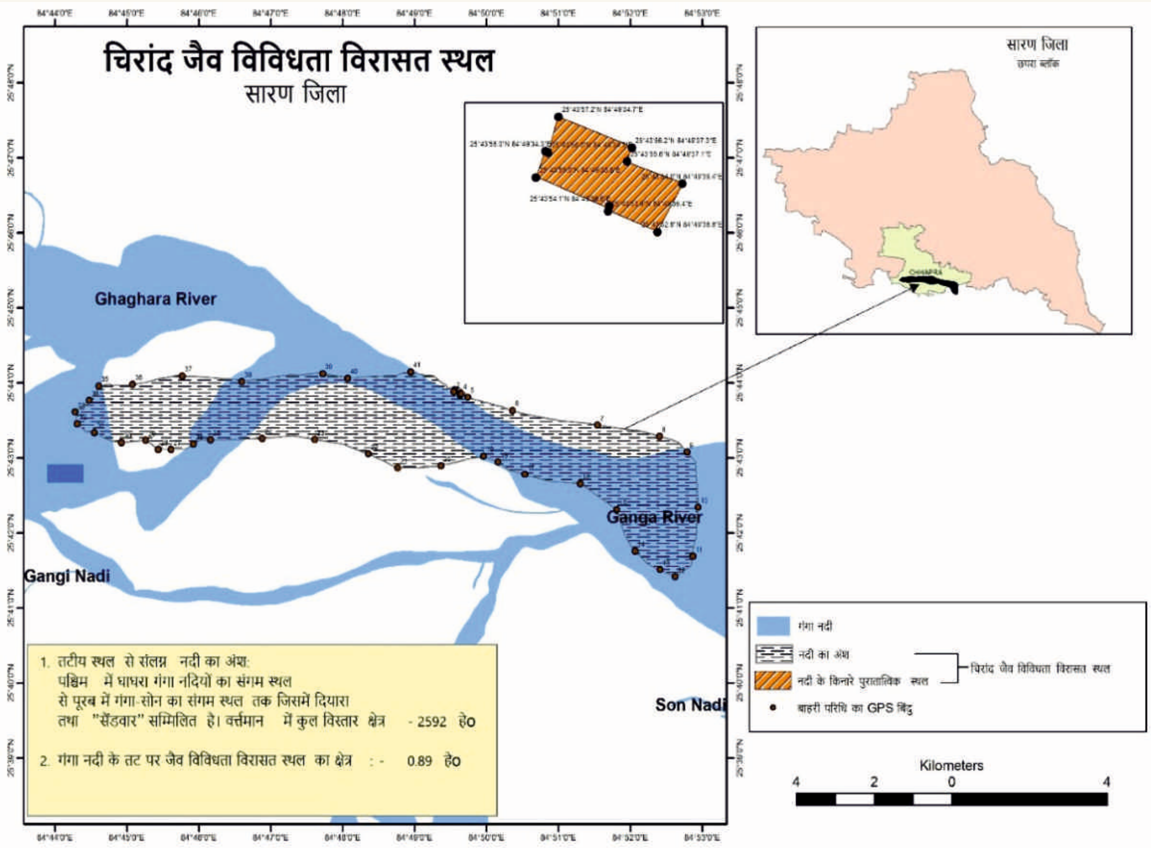

चिरांद जैव विविधता विरासत स्थल
सारण जिला
Ghaghara River
Ganga River
Gangi Nadi
Son Nadi
1. तटीय स्थल से संलग्न नदी का अंश:
पश्चिम में घाघरा गंगा नदियों का संगम स्थल
से पूरब में गंगा-सोन का संगम स्थल तक जिसमें दियारा
तथा "सैंडवार" सम्मिलित है। वर्त्तमान में कुल विस्तार क्षेत्र - 2592 हे०
2. गंगा नदी के तट पर जैव विविधता विरासत स्थल का क्षेत्र :- 0.89 हे०
सारण जिला
छपरा ब्लॉक
CHHAPRA
गंगा नदी
नदी का अंश
नदी के किनारे पुरातात्विक स्थल
चिरांद जैव विविधता विरासत स्थल
बाहरी परिधि का GPS बिंदु
Kilometers
4
2
0
4

चिरांद में स्थानीय जैव विविधता समिति के सदस्यों के साथ पर्षद् के अध्यक्ष एवं संयुक्त निदेशक की बैठक

पवई पहाड़ी श्रृखंला, देव (औरंगाबाद)

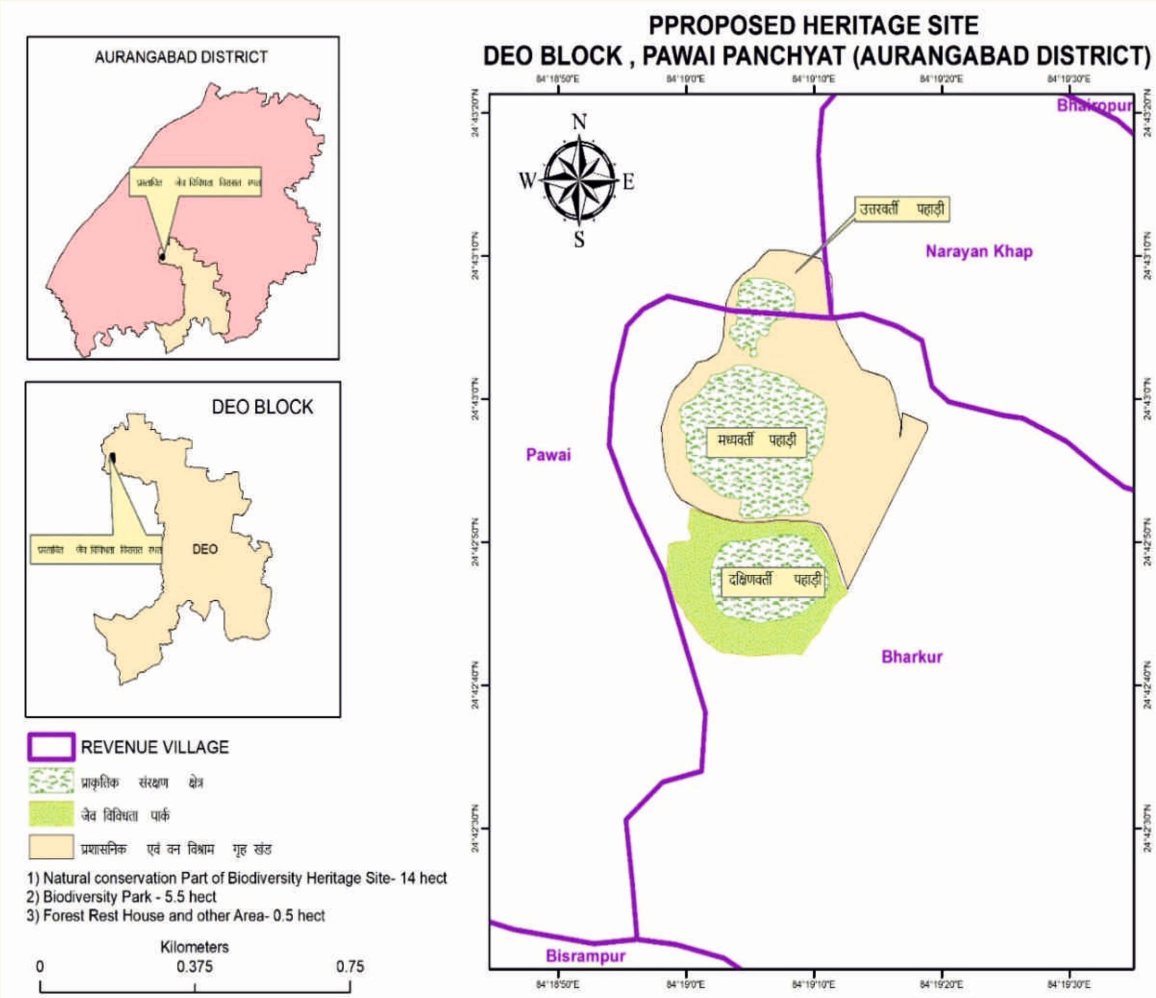

5.3 जैव विविधता विरासत वृक्षों की पहचान एवं घोषणा

वृक्षों की विशिष्टता एवं इनके लाभकारी स्वभाव की विविधता इन्हें बहुगुणी एवं बहु–उपयोगी बनाता है। अपने आसपास एक सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र निर्माण की शक्ति संजोने के कारण ये वृक्ष अमूल्य प्राकृतिक निधि होते हैं।

अतएव जैव विविधता के संरक्षण हेतु तथा इनसे जुड़े भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के संदर्भ में लम्बी आयु एवं अन्य विशिष्ट गुणों से युक्त वृक्षों की पहचान कर उनके संरक्षण हेतु विशेष उपाय करना वर्तमान पारिस्थितिकीय समझदारी के अनुसार एकाधिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अनिवार्य आवश्यकता है। इस क्रम मे अबतक की प्रगति निम्नवत् है :–

- राज्य में जैव विविधता विरासत वृक्षों के चिन्हिकरण, घोषण एवं संरक्षण संबंधी दिशा–निर्देश विभागीय अनुमोदन के पश्चात पर्षद् द्वारा पत्रांक बी०–188, दिनांक– 28.02.02025 के माध्यम से निर्गत किया गया है। (परिशिष्ट–1)
- प्रथम चरण में राज्य के पाँच जिलों– भागलपुर, बक्सर, जमुई, मुंगेर तथा औरंगाबाद जिलों में अवस्थित निम्न 32 वृक्षों को जैव विविधता विरासत वृक्ष घोषित करने हेतु अन्तिम रूप से चयनित किया गया है :–

क्र० सं०	जिला का नाम	सरकारी भूमि पर अवस्थित वृक्षों की संख्या	निजी भूमि पर अवस्थित वृक्षों की संख्या	सार्वजनिक भूमि पर अवस्थित वृक्षों की संख्या	कुल वृक्षों की संख्या
1.	भागलपुर	02	00	01	03
2.	बक्सर	07	05	00	12
3.	जमुई	05	03	02	10
4.	मुंगेर	03	01	01	05
5.	औरंगाबाद	00	00	02	02
	कुल–	**17**	**09**	**06**	**32**

ये 32 चयनित वृक्ष 10 प्रजातियों यथा– **पीपल, बरगद, पाकड़, गुलर, नीम, सेमल, महुआ, कनकचम्पा, इमली एवं खिरनी** के हैं।

चयनित वृक्ष प्रजातियों की महत्ता एवं वृक्षों की विशिष्टता के संबंध में आलेख तैयार कर लिया गया है। पुस्तिका/पंजी के स्वरूप (Design) तथा प्रिटिंग कार्य अन्तिम चरण में है।

- राज्य के ''जैव विविधता विरासत वृक्ष'' की घोषणा के साथ पुस्तिका का मुद्रण एवं प्रकाशन शीघ्र कराया जाएगा।

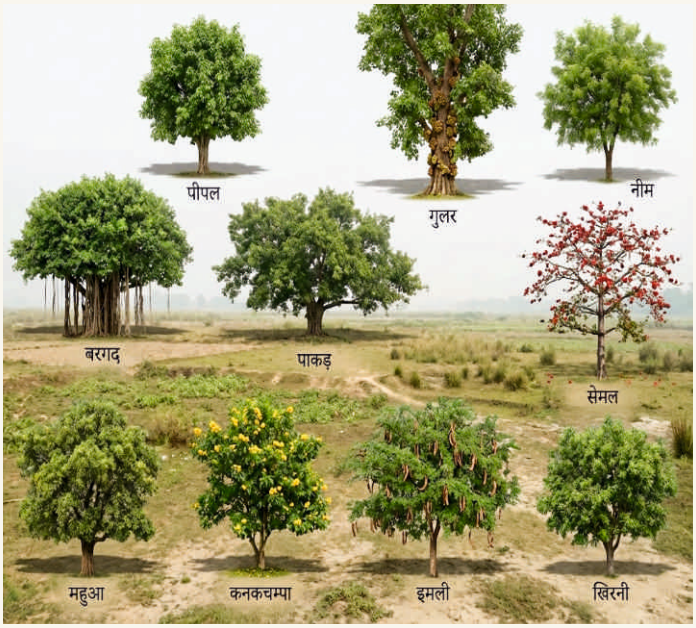

जिला– भागलपुर	प्रखण्ड– जगदीशपुर	पंचायत– जगदीशपुर	प्रजाति– बरगद

जिला– जमुई	प्रखण्ड– लक्ष्मीपुर	पंचायत– दीघी	प्रजाति– पीपल

जिला– मुंगेर	प्रखण्ड– धरहरा	पंचायत– महगामा	प्रजाति– इमली

जिला– मुंगेर	प्रखण्ड– धरहरा	पंचायत– महगामा	प्रजाति– खिरनी

5.4 जैव विविधता प्रबन्धन समितियों का प्रशिक्षण

जैव विविधता प्रबन्धन समितियों को क्रियाशील करने हेतु विगत वर्ष से राज्य के सभी जिलों एवं अनुमण्डल मुख्यालयों में एक दिवसीय कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही है। अद्यतन स्थिति निम्नवत् है –

क्र० सं०	प्रस्तावित कुल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	2024–25 में आयोजित कार्यक्रम	2025–26 में आयोजित कार्यक्रम	कुल आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	लंबित कार्यक्रमों की संख्या
1.	92	29	08	37	55

2025–26 में 31 जनवरी, 2026 तक प्रशिक्षण कार्यशालाएँ निम्नवत् आयोजित की गई है:–

1.	16.05.2025	पीरों अनुमण्डल मुख्यालय
2.	01.07.2025	नरकटियागंज अनुमण्डल मुख्यालय (प० चम्पारण)
3.	02.07.2025	बगहा अनुमण्डल मुख्यालय (प० चम्पारण)
4.	05.07.2025	शेखपुरा जिला मुख्यालय
5.	01.09.2025	सहरसा जिला मुख्यालय
6.	02.09.2025	मधेपुरा जिला मुख्यालय
7.	19.12.2025	सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा
8.	20.12.2025	उदा किशनगंज, मधेपुरा

अद्यतन नालन्दा, नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल, जमुई, बाँका, भागलपुर, शेखपुरा, सहरसा, मधेपुरा, बेगुसराय, अररिया, किशनगंज, सितामढ़ी, शिवहर, पूर्वी–चम्पारण, प० चम्पारण तथा वैशाली जिलों में कुल 37 कार्यशालायें आयोजित की जा चुकी हैं। शेष जिलों एवं अनुमण्डलों में भी कार्यशालायें यथाशीघ्र आयोजित कराने का अनुरोध संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारियों से किया गया है।

किशनगंज जिला में बी०एम०सी० प्रशिक्षण

नरकटियागंज (प. चम्पारण) में बी०एम०सी० प्रशिक्षण

मधेपुरा जिला में बी०एम०सी० प्रशिक्षण

अररिया जिला में बी०एम०सी० प्रशिक्षण

सिमरी, बख्तियारपुर जिला
में बी०एम०सी० प्रशिक्षण

5.5 बिहार राज्य जैव विविधता रणनीति एवं कार्य–योजना (Bihar State Biodiversity Strategy and Action Plan) का फ्रेमवर्क दस्तावेज तैयार करना।

विश्व/राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर जैव विविधता तथा उसके संरक्षण की महत्ता और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिये अगले 10 से 15 वर्षों में किये जाने वाले प्रयास संबंधी कार्य–योजना का फ्रेमवर्क दस्तावेज तैयार करना पर्षद् का महत्वूपर्ण दायित्व है। परामर्श दल की दिनांक–23.07.2024 को हुई प्रथम बैठक के उपरांत दिनांक–10.02.2025 को संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना के जू एजूकेशन हॉल में सभी महत्वपूर्ण संकाय – कृषि, बागवानी, पशु संसाधन, मत्स्यिकी, वन एवं पर्यावरण, जल संसाधन, नदी एवं आर्द्रभूमि के विशेषज्ञ एवं निदेशालय के पदाधिकारियों के साथ विमर्श कर सूचनाओं के संग्रहण हेतु एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में संकायवार अलग–अलग विमर्श बैठकें की जाय, जिससे उस विषय से संबद्ध सूचनाओं को अन्तिम रूप से सूचीबद्ध किया जा सके।

वर्ष 2025 में आयोजित बैठकों का विवरण निम्नवत है :–

Abstract of Sector-wise meetings			
SL.No	**Date**	**Place**	**Programme/Sectors Discussed**
1.	29.04.2025	BSBB Office, Patna	**Urban Biodiversity Conservation vis-a-vis Housing & Industrialization**
2.	16.05.2025	Bihar Animal Science University, Patna	**Main - Domain - Agro Bidodiversity Sub - Domain - 1. Live Stock Resources 2. Fishries**
3.	21.05.2025	ICAR-Research Complex for Easter Region, Patna	**Main - Domain - Agro Bidodiversity Sub - Domain - 1. Agriculture 2. Horticulture**
4.	27.06.2025	NIT, Patna	**River & Wetland Ecosystem and Landscapes**

पर्षद कार्यालय में परामर्शी बैठक

1. शहरी क्षेत्रों के पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय हितों में जैव विविधता संरक्षण की महती भूमिका है। बिहार राज्य में शहरों का विकास, विस्तार एवं उनमें अवसंरचनाओं का संवर्धन तथा औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार तेज गति से हो रहा है, और आगामी दशकों में यह जारी रहेगा। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार में शहरीकरण की प्रक्रियाएं सन्निहित होती हैं। इस संदर्भ में ऐसे क्षेत्रों तथा उनके विस्तार–विकास की प्रक्रियाओं में जैव विविधता के संरक्षण–संवर्धन का समावेश तथा उनके अनुश्रवण हेतु आवश्यक है।

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में परामर्शी बैठक

2. पशु संसाधन एवं मत्स्यिकी उप क्षेत्र के संदर्भ में विशेषज्ञ द्वारा देशज प्रजातियों के संरक्षण, प्रजनन एवं मूल्य संवर्धन संबंधित सुझाव दिये गए। पूर्व से भी पशुपालन एवं मत्स्यकी ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन एवं अन्य की जीविका का प्रमुख श्रोत रहा है। कृषि एवं पशु संसाधन एक दूसरे के पूरक रहे हैं, इन दोनो का संरक्षण एवं विकास क्षेत्र की जैव विविधता के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में परामर्शी बैठक

आई.सी.ए.आर. सभागर में परामर्शी बैठक

3. कृषि क्षेत्र में फसल विविधीकरण के साथ–साथ देसी फसलों के संरक्षण पर जोर दिया गया। बैठक में भाग ले रहे वैज्ञानिकों को संबोधति करते हुए श्री संजय कुमार अग्रवाल, सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा बिहार में स्थायी कृषि का लक्ष्य हासिल करने के लिये शोधकर्त्ताओं से किसानों की जरूरतों के हिसाब से बीजों के अच्छी किस्मों का विकास पर ध्यान देने का अनुरोध किया गया।

एन.आई.टी., पटना में परामर्शी बैठक

4. एन.आई.टी., पटना में आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए श्रीमती हरजौत कौर बम्हरा (भा.प्र.से.), अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार द्वारा राज्य में जैव विविधता की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसके संरक्षण हेतु ठोस एवं वैज्ञानिक उपायों की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। जहां एक ओर देसी नस्लों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, वहीं स्थानीय पारिस्थितकी को सुदृढ़ करने पर भी बल दिया गया।

इन बैठकों में विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों को फ्रेमवर्क दस्तावेज में सम्मिलित किया जाएगा।

5.6 शहरी जैव विविधता आकलन हेतु अध्ययन एवं सर्वेक्षण

राज्य में आधारभूत संरचना के विकास तथा शहरीकरण की गति में उतरोत्तर प्रगति जारी है। इस क्रम में शहरी जैव विविधता की वर्तमान स्थिति का आकलन जैव विविधता के संरक्षण की दिशा तय करने में सहायक होगा।

2. शहरी जैव विविधता का अध्ययन तथा City Biodiversity Index सम्बन्धी कार्य इच्छुक संस्थानों को Knowledge Partner बनाकर सहभागिता के साथ कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु राष्ट्रीय स्तर पर अभिरूचि (EoI) का आमंत्रण समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुए मूल्यांकण आधारित चयन प्रक्रिया के आधार पर निम्न 11 संस्थानों को Knowledge Partners के रूप में सूचीबद्ध किया गया है :–

क्र०सं०	चयनित संस्थान
1.	Central University of South Bihar, 1. Deptt. of Life Science, Gaya 2. Deptt. of Environment Science, Gaya
2.	School of Environment and Sustainability (SES), Indian Institute of Human Settlement, Bangalore
3.	CSIR - National Environmental Engineering Research Institute -1. Kolkata
4.	College of Commerce, Arts and Science, Pataliputra University Patna
5.	Indian Institute of Technology (ISM), Dhanbad
6.	Birla Institute of Technology, Mesra (Patna)
7.	National Institute of Technology (NIT), Patna
8.	A.N. College, Patna, Deptt. of Geography
9.	Chandragupt Institute of Management, Patna
10.	Indian institute of Management, Bodh Gaya
11.	Patna University

3. चयनित Knowledge Partners के साथ दिनांक 07.11.2025, 25.11.2025, 05.12.2025, तथा 22.12.2025 को बैठक आयोजित कर अध्ययन के मुख्य विषय क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र का निर्धारण निम्नवत् किया गया है :–

<table>
<tr><th colspan="5">Assignment of Cities to Empanelled Knowledge Partner Institutions</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Sr. No.</th><th>Cities</th><th colspan="3">Groups or Consortia of Lead Knowledge Partners</th></tr>
<tr><th></th><th>Native Biodiversity</th><th>Ecosystem Services Provided by Biodiversity</th><th>Governance & Management of Biodiversity</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>*Patna Urban Agglomerate (Inclusive of Bihta, Fatuha, Naubatpur, Sampatchak, Punpun)</td><td colspan="2" rowspan="2">1. Dept. of Botany and Zoology, Commerce College; Arts & Sciences
2. National Institute of Technology, Patna
3. Patna University</td><td rowspan="2">Chandragupta Institute of Management - Patna</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Chhapra</td></tr>
</table>

3.	Arrah	1. Deptt. of Botany and Zoology, Commerce College; 2. BIT Mesra-Patna	BIT Mesra - Patna
4.	*Gaya	1. Department of Life Sciences, CUSB, Gaya 2. IIT(ISM) Dhanbad	IIM-Bodhgaya
5.	Biharsharif – Rajgir – Pawapuri	1. Department of Life Sciences, CUSB, Gaya; 2. BIT Mesra-Patna	
6.	Munger - Begusarai	1. School of Environmental & Ecological Sciences, IIHS, Bangalore	Chandragupta Institute of Management - Patna
7.	*Bhagalpur		
8.	*Purnia - Katihar	1. CSIR-NEERI, Kolkata and Nagpur 2. Department of Life Sciences, CUSB, Gaya / School of Environmental & Ecological Sciences, IIHS, Bangalore	BIT Mesra – Patna
9.	*Muzaffarpur	1. CSIR-NEERI, Kolkata and Nagpur 2. Department of Life Sciences, CUSB, Gaya	Deptt. Of Geography, A.N. College
10.	Motihari		
11.	Darbhanga	1. Department of Life Sciences, CUSB, Gaya; 2. National Institute of Technology, Patna	
12.	Saharsa	School of Environmental & Ecological Sciences, IIHS, Bangalore	

4. प्रथम चरण में छः शहरी क्षेत्र यथा पटना शहरी समूह, गया– बोध गया, भागलपुर, बिहार शरीफ– राजगीर, मुजफ्फपुर तथा आरा–बक्सर में अध्ययन कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस पर्षद् तथा चयनित संस्थानों (Knowledge Partners) के साथ सहभागिता से कार्य करने हेतु तकनीकी और परिचालन के तौर–तरीके निर्धारित कर सहमति ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित कर अध्ययन कार्य प्रारम्भ कराये गये हैं। एक वर्ष की अवधि में इस कार्य की पूर्ण किया जाना है।

पर्षद कार्यालय में आयोजित KnP संस्थान के साथ बैठक

BIT Patna Campus में आयोजित KnP संस्थान के साथ बैठक

MoU with College of Commerce, Arts & Science

चन्द्रगुप्त प्रबन्धन संस्थान, पटना में आयोजित KnP संस्थान के साथ बैठक

College of Commerce, Arts & Science में आयोजित KnP संस्थान के साथ बैठक

MoU with A.N. College, Patna

5.7 जैव विविधता संबंधी शोध/अध्ययन

(i) जैविक संसाधनों की उपलब्धता, व्यापार एवं लाभ में साझाकरण संबंधी शोध एवं अध्ययन हेतु प्राप्त पाँच प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई है जिसे पर्षद् एवं संस्थानों की सहभागिता से क्रियान्वयित किया जाएगा। इसकी विवरणी निम्नवत् हैः–

अध्ययन का विषयः– "Economics, Trade and Marketing of biological resources in selected areas of Bihar in the context of Biological Diversity (Amendment) Act, 2023 and the Guidelines on Access to Biological Resources and Associated Knowledge and Benefits Sharing Regulations, 2014".

SL. No	Name of Management Institute	Areas of Study
1	Development Management Institute, Patna	Nawada and Nalanda
2	Chandragupta Institute of Management, Patna.	Bhagalpur, Banka and Jamui
3	Indian Institute of Management, Bodh Gaya.	Gaya, Aurangabad and Rohtas
4	L.N. Mishra Institute of Economic Development & Social Change, Patna.	Patna, Vaishali, Saran, Sitamadhi and Muzaffarpur
5	A.N. Sinha Institute of Social Studies.	Pilot Study in different Landscapes- Agriculture, Forests, Wetland and Riverine

(ii) **औरंगाबाद, गया, बिहारशरीफ, बाँका, मुंगेर, जमुई तथा शेखपुरा** जिलों में अवस्थित Monolith Rock Outcrop & Inselbergs के Open Natural Ecosystems की जैव विविधता के पहलुओं का अध्ययन दिनांक–30 अगस्त, 2025 से 9 सितम्बर, 2025 तक विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सम्पादित कराया गया है। इस अध्ययन में Floral and Faunal Study के साथ कुछेक स्थलों पर समीपस्थ स्थानीय समुदायों से भी सूचनाओं का संग्रहण कार्य सम्मिलित रहा है। प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात् इनके सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्रवाई की दिशा तय की जायगी।

(iii) **वर्ष 2024–25 में स्वीकृत अनुसंधान एवं विशेष अध्ययन कार्यों की समीक्षा।** वानिकी, पशुपालन एवं फलोत्पादन संबंधी 08 स्वीकृत प्रस्तावों की समीक्षा पर्षद के अनुश्रवण समिति एवं विशेषज्ञों द्वारा 07 जनवरी, 2026 को किया गया। इनकी विवरणी परिशिष्ट–5 में प्रस्तुत

5.7 वन जैव विविधता के सम्बन्ध में विशेषज्ञों का अध्ययन परिभ्रमण कार्यक्रम।

विषय–विशेषज्ञों द्वारा सम्पादित स्थलीय अध्ययन का विवरणीः–

अवधि	स्थल	विषय एवं प्रयोजन	वैज्ञानिक
30.08.2025 से 09.09.2025	औरंगाबाद, गया जी, बांका, मुंगेर, जमुई जिला	Field Study of Open Natural Ecosystem of Monolith Rock Outcrops & Inselberg in South Bihar	(i) Shri Jithin V. (JV), Ecologist, Affiliation: Nature Conservation Foundation (ii) Dr. Smrithi V. (SV), Cliff Vegetation Ecologist
23.11.2025 से 02.12.2025	कैमूर एवं नालंदा जिला	Field Study of Kaimur Plateau Landscape Ecosystems embedding Kaimur Wildlife Sanctuary in Rohtas and Kaimur districts and Rajgir Hills, Nalanda district	(i) Shri Jithin V. (JV), Ecologist, Affiliation: Nature Conservation Foundation (ii) Dr. K. Kishore Kumar, Ph.D. (KFRI), Forest Ecologist and Ethnobotanist, HoD, Deppt. of Botany, Kozhikode, Kerala (KK) (iii) Dr. Anushri Burman, Landscape Architecture (iv) Dr. Harshita, Wildlife Ecologist
29.12.2025 से 02.01.2026	मुंगेर जिला	Assessment of Shankapur Pahar in Munger District, Bihar	(i) Dr. Jai Kumar, GIS & Remote Sessing Officer, (ii) Sri Pawan Ekka, Young Professional

करकट गढ़, कैमूर में विशेषज्ञ दल का अध्ययन

रोहतास गढ़, सासाराम में विशेषज्ञ दल का अध्ययन

बराबर पहाड़ी, जाहानाबाद जिला

Photographs:- Study in Gaya district.

Landscape view of Dungeshwari showing cliff habitats and *Phoenix* sp. along the slopes (introduced?)

Landscape view of Dungeshwari showing the rock formations (orthogonal joint sets) and vegetation

Group photo of team members in Dungeshwari hills

The team during the fieldwork

A rockpool on the inselberg

A rockpool on the inselberg

Landscape view of the inselbergs from the biodiversity park watchtower

A water-filled freshwater rockpool on a boulder

Team members examining the sonorous rock of the Jhunjhunwa Pahad

Team members observing the rock pool and documenting

5.9 जैव विविधता प्रबन्धन समितियों के लिए ''स्थानीय जैव विविधता निधि'' का सृजन एवं बैंक खातों के संचालन की व्यवस्था :–

i. जैव विविधता अधिनियम–2002 (संशोधन 2023) के प्रावधानों (अध्याय–XI, बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 के नियम सं०–25, 26 तथा 16(16)) के अनुसरण हेतु ग्रामीण एवं शहरी निकायों (ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद् एवं नगर निगम) में गठित समस्त जैव विविधता प्रबन्धन समितियों द्वारा स्थानीय जैव विविधता निधि के संचालन हेतु इन जैव विविधता प्रबन्धन समितियों के नाम से चालू खाता को बिहार ग्रामीण बैंक में खोलकर सम्बन्धित निकटस्थ शाखाओं में संचालित कराये जाने का निर्णय दिनांक–24.09.2025 को सम्पन्न पर्षद की 12वीं बैठक में लिया गया।

ii. इस निमित्त बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के नाम से बिहार ग्रामीण बैंक के पटना शाखा में एक पृथक चालू खाता खोला गया है जो स्थानीय जैव विविधता निधि के संचालन हेतु राज्यस्तरीय प्रधान खाता होगा।

जैव विविधता प्रबन्धन समितियों का बिहार ग्रामीण बैंक के निकटस्थ शाखा में खाता खोलने का कार्य प्रगति पर है। अद्यतन 538 स्थानीय जैव विविधता निधि के बैंक खाता खुल चुके हैं।

(क) बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 के नियम संख्या 16(16) के अन्तर्गत स्थानीय ग्रामीण एवं शहरी निकायों में गठित जैव विविधता प्रबन्धन समितियों को अनुदान सहायता के रूप में पर्षद् द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट प्रयोजनों/क्रिया–कलापों हेतु समर्थन राशि के रूप में ₹ 330.645 लाख के प्रावधान का पर्षद् की वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(ख) पर्षद् की वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक कार्य योजना के लिए कर्णांकित वित्तीय प्रावधान में से तत्काल उपर्युक्त उप–कंडिका–क के प्रयोजन हेतु जैव विविधता प्रबन्धन समितियों को अनुदान सहायता के रूप में प्रथम व्यय प्राधिकार हेतु कुल आवश्यक समर्थन राशि ₹127.945 लाख निम्नांकित सारणी के अनुरूप उनके स्थानीय जैव विविधता निधि (LBF) के बैंक खाता में हस्तांतरित किया जा रहा है :–

जैव विविधता प्रबन्धन समिति की बैठक एवं जैव विविधता संरक्षण संबंधी क्रिया–कलाप हेतु आरम्भिक व्यय प्राधिकार					
विवरणी	ग्राम पंचायत जै.वि.प्र. समितियाँ	नगर पंचायत जै. वि.प्र. समितियाँ	नगर परिषद् जै. वि.प्र. समितियाँ	नगर निगम जै. वि.प्र. समितियाँ	कुल गठित समितियों के लिए
गठित समितियों की सं०	8053	47	33	06	8139
आवंटित प्रथम व्यय प्राधिकार प्रति समिति	1,500.00	5,000.00	10,000.00	25,000.00	–
कुल व्यय प्राधिकार की राशि (लाख रू०)	120.795	2.350	3.300	1.500	127.945

5.10 Internship योजना तथा Young Professionals का अल्पकालिक नियोजन

(क) पर्षद् द्वारा वर्ष 2024–25 में प्रारम्भ किये गये Internship योजना के तहत अबतक विगत वर्ष के विभिन्न त्रैमास में 4 समूहों में कुल 16 जैव विविधता Intern का प्रशिक्षण कार्य सम्पादित किया गया। यह योजना वर्ष 2026 में भी संचालित है तथा प्राप्त आवेदनों से जनवरी, 2026 से मार्च, 2026 त्रैमास के लिए एक अभ्यर्थी का जैव विविधता इन्टर्न के रूप में चयन किया गया है।

(ख) पर्षद् द्वारा क्षेत्रीय जैव विविधता के अध्ययन हेतु विभिन्न विषय–क्षेत्रों के लिए Young Professionals का अल्पकालिक नियोजन का निर्णय लिया गया है। इस हेतु विषय–क्षेत्र, कार्य योग्यता तथा मानदेय का उल्लेख करते हुए नियोजन हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया। निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप प्रथम चरण में निम्न Young Professionals का चयन किया गया हैः–

क्र०सं०	नाम	विषय क्षेत्र	निर्धारित मुख्यालय
1.	सुश्री प्रतीक्षा यादव	Field Biological – Taxonomy	गया जी।
2.	श्री पवन एक्का	Forest Biodiversity and Ecology	मुंगेर।
3.	सुश्री हर्षिता प्रकाश	Forest Biodiversity and Ecology	पटना मुख्यालय।
4.	सुश्री साक्षी	River and Wetland Ecology	पटना मुख्यालय।

इनकी कार्यावधि 9 माह की है तथा आवंटित जैव विविधता विषयक अध्ययन कार्य में संलग्न हैं।

Figure 1: Mixed nesting colony of waterbirds in Gaya city

Photographs taken by Interns during Study

Interns with Board's Officials (Certificates distribution)

5.11 जन जैव विविधता पंजी का संधारण/अद्यतीकरण

राज्य में गठित सभी जैव विविधता प्रबंध समितियों से संबंधित स्थानीय निकाय क्षेत्र के जन जैव विविधता पंजी का निर्माण कराया जा चुका है। निर्मित पंजियों का digitization कार्य प्रगति पर है।

पर्षद् द्वारा जैव विविधता पंजी के अद्यतीकरण का कार्य मार्च, 2025 से प्रारंभ किया गया है। इस हेतु पर्षद् द्वारा सेवा निवृत्त वन कर्मियों का कार्यदल तैयार किया गया और प्रथम चरण में बांका एवं जमुई जिलों के 11 पंचायतों के जैव विविधता पंजी के अद्यतीकरण का कार्य कराया गया। स्थानीय जैव विविधता प्रबन्धन समितियों के साथ बैठक कर कार्यदल के सदस्यों द्वारा स्थानीय सहभागिता प्राप्त कर पंजी के अद्यतीकरण के कार्रवाई निम्न पंचायतों में सम्पादित हुआ है :–

क्र०सं०	जिला	प्रखण्ड	बी.एम.सी. पंचायत
1.	बांका	कटोरिया	देवासी
			भोरसार भेलवा
2.		बौंसी	साँप डहर
3.			सांगा
4.			
5.	जमुई	झांझा	पैरगाहा
6.			बैजला
7.			छापा
8.			बाराजोर
9.		खैरा	गरही
10.			हरखार
11.			भीमाईन

यह कार्य निरंतर जारी है तथा इस हेतु विभिन्न विषय–क्षेत्र से Resource Person के नियोजन हेतु कार्रवाई की गयी है। इन्हें प्रशिक्षित कर अन्य स्थानीय निकायों के जन जैव पंजी के अद्यतीकरण हेतु भेजा जायगा।

सांपडहर पंचायत (बांका) में जन जैव विविधता पंजी के अद्यतीकरण हेतु विचार विमर्श

हरखार पंचायत (जमुई) में जन जैव विविधता पंजी के अद्यतीकरण हेतु विचार विमर्श

बाराजोर पंचायत (जमुई) में जन जैव विविधता पंजी के अद्यतीकरण हेतु विचार विमर्श

5.12 वन प्रमण्डल पदाधिकारियों की कार्यशाला।

25 जुलाई, 2025 को जैव विविधता विषय पर वन प्रमण्डल पदाधिकारियों की राज्य स्तरीय कार्यशाला अरण्य भवन, पटना में आयोजित की गयी। इस कार्यशाला में निम्नांकित विषय बिन्दुओं पर विशेष चर्चा हुई :–

- जैव विविधता अधिनियम, 2002 के राज्य में क्रियान्वयन में वन पदाधिकारियों के दायित्वों के व्यावहारिक पहलू एवं सहयोग हेतु सुझाव।
- जैव विविधता अधिनियम, 2002 में वर्ष 2023 में हुए व्यापक संशोधन एवं नियमावली तथा Access Benefit Sharing सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन।

- जैव विविधता विरासत स्थल की पहचान एवं घोषणा हेतु वैज्ञानिक पहलुओं पर विचार–विनिमय तथा विभिन्न स्वरूप के भू–क्षेत्रों हेतु जिलावार सांकेतिक लक्ष्य का निर्धारण।
- प्राकृतिक वनों के पुनर्स्थापन प्रक्रिया एवं तकनीक में जैव विविधता के अवयवों का संवर्धन।
- शहरों के घनी आबादी वाले हिस्सों में छोटे स्थलों पर जैव विविधता हेतु मियावाकी पद्धति से वनस्पति की स्थापना।
- इको–टूरिज्म स्थलों तथा बायोडाइवर्सिटी पार्क में ''नेचर इन्टरप्रेटेशन सेन्टर'' की डिजाइन में प्राकृतिक हितैषी अवयवों का समावेश।

5.13 परामर्शी सेवा अन्तर्गत वन विभाग को उपलब्ध कराये गए प्रतिवेदन :–

- अवकृष्ट वनों के पुनर्वास कार्यों में स्थानिक वनस्पति की जैव विविधता को संरक्षित और संवर्धित करने के सम्बन्ध में Tropical Forest Ecosystem के विशेषज्ञ द्वारा दक्षिण बिहार के चयनित वन क्षेत्रों के स्थलीय अध्ययन के आधार पर तकनीकी प्रतिवेदन, जिसमें विभिन्न व्यावहारिक पहलुओं पर अनुशंसा और सुझाव सम्मिलित हैं।
- इको टूरिज्म तथा बायोडाइवर्सिटी पार्क इत्यादि में **''नेचर इन्टरप्रेटेशन सेन्टर''** की स्थापना एवं संचालन हेतु निर्माण तथा प्रबन्ध के विषय में मार्गदर्शन पुस्तिका का प्रारूप।
- भोजपुर और बक्सर जिला के कृषि बाहुल्य आंशिक क्षेत्रों में वन्य जन्तु कृष्णमृग की बसी आबादी के संरक्षण हेतु दीर्घकालिक सुनियोजित कार्रवाई हेतु व्यावहारिक पहलुओं पर सुझाव सहित प्रतिवेदन।
- इन्टर्नशिप अन्तर्गत पटना शहर में तितलियों की विविधता का संक्षिप्त अध्ययन प्रतिवेदन जिसमें उद्यानों में तितलियों के अधिवास के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु व्यावहारिक उपाय सुझाये गये हैं।
- गयाजी शहर में पक्षियों की आबादी की स्थिति का आकलन एवं संरक्षण हेतु वैज्ञानिक अध्ययन आधारित व्यावहारिक सुझाव के साथ प्रतिवेदन।
- राज्य के प्राकृतिक वन्य भू–क्षेत्रों में Long Term Ecological and Biodiversity Monitoring and Studies की परियोजना प्रस्ताव का स्थलीय अध्ययन आधारित प्रतिवेदन।

5.14 परामर्शी सेवा अन्तर्गत अन्य विभाग को उपलब्ध कराये गए प्रतिवेदन :–

- सम–उपोष्ण बागवानी अनुसंधान केन्द्र, काकोरी, लखनऊ के माध्यम से पर्षद् द्वारा प्रायोजित बीजू आम के उत्कृष्ट देसी प्रजाति के पहचान सम्बन्धी शोध अध्ययन के आधार पर कार्रवाई के सुझाव के साथ तकनीकी बुलेटिन बागवानी निदेशालय, कृषि विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

- पटना शहर से संलग्न गंगा नदी के अंश में मतस्य विविधता के पहलुओं पर अल्प अवधि के अध्ययन का प्रतिवेदन।

06 जैविक संसाधनों के उपयोग से संबंधित पहुंच और लाभ में हिस्सेदारी

(i) ग्रामीण एवं शहरी निकायों में गठित जैव विविधता प्रबन्धन समितियों का कर्तव्य अपने–अपने क्षेत्र में जैव विविधता का संरक्षण के साथ उनके पोषणीय/संवहनीय उपयोग एवं उससे प्राप्त लाभ का उचित एवं साम्यपूर्ण सहभाजन भी है।

इस निमित्त राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा जैव विविधता अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ''जैव विविधता (जैविक संसाधनों और उनसे संबद्ध ज्ञान तक पहुँच तथा लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण) विनियम, 2014 एवं पुनरीक्षित विनियम, 2025 अधिसूचित किया गया है।

(ii) राज्य के विभिन्न जिलों के अलग–अलग पारिस्थितिकीय तंत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक तथा कृषि उत्पादित जैविक संसाधनों, विशेषकर औषधीय पौधों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पर्षद द्वारा मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, राज्य औषधीय पादप पर्षद् स्वास्थ्य विभाग, बिहार तथा इस क्षेत्र के व्यापार करने वाले व्यापारियों/औधोगिक संस्थाओं के संबंध में सूचना देने हेतु आयुक्त, वाणिज्यि–कर, बिहार से अनुरोध किया गया है। इन कार्यालयों में भी अपेक्षित सूचना संकलित नहीं रहने अथवा सूचनाओं का अभाव रहने की स्थिति है।

इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों में दो बार विज्ञापन प्रकाशित कर भी जैविक संसाधनों में व्यापार कर रहे लोगों एवं जैव विविधता प्रबन्धन समितियों से उपयोग में लाये जा रहे जैविक संसाधनों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। किसी भी व्यापारी से उक्त विषय में सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

पर्षद् द्वारा 5 संस्थानों को 14 जिलों में शोध–अध्ययन कार्य में सहयोजित किया गया है। ऐसी अपेक्षा है कि इन अध्ययनों से इस विषय में कुछ विनिर्दिष्ट जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।

(iii) अद्यतन भागलपुर जिला के पीरपैंती प्रखण्ड के कुल सात तथा कहलगाँव प्रखण्ड के एक पंचायत अर्थात् कुल आठ पंचायतों से दो स्थानीय व्यापारियों द्वारा औषधीय पौधों का संग्रहण, भण्डारण एवं विपणन की जानकारी दी गयी है। इन व्यापारियों द्वारा कुल 20 प्रकार के जैविक उत्पादों का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमन, 2014 के तहत वर्ष 2023–24 तथा वर्ष 2024–25 में इन व्यापारियों द्वारा संबंधित जैव विविधता प्रबन्धन समितियों के लिए दिये गये लाभ में हिस्सेदारी निम्नवत् है–

क्र० सं०	वर्ष	व्यापारियों द्वारा प्रतिवेदित कुल लाभ की राशि (रू०)	विनियमन–2024 की धारा–3 के अनुरूप लाभ में साझा किया गया 3% हिस्सेदारी (रू०)
1.	2023–24	9,90,000	29,700
2.	2024–25	14,76,000	44,280

(i) जैविक विविधता (जैविक संसाधनों और उनसे संबद्ध ज्ञान तक पहुँच तथा लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण) विनियम, 2025 द्वारा किसी व्यक्ति का वार्षिक आवर्त 5 करोड़ रूपये तक के लाभ से साझाकरण की देय रकम (सरकारी करों के सिवाय उत्पाद का वार्षिक कारखाने पर सकल

विक्रय मूल्य का प्रतिशत) को शून्य कर दिये जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2025–26 में जैविक संसाधनों के दो स्थानीय वाणिज्यिक संग्रहण कर्ताओं से पिछले वर्षों की भांती साझा रकम नही लिया गया है। अपितु इसके लिए अधिनियम की धारा–41 (3) के तहत सम्बन्धित जैव विविधता प्रबन्धन समितियों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार से संग्रहित जैविक संसाधनों की मात्रा के अनुरूप संग्रहण शुल्क लिया जाना प्रस्तावित है।

(ii) संग्रहण शुल्क – राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की जैविक संसाधनों के संग्रहण हेतु संबंधित जैव विविधत प्रबन्धन समितियों द्वारा संग्रहण शुल्क निर्धारण संबंधी अनुसंशा।

जैव विविधता अधिनियम, 2023 की धारा–41 (3) के तहत संबंधित जैव विविधता समितियों को अपने क्षेत्राधिकार से जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग पर ''संग्रहण शुल्क'' लगाने का अधिकार है।

इस निमित्त राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा सघन विमर्श के उपरांत संबंधित जैव विविधता प्रबन्धन समितियों के क्षेत्राधिकार से वाणिज्यिक उपयोग हेतु संग्रहित जैविक संसाधनों की मात्रा के अनुरूप निम्नांकित संग्रहण दर की संरचना की अनुशंसा की गयी है–

क्र०सं०	संग्रहित मात्रा	संग्रहण शुल्क (रू०)
1.	1,000 कि०ग्रा० तक	100/–
2.	1,000 से 5,000 कि०ग्रा०	500/–
3.	5,000 से 10,000 कि०ग्रा०	1,000/–
4.	10,000 से 25,000 कि०ग्रा०	2,000/–

इसी के अनुरूप बिहार राज्य के ग्रामीण एवं शहरी जैव विविधता प्रबन्धन समितियों के क्षेत्राधिकार से संग्रहित होने वाले जैविक संसाधनों के लिए उनकी मात्रा के अनुरूप संग्रहण शुल्क के प्रावधान का अनुमोदन दिनांक– 22.01.2026 को सम्पन्न पर्षद् की 13वीं बैठक में दिया गया है।

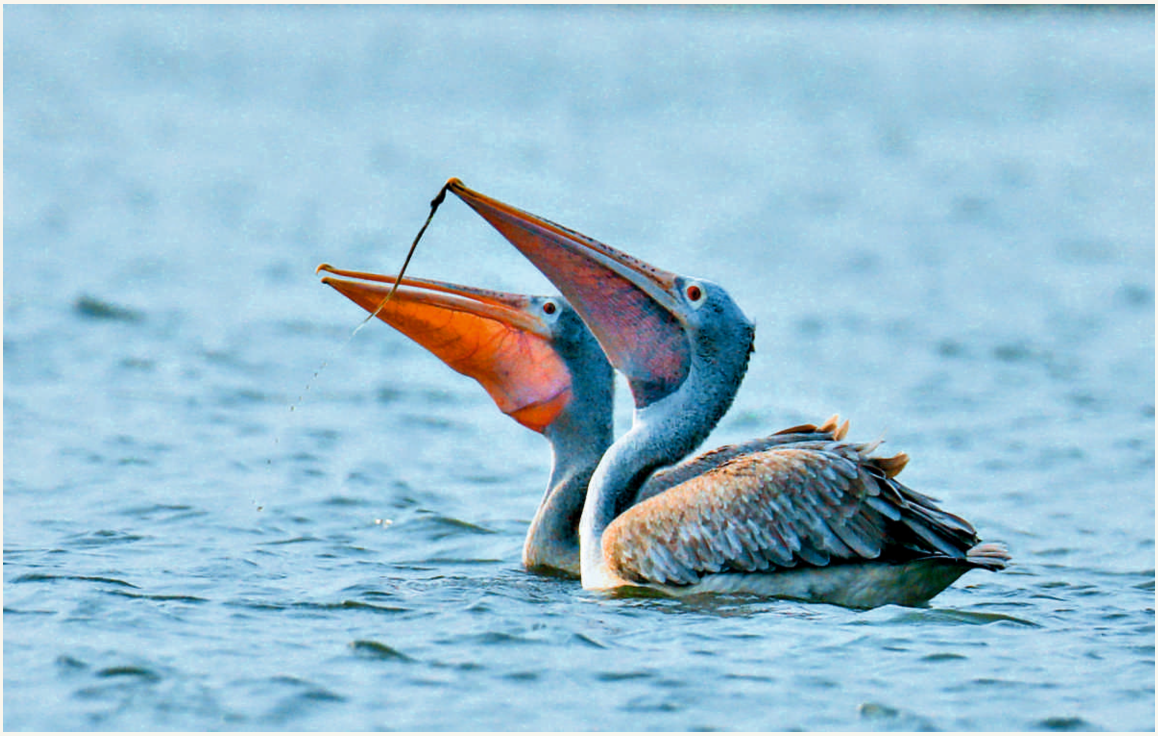

07 वित्तीय वर्ष 2025–26 में आयोजित बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2025–26 में 31 जनवरी, 2026 तक पर्षद् की तीन बैठकें निम्नवत् सम्पन्न हुई हैः–

क्र०सं०	बैठक	बैठक की तिथि	कार्यावली विषय
1	11वीं बैठक	28.05.2025 तथा 16.06.2025	• पर्षद् के वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के वार्षिक लेखा का प्रतिवेदन अनुमोदन। • वित्तीय वर्ष 2024–25 में सम्पादित कार्यों तथा वित्तीय उपलब्धि की समीक्षा। • वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु प्रस्तावित कार्य एवं वित्तीय आकलन। • जैव विविधता अधिनियम, 2002 में 2023 के संशोधनों के अनुसरण में बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 में प्रस्तावित संशोधनों की अनुशंसा।
2	12वीं बैठक	24.09.2025	• बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के संगठनात्मक संरचना का संवर्धन/सुदृढ़ीकरण एवं मानव संसाधन में वृद्धि संबंधी प्रस्तावों पर सहमति। • पंचायतों एवं नगर निकायों में गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों को वित्तीय समर्थन प्रदान करने संबंधी कार्यक्रम की रूप रेखा का अनुमोदन। • अनुसंधान एवं विशेष अध्ययन कार्यों की समीक्षा तथा जैव संसाधन विशेषकर औषधीय पौधों की उपलब्धतों, संग्रहण, व्यापार तथा मूल्यवर्धन संबंधी प्रस्तावों पर संस्तुति। • राज्य के शहरी क्षेत्रों के लिए Urban Biodiversity Studies and Assessment of City Biodiversity Index का कार्य चयनित। Knowledge Partner संस्थानों के सहयोजन से कराये जाने के प्रस्ताव तथा वित्तीय प्रावधान का अनुमोदन। • पर्षद् में विशेषज्ञों की सेवा हेतु मानदेय का निर्धारण।
3	13वीं बैठक	22.01.2026	• पर्षद् के क्रिया–कलापों की समीक्षा। • जैविक संसाधनों के उपयोग से संबंधित पहुँच और लाभ हिस्सेदारी के प्रावधान के तहत जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले संग्रहण शुल्क निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन। • पर्षद् के लेखा का संधारण हेतु Accounting Policy तथा Inform Standard Formats का निर्धारण। • पर्षद् की सांगठनिक संरचना एवं मानव कार्यबल में वृद्धि के प्रस्ताव पर विर्मश।

पर्षद की 11वीं बैठक

पर्षद की 12वीं बैठक

08 पर्षद् की कार्यकारी संरचना

(i) पर्षद् की कार्यकारी संरचना

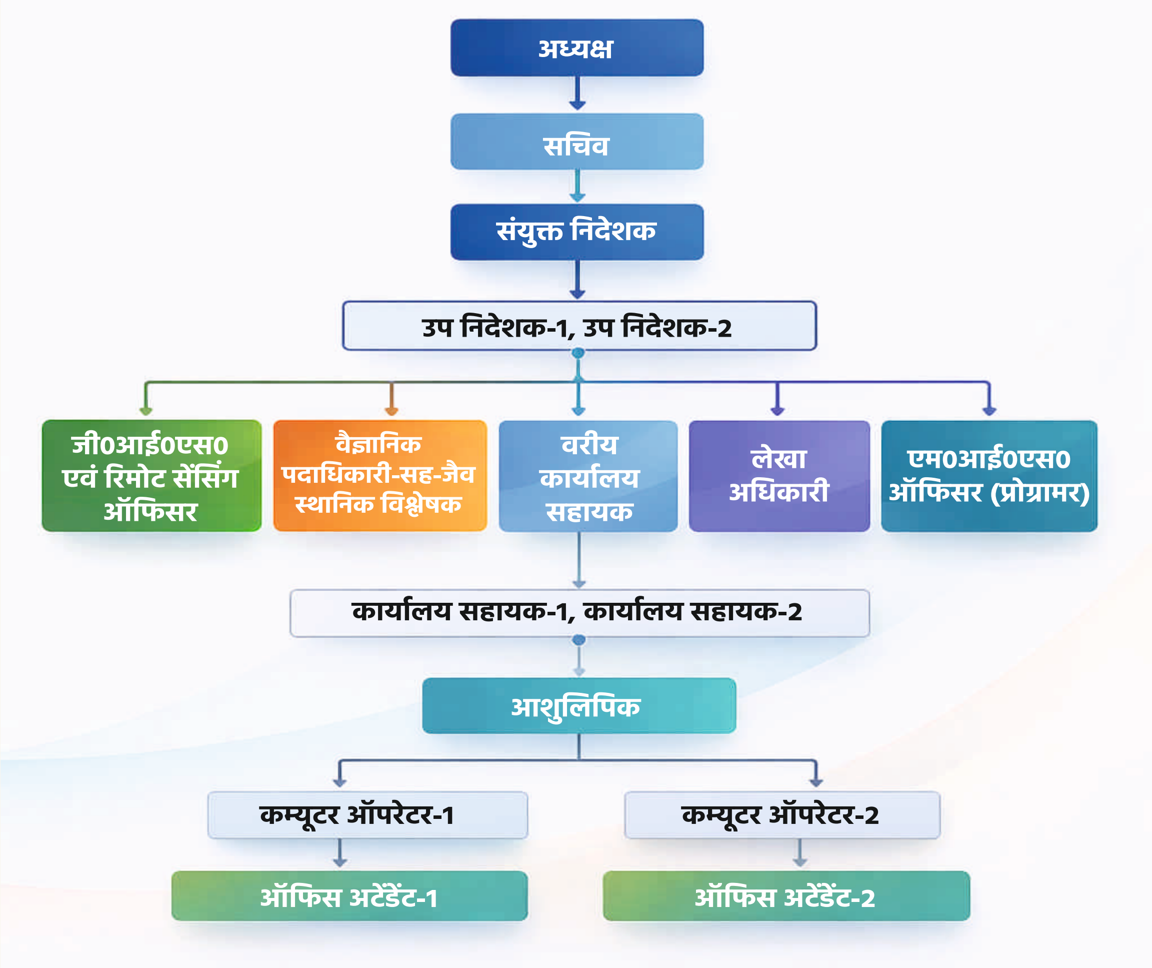

15th August, 2025

(ii) पर्षद् का कार्यबल

क्र०सं०	पदनाम	पदधारक का नाम	कार्य–अवधि
1.	अध्यक्ष	श्री भारत ज्योति	06.03.2024 से कार्यरत
2.	सचिव	श्री एस० चन्द्रशेखर	14.10.2024 से कार्यरत
3.	संयुक्त निदेशक	श्री हेम कान्त राय	18.06.2024 से कार्यरत
4.	उप निदेशक	श्री मिहिर कुमार झा	12.06.2024 से कार्यरत
6.	जी०आई०एस० पदाधिकारी	डा० जय कुमार	01.02.2025 से कार्यरत
7.	एम०आई०एस० पदाधिकारी	श्री निशांत राज	17.03.2022 से कार्यरत
8.	वरीय कार्यालय सहायक	श्री प्रताप कुमार	17.01.2025 से कार्यरत
9.	कार्यालय सहायक	श्री शिवपूजन कुमार	25.06.2024 से कार्यरत
10.	आशुलिपिक	मो० आदिल	24.01.2024 से कार्यरत
11.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1. श्री अमरेश कुमार शर्मा 2. श्रीमती पूजा कुमारी	22.11.2022 से कार्यरत 05.07.2023 से कार्यरत

26th January, 2026

09 बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् का वर्ष 2025–26 के लिए स्वीकृत बजट तथा वर्ष 2026–27 का प्रस्तावित बजट

आवंटन पत्र

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना ।

वित्तीय वर्ष 2025–26

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष – 3435 वानिकी तथा वन्यप्राणी उप–मुख्य शीर्ष–03 वानिकी लघु शीर्ष – 102 निदेशन तथा प्रशासन उपशीर्ष– 0001 बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् विपत्र कोड– 19–3435031020001 विषय शीर्ष	वर्तमान उपबंध 2025–26	सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् कुल मांग 2025–26	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष
1	0001.31.04 सहायक अनुदान–वेतन	10068000	10068000	8818000	1250000	10068000	0
2	0001.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	55372000	55372000	38685260	16686740	55372000	0
	योग–0004–बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्	**65440000**	**65440000**	**47503260**	**17936740**	**65440000**	**0**

प्रति– वन संरक्षक (मुख्यालय), पटना को CFMS में प्रविष्टी की गई राशि को Approval हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

02/01/26

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार

ज्ञापांक– गै०यो०/बजट–13/2025–26 दिनांक– 05/01/2026

प्रतिलिपि– अध्यक्ष, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, बिहार/सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/01/26

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार

ANNEXURE-IV
(Rule 35(E))
BUDGET YEAR 2025-26 (IN RUPEES)

STATEMENT OF EXPENDITURE PROPOSAL FOR BUDGET DISCUSSION (ANNUAL SCHEME/ESTABLISHMENT AND COMMITTED)

ADMINISTRATIVE DEPARTMENT- ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE SAO/DDO-

Dept.Name-Environment ,Forests & Climate Change
Demand No-19

Group Head
Minor Head-102- Nidesan tatha prasasan

Major Head-3435 vaniki tatha vanya prani
Subhead-0001 Bihar Rajya jaiv vivdhitha prasad

Submajor Head-03 Vaniki
Bill code-19-3435031020001

Object Head Code	Object code Description	Actuals			B.E.	Actuals		R.E. Current Year		B.E.Ensuing year		Remarks
		Preceding year-III 2022-23	Preceding year-I 2023-24	Preceding year-I 2024-25	Current year 2025-26	Up to Ist Six Month of Preceding year 2024-25	Up to Ist Six Month of current year 2025-26	Proposed by controling officer	Revised Proposal by Administrative dept.	Proposed by controling officer	Revised Proposal by Administrative dept.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31 04	सहायक अनुदान-वेतन	57.74	38.83	71.51	88.18	22.23	52.88	100.32	100.32	111.04		Detailed estimate enclosed
31 06	सहायक अनुदान-गैर वेतन	93.61	181.04	238.38	566.22	54.52	110.15	585.22	585.22	858.50		
	योग 0001– बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद	**151.35**	**219.87**	**309.89**	**654.40**	**76.75**	**163.03**	**685.54**	**685.54**	**969.54**		

15/10/25

Secretary,
Bihar State Biodiversity Board

10 अन्य विभागों के कार्यक्रमों में पर्षद् की सहभागिता

क्र. सं.	कार्यक्रम / अवसर	तिथि एवं स्थान	आयोजक	सम्बोधन विषय	पर्षद् के प्रतिभागी
1.	विश्व वन प्राणी दिवस	मार्च, 2025	आईआईएम, बोधगया।	Biodiversity Perspectives for B-School	श्री भारत ज्योति, अध्यक्ष, बि.रा.जै.वि.प
2.	जैव विविधता विषय पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	26 जुलाई, 2025	पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार	जैव विविधता की महत्ता, क्षरण के कारण एवं उपाय, बीएमसी के कर्त्तव्य आदि	श्री मिहिर कुमार झा, उप निदेशक बि.रा.जै.वि.प
3.	राज्य स्तरीय हितधारक परामर्श कार्यशाला	14 अगस्त, 2025	ICAR पूर्वी क्षेत्रीय अनुसंधान परिसर (RCER), पटना	जलवायु संकट से निपटने हेतु कृषि में चुनौतियाँ एवं रणनीतियाँ	श्री भारत ज्योति, अध्यक्ष, बि.रा.जै.वि.प
4.	मानव अधिकार दिवस–2025	10 दिसम्बर, 2025	मानव अधिकार संघ, बिहार	प्राकृतिक धरोहर एवं पर्यावरण– 21वीं सदी में मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य	श्री भारत ज्योति, अध्यक्ष, बि.रा.जै.वि.प
5.	जैव विविधता विषय पर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों तथा जिला पंचायत संसाधन केन्द्र के प्रभारियों का प्रशिक्षण	21 जनवरी, 2026	पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार	जैव विविधता की महत्ता, क्षरण के कारण एवं उपाय, बीएमसी के कर्त्तव्य आदि	श्री हेम कान्त राय, संयुक्त निदेशक, बि.रा.जै.वि.प. एवं श्री मिहिर कुमार झा, उप निदेशक, बि.रा.जै.वि.प.
6.	जैव विविधता विषय पर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों तथा जिला पंचायत संसाधन केन्द्र के प्रभारियों का प्रशिक्षण	22 जनवरी, 2026	पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार	जैव विविधता की महत्ता, क्षरण के कारण एवं उपाय, बीएमसी के कर्त्तव्य आदि	श्री भावेश कुमार, वैज्ञानिक पदाधिकारी–सह– जैव स्थानिक विश्लेषक बि.रा.जै.वि.प. एवं श्री डॉ० जय कुमार, जी.आई.एस और रिमोट सेंसिंग पदा०, बि.रा.जै.वि.प

क्र. सं.	कार्यक्रम / अवसर	तिथि एवं स्थान	आयोजक	सम्बोधन विषय	पर्षद् के प्रतिभागी
7.	सतत् कृषि और जलवायु परिवर्तन शमन के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन	23 जनवरी, 2026	ICAR पूर्वी क्षेत्रीय अनुसंधान परिसर, पटना एवं National Environmental Science Academy (NESA), New Delhi	मुख्य अतिथि के रूप में सतत् कृषि और जलवायु परिवर्तन शमन के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन विषय पर व्याख्यान	श्री भारत ज्योति, अध्यक्ष, बि.रा.जै.वि.प
8.	Bio Conserve Summit, 2026	30 जनवरी, 2026	INFOSYS and IIHS, Bengaluru	Trailblazing Biodiversity Stewardship across India	श्री भारत ज्योति, अध्यक्ष, बि.रा.जै.वि.प

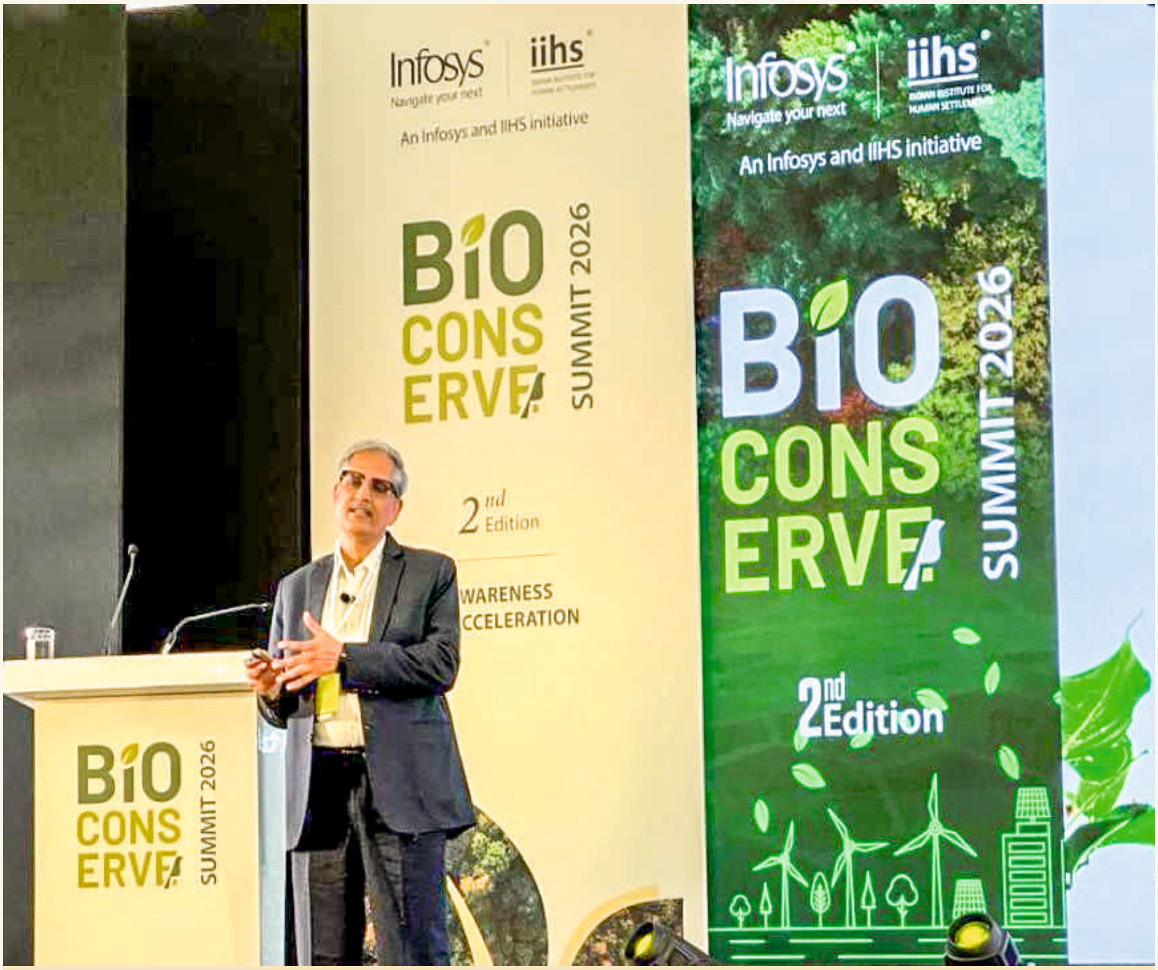

Chairperson, BSBB sharing the initiatives for Biodiversity Conservation in Bihar.

11 पर्षद् के कार्यक्रम-समाचार पत्रों की सुर्खियों में

और कार्यपालक सहायक शामिल रहे।

शुक्रवार को कैप्टन आलोक को सम्मानित करते समाजसेवी व अन्य।

जैव विविधता को विनाश से बचाना है जरूरी : निदेशक

बेतिया,हमारे प्रतिनिधि । पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा शुक्रवार को होटल जॉली ग्रांड के सभागार में एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें ग्राम पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर पर गठित जैव विविधता से जुड़े पंचायत समिति के अध्यक्ष व सदस्यों को पीपीटी के माध्यम से आवश्यक जानकारी दी गई।

मुख्य अतिथि के रूप में बिहार राज्य जैव विविधता के संयुक्त निदेशक हेमकांत राय ने शिरकत किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जैव विविधता का व्यापक स्वरूप है जिसको पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर प्रबंधन के माध्यम से बेहतर किया जा सकता है। इस प्रकार की यह पहली बैठक है । राज्य भर में अब तक 8058 पंचायत को इससे जोड़ने

शुक्रवार को कार्यक्रम को संबोधित करते अतिथि हेमकांत राय व अन्य।

का लक्ष्य रखा गया है जो लगभग पूरा कर लिया गया है। सिर्फ कुछ ही पंचायत शेष बचे हैं। प्रथम चरण में जिला और अनुमंडलस्तर पर 94 कार्यशाला का आयोजन करना है। बायोडायवर्सिटी ऐप भी बनाया गया है। जैव विविधता का विकास करना और उसके विनाश को रोकने पर बल दिया जाएगा। जैव विविधता के अत्यधिक शोषण को भी रोकना होगा। कहा कि पहले हमारे आसपास इमली, कटहल और जलेबी का पेड़ हुआ करता था लेकिन यह विलुप्ति के कगार पर है। इसके बहुआयामी दुष्परिणाम है। जिस किसी पंचायत से किसी प्रकार की जड़ी-बूटी अथवा हर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उससे होने वाले लाभ में उस पंचायत के लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने इसे इक्विटेबल शेयरिंग की संज्ञा देते हुए इसके बारे में जानकारी दी। कहा कि एक समय ऐसा था हम देसी गाय के दूध पर आश्रित थे ,धीरे-धीरे अन्य नस्ल की गाय का दूध हम इस्तेमाल करने लगे जिससे बीमारियों की चपेट में आ गए । सभी तालाब भर रहे हैं। मछलियां मर रही है। सफाई भी नहीं हो रही है व जैव विविधता से जुड़े खाद्य श्रृंखला पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कार्यक्रम में चम्पारण जिला पार्षद अजय कुमार, जैव विविधता पर्षद बेतिया के अध्यक्ष जगन्नाथ प्रसाद यादव व विजय कुमार पांडेय ने शिरकत किया। पर्यावरणविद संजय कुमार, रैम्बो पीटर, नीतीश कुमार व मनोज कुमार को सम्मानित किया गया।

प्रबंधन समिति की उपयोगिता पर डाला प्रकाश

डीएफओ आतिश कुमार ने अपने संबोधन से कार्यक्रम की शुरुआत की और सेमिनार की बारीकियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कई कारगर जानकारी दी। उपनिदेशक मिहिर कुमार झा ने भी जैव विविधता प्रबंधन और कार्यशाला की बारीकियों से अवगत कराया। पंचायत से आए लोगों से बातचीत भी की और प्रबंधन समिति की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उद्यान पदाधिकारी राजू रंजन ने कहा कि हम सभी अपने घर पर भी एक छोटी बागवानी कर जैव विविधता के मामले में सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने आइआइएचआर अर्थात इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च से कई प्रकार के बीज मंगा कर घर पर ही छोटी बगिया अर्थात मिनी बायोडायवर्सिटी तैयार करने का भी सुझाव दिया।

जैव विविधता को लेकर प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन

परवाहा. रानीगंज प्रखंड क्षेत्र के हसनपुर स्थित वृक्ष वाटिका में बुधवार को जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व सदस्यों का क्षमता विकास के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन वन प्रमंडल अररिया ने किया. इस प्रशिक्षण कार्यशाला शिविर में रानीगंज, नरपतगंज, भरगामा, फारबिसगंज प्रखंड के अध्यक्ष, सचिव, सदस्य व ग्रामीणों सहित कुल 80 लोगों ने भाग लिया. कार्यक्रम का उद्घाटन जैव विविधता पटना के संयुक्त सचिव हेमकांत राय व जैव विविधता पटना के उप निदेशक मिहिर कुमार झा ने संयुक्त रूप से किया. प्रशिक्षण शिविर में फारबिसगंज रेंजर दिनेश प्रसाद यादव व अररिया रेंजर राधेश्याम राय उपस्थित थे. कार्यशाला में जैव विविधता प्रबंधन व उसके संरक्षण के महत्वपूर्ण पहलुओं के संदर्भ में मार्गदर्शन दिया गया. साथ ही जैव विविधता रजिस्टर के विषय में विस्तार से बताया गया. पंचायतों में प्राकृतिक महत्व के भूखंड व वास स्थल,झील ,नदी तट ,नदी खंड,विलक्षण किस्म के कृषि स्थल की जानकारी व संरक्षण के कार्य के बारे में बताया गया. कार्यशाला को संबोधित करते हुए संयुक्त सचिव हेमकांत राय ने कहा कि मानव जीवन का जैव विविधता एक अभिन्न अंग है. हम सभी की जिम्मेदारी है कि हमलोगों को जैव विविधता का संरक्षण को लेकर सतत प्रत्यनशील रहना चाहिए. नहीं तो आनेवाली मानव पीढ़ी को विषम संकटों को सामना करना पड़ सकता है. मौके पर वनरक्षी कुंदन कुमार सिंह, पिंटू कुमार, शिवम कुमार, नीतीश कुमार, अभिषेक कुमार, अरमान खान, सीजी संतोष, संतोष सुमन आदि मौजूद थे.

पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव के विभिन्न रूप हम मनुष्यों के साथ सभी जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी जैव संपदा द्वारा ही संभव है

कार्यक्रम का शुभारंभ करते अतिथि ।

कार्यक्रम मे शामिल लोग।

अररिया(एसएनबी)। शहर के कुसियार गांव पार्क में राज्य जैव विविधता पर्षद के तत्वावधान में अररिया वन प्रमंडल अररिया की अधिकारी व कर्मियों द्वारा विविधता प्रबंधन समितियों के सदस्यों की क्षमतावर्धन के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में उप निदेशक बिहार, राज्य जैव विविधता परिषद पदाधिकारी हेमकांत राय, राज्य जैव बिविधता परिषद पदाधिकारी मिहिर कुमार झा, उप निदेशक बिहार, ,प्रो.बचनेश्वर मिश्रा, पर्यावरण विद सुदन सहाय, वनों क्षेत्र के पदाधिकारी राधेश्याम राय ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के में जिले के जैव विविधता प्रबंधन समिति के कार्य और कर्तव्य के बारे में विस्तार से बताया। बताया कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव के विभिन्न रूप हम मनुष्यों के साथ सभी जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी जैव संपदा द्वारा ही संभव है।

जैव विविधता का संरक्षण और संवर्धन में आम नागरिकों की भूमिका अति आवश्यक है। इसके लिए जैव विविधता प्रबंधन समितियों को आगे आना होगा और आम जनता को जागरूक करना होगा। जैव विविधता पंजी निर्माण की आवश्यकता तथा प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम की सफलता के लिए दिनेश प्रसाद यादव, अंशुमन कुमार, वन विभाग के कर्मी राहुल कुमार, प्रियंका कुमारी, अमरैन असगर समेत अन्य वन कर्मी मौजूद थे।

मनुष्य के साथ सभी जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति जैव संवाद से संभव

संवाद सूत्र, जागरण. पहाड़कट्टा (किशनगंज) : डा. कलाम कृषि महाविद्यालय के आडिटोरियम में गुरुवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद एवं अररिया वन प्रमंडल अररिया द्वारा किशनगंज जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्षों, सदस्यों की क्षमता विकास हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन डा. कलाम कृषि महाविद्यालय अरांबाड़ी के आडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में किशनगंज प्रक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीन प्रखंडों में क्रमशः किशनगंज, पोठिया व ठाकुरगंज के अध्यक्ष, सदस्य सचिव, सदस्य एवं संबंधित पंचायतों के अन्य ग्रामीण सहित कुल 58 व्यक्तियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद हेमकांत राय, उपनिदेशक मिहिर कुमार झा, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना डा. के सत्यनारायण, प्रधानाचार्य, डा. कलाम कृषि विश्वविद्यालय, किशनगंज, डा. जेपी. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, अंशुमान, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, किशनगंज तथा राधेश्याम राय, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, अररिया एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति के महिला सदस्यों द्वारा किया गया। कार्यशाला में जैव विविधता प्रबंधन एवं उसके संरक्षण के महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। जैव विविधता रजिस्टर के बारे में बताया गया साथ ही बताया गया कि

दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते पदाधिकारीगण • जागरण

पंचायतों में प्रकृतिक महत्व के भूखंड एवं वास स्थल, झील, नदी तट, नदी खंड, विलक्षण किस्म के कृषि या बागवानी के स्थल की जानकारी व उनके संरक्षण के कार्य प्रभावी रूप से की जाए। किशनगंज जिला के जैव विविधिता एवं जैव विविधता संबंधी स्थानीय पहलुओं यथा कृषि, पशुपालन, मत्सियकी, भौगोलिक परिस्थिति की भी जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम में जिले के जैव विविधता प्रबंधन समितियों के कार्य, कर्तव्य और दायित्व के बारे में विस्तार से बताया। बताया कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव के विभिन्न रूप हम मनुष्यों के साथ सभी जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी जैव संपदा द्वारा ही संभव है। जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन में आम नागरिकों की भूमिका अति आवश्यक है। इसके लिए जैव विविधता प्रबंधन समितियों को आगे आना होगा और आम जनता को जागरूक करना होगा। लोक जैव विविधता पंजी निर्माण की आवश्यकता तथा इसके संधारण प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद राज्य के सभी जैव विविधता प्रबंधन समितियों का सशक्तीकरण कर उन्हें सक्रिय बनाने हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग इत्यादि के माध्यम से कराने हेतु कृत संकल्पित है।

****

वृक्ष वाटिका में जैव विविधता पर कार्यशाला का आयोजन

रानीगंज वृक्ष वाटिका में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते संयुक्त निदेशक।

- बिहार में सौ कार्यशाला की जाएगी आयोजित
- रानीगंज वृक्ष वाटिका में हुआ आयोजन

रानीगंज, एक संवाददाता। बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद एवं जिला वन प्रमण्डल के की ओर से बुधवार को रानीगंज वृक्ष वाटिका परिसर में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के संयुक्त निदेशक हेमकांत राय और उप निदेशक मिहिर कुमार झा ने किया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में फारबिसगंज वन प्रक्षेत्र के चारों प्रखण्डों नरपतगंज, भरगामा, फारबिसगंज और रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत स्तर पर गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यंक्ष, सचिव के अलावे दो सदस्य व ग्राम पंचायत के प्रबुद्ध जन, पर्यावरणविद, कृषि से जुड़े लोग शामिल हुए। कार्यशाला में जैव विविधता प्रबंधन एवं उसके संरक्षण के महत्त्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। जैव विविधता को लेकर जैव विविधता प्रबंधन समिति के दायित्वों व उनके अधिकारों पर चर्चा की गयी। राज्य जैव विविधता के संयुक्त निदेशक हेमकांत राय ने बताया कि पंचायतों में प्रकृतिक महत्व के भूखण्ड एवं वास स्थल, झील, नदी तट, नदी खण्ड, विलक्षण किस्म के कृषि या बागवानी के स्थल की जानकारी व उनके संरक्षण के कार्य प्रभावी रूप से की जाय। जिले के जैव विविधिता एवं जैव विविधता संबंधी स्थानीय पहलुओं में कृषि, पशुपालन, मत्स्यकी, भौगोलिक परिस्थिति की जानकारी दी गई। हमलोगों को पूरे बिहार में सौ कार्यशाला करनी है। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद राज्य के सभी समितियों का सशक्तीकरण कर उन्हे सक्रिय बनाने के लिए कृत संकल्पित है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वन क्षे पदाधिकारी दिनेश यादव, राधेश्याम राय, वन कर्मी संतोष यादव, रामजं पासवान आदि थे।

एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

किशनगंज। बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद एवं अररिया वन प्रमण्डल द्वारा किशनगंज जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्षों व सदस्यों की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन शुक्रवार को अशोक सम्राट भवन में किया गया। कार्यशाला में ग्राम पंचायत स्तर पर गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्षों व सदस्यों की क्षमता विकास हेतु परिचर्चा की गई। कार्यशाला में किशनगंज प्रक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चार प्रखंडों (कोचाधामन, दिघलबैंक, बहादुरगंज एवं टेढ़ागाछ के अध्यक्ष, सदस्य सचिव, सदस्य एवं सम्बद्ध पंचायतों के अन्य ग्रामीण सहित कुल 90 व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उदघाटन हेम कान्त राय, संयुक्त बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद पटना, मिहिर कुमार झा, उप निदेशक, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद पटना एवं समिति के अध्यक्ष, सचिव सहित महिला सदस्यों द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया।

जैव विविधता के संरक्षण व संवर्धन में हमारी भूमिका अहम

- लोक जैव विविधता पंजी निर्माण एवं संधारण की दी गयी विस्तृत जानकारी
- बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद व वन प्रमंडल ने किया एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

प्रतिनिधि, सहरसा

कार्यशाला का उद्घाटन करते अतिथि.

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद एवं वन प्रमंडल सहरसा द्वारा जिले के ग्राम पंचायत स्तर पर गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्षों, सदस्यों की क्षमता विकास के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन सोमवार को सुशीला उत्सव हॉल प्रांगण में किया गया. कार्यशाला में जिले के सात प्रखंड कहरा, सत्तर कटैया, नवहट्टा, सौरबाजार, सोनवर्षा, महिषी एवं पतरघट के अध्यक्ष, सदस्य सचिव, सदस्य एवं संबद्ध पंचायतों के अन्य ग्रामीण सहित कुल 84 व्यक्तियों ने भाग लिया. कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त निदेशक बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद पटना हेमकांत राय, उप निदेशक बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद पटना मिहिर कुमार झा, वन प्रमंडल पदाधिकारी भरत चिंतपल्ली, जिला मत्स्य पदाधिकारी विद्या भूषण दत्त एवं समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं महिला सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर किया. कार्यशाला में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी विरेंद्र कुमार राय एवं अन्य सहकर्मों ने भी भाग लिया. कार्यशाला में जैव विविधता प्रबंधन एवं उसके संरक्षण के महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में मार्ग-दर्शन दिया गया. जैव विविधता रजिस्टर एवं पंचायतों में प्राकृतिक महत्व के भूखंड, वास स्थल, झील, नदी तट, नदी खंड, विलक्षण किस्म के कृषि या बागवानी के स्थल की जानकारी व उनके संरक्षण के कार्य प्रभावी रूप से करने की जानकारी दी गयी. जिले के जैव विविधता एवं जैव विविधता संबंधी स्थानीय पहलुओं कृषि, पशुपालन, मत्सियकी, भौगोलिक परिस्थिति की जानकारी दी गयी. कार्यक्रम में जिले के जैव विविधता प्रबंधन समितियों के कार्य, कर्तव्य एवं दायित्व के बारे में विस्तार से बताया गया. बताया गया कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव के विभिन्न रूप हम मनुष्यों के साथ सभी जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी जैव संपदा द्वारा ही संभव है. जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन में आम नागरिकों की भूमिका अतिआवश्यक है. इसके लिए जैव विविधता प्रबंधन समितियों को आगे आना होगा. आम जनता को जागरूक करना होगा. लोक जैव विविधता पंजी निर्माण की आवश्यकता एवं इसके संधारण प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी.

जैव विविधता प्रबंधन व संरक्षण है आवश्यक

- बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद व वन विभाग ने किया आयोजन
- कहा, जैव संपदा से ही जीवों की आवश्यकता होती पूरी

सहरसा, निज संवाददाता। बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद और वन प्रमण्डल सहरसा द्वारा सोमवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किया गया। जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्षों व सदस्यों का क्षमता विकास किया गया।

कार्यशाला में सहरसा के सात प्रखण्डों कहरा, सत्तरकटैया, नवहट्टा, सौर बाजार, सोनवर्षा, महिषी और पतरघट के अध्यक्ष, सदस्य सचिव, सदस्य एवं सम्बद्ध पंचायतों के अन्य ग्रामीण सहित 84 व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद पटना के संयुक्त निदेशक हेमकान्त राय, उप निदेशक मिहिर कुमार झा, वन प्रमंडल पदाधिकारी भरत चिन्तपल्ली और जिला मत्स्य पदाधिकारी विद्याभूषण दत्त ने दीप प्रज्जवलित कर किया। कार्यशाला में वन क्षेत्र पदाधिकारी विरेन्द्र कुमार राय सहित अन्य थे। कार्यशाला में जैव विविधता प्रबंधन एवं उसके संरक्षण के महत्त्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। जैव विविधता रजिस्टर के बारे में बताया गया और बताया गया कि पंचायतों में प्राकृतिक महत्व के भूखण्ड एवं वास स्थल, झील, नदीतट, नदी खण्ड, विलक्षण किस्म के कृषि या बागवानी के स्थल की जानकारी व उनके संरक्षण के कार्य प्रभावी रूप से किए जाय। सहरसा जिला के जैव विविधिता एवं जैव विविधता संबंधी स्थानीय पहलुओं

सोमवार को प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन करते पटना व सहरसा के अधिकारी।

यथा कृषि, पशुपालन, मत्सियकी, भौगोलिक परिस्थितिकी की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में जिले के जैव विविधता प्रबंधन समितियों के कार्य, कर्तव्य और दयित्व के बारे में विस्तार से बताया। बताया गया कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव के विभिन्न रूप हम मनुष्यों के साथ सभी जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी जैव संपदा द्वारा ही संभव है। जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन में आम नागरिकों की भूमिका अतिआवश्यक है।इसके लिए जैव विविधता प्रबंधन समितियों को आगे आना होगा और आम जनता को जागरूक करना होगा। लोक जैव विविधता पंजी निर्माण की आवश्यकता और इसके संधारण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

जैव विविधता प्रबंधन व संरक्षण वर्तमान परिप्रेक्ष्य जरूरी : मिहिर

- विलुप्त हो रहे पशु पक्षी व अन्न को संरक्षित करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

सहरसा/संवाददाता। बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद को लेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर पंचायत, प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को किया प्रशिक्षित जो अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को जैव विविधता को सुरक्षित व संरक्षित रखने के लिए जागरूक करेंगे। बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद को लेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा सहरसा में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर पंचायत,प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को किया प्रशिक्षित जो अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को जैव विविधता को सुरक्षित व संरक्षित रखने के लिए जागरूक करेंगे। बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के उप निदेशक मिहिर कुमार झा ने बताया कि वन विभाग द्वारा जैव विविधता प्रबंधन एवं संरक्षण को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जिसमे पंचायत, प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष,सचिव एवं सदस्य शामिल हुए। जिसे पटना से आये जैव विशेषज्ञों की टीम के द्वारा इन सभी को प्रशिक्षित किया गया। साथ ही जैव संरक्षण से संबंधित योजनाओं को बारीकी से बताया गया। इस तरह के प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य लोगों को जैव प्रबंधन एवं संरक्षण के संदर्भ में जानकारी देना जिससे वह अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को जैव संरक्षण के प्रति जागरूक करेगा।वहीं कार्यक्रम में शामिल जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी ने भी जैव विविधता प्रबंधन व संरक्षण को वर्तमान परिप्रेक्ष्य कितना जरूरी है को आंकड़ा के अनुसार बताते हुये लोगो को जागरूक करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पहले गंगा नदी में मछलियों का160 प्रजातियां पायी जाती थी जो घटकर 80 हो गया है। वहीं पक्षियों की अनेकों प्रजातियां पाई जाती थी जो अब सिर्फ सहरसा में 170 पक्षियों की प्रजातियां पाई जा रही है।उसी तरह पशुओं की अनेकों प्रजातियां थी जो घट गयी है। वही पहले किसानों के द्वारा अनेकों तरह के फसलों को उगाया जाता था।जो अब लुप्त हो गया। ऐसे में हमलोगों का उद्देश्य है कैसे इन विलुप्त हो रहे वेरायटी को बढ़ाया जा सके और बढ़े हुए वेरायटी को हम संरक्षित कर सकते हैं इसी को लेकर इस तरह के कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

अनुग्रह नारायण कॉलेज,पटना ने बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के साथ किया समझौता

युवाशक्ति न्यूज पटना:अनुग्रह नारायण कॉलेज, पटना ने अपने शैक्षणिक और शोध क्षेत्र में एक और अहम उपलब्धि दर्ज करते हुए बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.यह समझौता शहरी जैव विविधता के शासन और प्रबंधन के क्षेत्र में संयुक्त रूप से कार्य करने के उद्देश्य से किया गया है, जिससे अकादमिक अध्ययन को व्यवहारिक अनुभव से जोड़ा जा सके. इस अवसर पर कॉलेज की प्राचार्या प्रो. रेखा रानी तथा बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष भारत ज्योति,आईएफएस एवं उप निदेशक मिहिर झा की सक्रिय भूमिका और मार्गदर्शन उल्लेखनीय रहा. इस सहयोग के तहत अनुग्रह नारायण कॉलेज की एक विशेष परियोजना टीम गठित की गई है,

जिसमें भूगोल विभाग से डॉ. गौरव सिक्का (प्रधान अन्वेषक), डॉ. भावना निगम (सह-प्रधान अन्वेषक) तथा अर्थशास्त्र विभाग से डॉ. विकाश कुमार (सह-प्रधान अन्वेषक) शामिल हैं. परियोजना साझा लागत के आधार पर संचालित की जाएगी.परियोजना का कार्य चरणबद्ध रूप से किया जाएगा. प्रथम चरण में टीम आरा-बक्सर क्षेत्र में शहरी जैव विविधता के शासन और प्रबंधन से जुड़े विषयों पर अध्ययन और कार्य करेगी. इसके बाद द्वितीय चरण में यह कार्य दरभंगा क्षेत्र में विस्तारित किया जाएगा. यह सहयोग अकादमिक संस्थान और सरकारी बोर्ड के बीच प्रभावी समन्वय का उदाहरण है, जो शोध को ज़मीनी स्तर पर लागू करने, बेहतर योजना और सुदृढ़ प्रबंधन प्रणाली विकसित करने में सहायक होगा. यह समझौता अनुग्रह नारायण कॉलेज, पटना की निरंतर प्रगति और सामाजिक दायित्व के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और कॉलेज की उपलब्धियों में एक और अध्याय जोड़ता है.

जैव विविधता को ले एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित

पत्रकार नगर,खगड़िया, 25 सितम्बर (तरूणमित्र)। बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद एवं वन प्रमंडल बेगुसराय के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन बछौता स्थित एक रिसॉर्ट में किया गया, जिसका उद्घाटन पटना से पधारे पर्षद के संयुक्त निदेशक हेमकांत राय , उप निदेशक मिहिर कुमार झा तथा बेगुसराय के वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिषेक सिंह ने संयुक्त रुप से दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षण कार्यशाला में जिले के खगड़िया प्रक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर गठित जैव विविधता प्रबंध समिति के अध्यक्षों/सचिवों/सदस्यों की क्षमता विकास हेतु कई तकनीकी जानकारियां दी गई। कार्यशाला में खगड़िया, अलौली, मानसी, चौथम, बेलदौर , गोगरी तथा परबत्ता प्रखंड

के अध्यक्ष, सचिव, सदस्य तथा संबंधित पंचायतों के अन्य ग्रामीणों ने विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारियां विस्तृत रुप से प्राप्त किया। कार्यशाला में 135 व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण सामग्रियां भी दी गई। वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, खगड़िया राजकुमार ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। व्यवस्था बनाए रखने में खगड़िया की वन विभाग की कर्मी शिवानी कुमारी कार्यक्रम शुभारंभ से समापन तक विधि व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका का निर्वाह की। बिहार जैव विविधता पर्षद, पटना के संयुक्त निदेशक हेमकांत राय ने कहा आज आवश्यकता है लोगों को जैव विविधता के प्रति जागरूक करने की। उन्होंने जैव विविधता प्रबंधन समितियों के कार्य, कर्तव्य और दायित्व के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव के विभिन्न रूप हम मनुष्यों के साथ साथ सभी जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी जैव संपदाओं द्वारा ही संभव है।

विलुप्त भए रहल पशु-पक्षी आ अन्नक संरक्षण लेल एक दिवसीय कार्यशालाक आयोजन

सहरसा समदिया

बिहार राज्य जैव विविधता परिषद के तत्वावधान में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा सहरसा में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित कएल गेल। एहि कार्यशाला में पंचायत, प्रखंड आ जिला स्तर पर गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) के अध्यक्ष, सचिव आ सदस्य सभ कें प्रशिक्षण देल गेल,जाहि सँ ओ अपन-अपन क्षेत्र में लोकनि कें जैव विविधता के सुरक्षित आ संरक्षित रखबाक लेल जागरूक कए सकथि। बिहार राज्य जैव विविधता परिषद के उप निदेशक मिहिर कुमार झा जानकारी देलनि जे वन विभाग द्वारा जैव विविधता प्रबंधन आ संरक्षण के उद्देश्य सँ एहि कार्यशाला के आयोजन कएल गेल अछि। एहि में पंचायत, प्रखंड आ जिला स्तर पर गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, सचिव आ सदस्य सभ शामिल भेलाह। पटना सँ आएल जैव विशेषज्ञ सभक

» जैव विविधता प्रबंधन आ संरक्षण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यंत जरूरी अछि : मिहिर कुमार झा

टीम द्वारा सभ प्रतिभागी सभ कें प्रशिक्षण देल गेल आ जैव संरक्षण सँ जुड़ल विभिन्न योजनासभ के बारीकी सँ जानकारी देल गेल। उप निदेशक कहलनि जे एहि प्रकारक प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य लोकनि कें जैव विविधता प्रबंधन आ संरक्षण के महत्व सँ अवगत कराबै छी, जाहि सँ प्रशिक्षित सदस्य सभ अपन क्षेत्र में जा कए लोकनि कें जैव संरक्षण के प्रति जागरूक करथि। कार्यक्रम में शामिल जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी सेहो जैव विविधता प्रबंधन आ संरक्षण के

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महत्ता पर प्रकाश डालैत आंकड़ा सभक माध्यम सँ लोकनि कें जागरूक करबाक प्रयास केलनि। ओ कहलनि जे पहिने गंगा नदी में माछली के लगभग 160 प्रजाति पायल जाइत छल, जे आब घटि कए लगभग 80 रहि गेल अछि। ओही तरह पहिने पक्षी के अनेक प्रजाति पायल जाइत छल, मुदा आब सहरसा जिला में मात्र करीब 170 प्रजातिक पक्षी पायल जाइत अछि। पशु के सेहो अनेक प्रजाति धीरे-धीरे घटि गेल अछि। ओ आगे कहलनि जे पहिने किसान सभ अनेक प्रकारक फसल उपजैत छलाह, मुदा आब बहुत-सी फसल विलुप्त भय गेल अछि। एहन स्थिति में हम सभक उद्देश्य अछि जे विलुप्त भय रहल प्रजाति आ किस्म सभ कें कोन तरह सँ बढ़ायल जा सकै आ जे बाँचल अछि, ओकर संरक्षण कोन प्रकारे कएल जा सकै। एहि उद्देश्य सँ एहन कार्यशाला के आयोजन कएल गेल अछि।

दैनिक भास्कर सहरसा-मधेपुरा / सुपौल भास्कर 20-12-2025

कार्यक्रम • उदाकिशुनगंज में जैव विविधता संरक्षण पर कार्यशाला का आयोजन

जैव विविधता की पहचान, संरक्षण और संवर्धन को लेकर किया गया जागरूक

भास्कर न्यूज | उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)

अनुमंडल मुख्यालय स्थित मां सरिता विवाह भवन में शुक्रवार को जैव विविधता संरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

यह कार्यक्रम जैव विविधता अधिनियम के तहत जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने की प्रक्रिया, उसके उद्देश्य और महत्व पर केंद्रित रहा। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर जैव विविधता की पहचान, संरक्षण और संवर्धन को लेकर जन-जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम में बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना के उपनिदेशक मिहिर कुमार झा ने जैव विविधता अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के विशिष्ट जैविक, भौगोलिक एवं पारिस्थितिक महत्व वाले क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया जा सकता है। ऐसे स्थल वन्यजीव, वनस्पति, भू-आकृतिक संरचनाओं, जलस्रोतों, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय जैव संसाधनों के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक हेमकांत राय एवं बिहार ग्रामीण बैंक के प्रतिनिधि मैनेजर सत्यजीत सुमन ने कहा कि जैव विविधता विरासत स्थल घोषित होने से न केवल क्षेत्र की पारिस्थितिकी को संरक्षण मिलता है, बल्कि स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता भी सुनिश्चित होती है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में प्राथमिक सर्वेक्षण, स्थानीय संस्थानों व विधि द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन तथा जैव विविधता परिषद के तकनीकी सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्यशाला में यह भी बताया गया कि बिहार में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां जैव विविधता समृद्ध है, लेकिन उनकी विधिवत पहचान नहीं हो सकी है।

कार्यक्रम का उद्घाटन करते अतिथि।

Students gave message of conservation through paintings on Biodiversity Day

OUR CORRESPONDENT

PATNA: A state-level painting and photography competition was organized at Sanjay Gandhi Biological Park on occasion of International Biodiversity Day 2025 on Monday. Altogether 1165 students from 24 government and non-government schools of Patna district participated in this event. The objective of this competition organized by Bihar State Biodiversity Council was to make students aware of the importance of biodiversity and to make them aware of its conservation.

The competition was divided into three categories. Students of Group-A (class 1 to 4) painted on the topic "Birds around me", students of Group-B (class 5 to 8) on "Life in Water" and for Group-C (class 9 to 12) on "Biodiversity: Why is it necessary in urban areas?"

In the painting competition, 398 students from Group-A, 506 from Group-B and 261 students from Group-C participated. All the participants presented beautiful and creative pictures depicting the importance of biodiversity.

Altogether 179 students from class 1 to 12 participated in the photography competition. They took pictures of various trees, flowers, animals and natural sites of Sanjay Gandhi Park and uploaded them on the council's website.

Bharat Jyoti, Chairman, Biodiversity Board, said that the winners of first, second and third place in each category under the competition will be selected by an expert jury. Apart from this, two consolation prizes will also be given.

Member Secretary, Biodiversity Board, S Chandrashekhar said that all the winners will be awarded in the main function organized at Sanjay Gandhi Biological Park on the occasion of International Biodiversity Day on May 22, 2025. The Secretary said that this event is organized to increase awareness about biodiversity among the common people.

On this occasion, senior artist, Shyamal Das said that he has been participating in this event for the last four years. This time it is felt that awareness about biodiversity is increasing among the younger generation, he added.

संजय गांधी जैविक उद्यान में राज्य जैव विविधता पर्षद के कार्यक्रम में बोले वनमंत्री

वन क्षेत्र में फलदार पौधे लगाकर हरियाली बढ़ाएं, फल आपके होंगे

शहरीकरण के नाम पर बड़ी संख्या में कटे हैं पेड़

जैव विविधता विषय पर निबंध लिख राजधानी जलाशय देखने पहुंचे बच्चे

करना होगा जैव विविधता का संरक्षण

जागरण संवाददाता, पटना : कृषि और बागवानी के क्षेत्र में लुप्त हो रही जैव विविधता का संरक्षण करना होगा। बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्य योजना बना रहा है। इसी उद्देश्य से कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में बिहार राज्य जैव विविधता रणनीति एवं कार्ययोजना पर कार्यशाला का आयोजन बुधवार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर मुख्यालय में किया गया।

इसमें कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि राज्य में कृषि से जुड़ी चुनौतियों की पहचान करना आवश्यक है। इसके समाधान के लिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। कतरनी, मर्चा, सोनाचूर, गोविंद भोग (धान), चिनिया व मालभोग (केला), शाही लीची, दूधिया मालदा व दीघा (आम) तथा जामुन जैसे स्थानीय फसलों एवं फलों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शोधकर्ताओं को किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार उत्तम किस्मों के बीजों का विकास करना चाहिए, ताकि टिकाऊ कृषि का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के अध्यक्ष भरत ज्योति जैव विविधता रणनीति व कार्य योजना के सूत्रण पर संक्षिप्त प्रकाश डाला। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के निदेशक डा. विकास दास ने कृषि जैव विविधता के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भूमिका को रेखांकित किया। आइसीएआर पूर्वी क्षेत्र के निदेशक डा. अनुप दास ने कहा कि हमारा संस्थान बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के साथ मिलकर जैव विविधता के संरक्षण एवं सुधार के लिए सतत और समुचित उपयोग के लिए कार्य करेगा। आइसीएआर पूर्वी के कार्यवाहक निदेशक डा. आशुतोष उपाध्याय, राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, के प्रधान वैज्ञानिक डा. संजय सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक तन्मय कुमार कोले, डा. कुमारी शुभा समेत कार्यक्रम में 75 अधिकारियों ने भाग लिया।

कार्यशाला में उपस्थित कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल व अन्य • जागरण

कैनवास पर बच्चों ने उकेरे प्रकृति के विविध रंग

चिड़ियाघर में आयोजित प्रतियोगिता में चित्र बनाती छात्राएं • जागरण

जागरण संवाददाता, पटना : एक हजार से अधिक बच्चों ने जब कूची थामी और कैनवास पर प्रकृति के विविध रंग उकेरे तो यह नजारा देखने लायक था। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर संजय गांधी जैविक उद्यान में सोमवार को राज्यस्तरीय चित्रांकन एवं फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

इस मौके पर स्कूली बच्चों ने जैव विविधता से संबंधित तस्वीरें बनायीं। कक्षा एक से चार तक के बच्चों ने 'चिड़ियां मेरे आसपास' विषय पर तस्वीरें बनाईं। तस्वीर के माध्यम से दिखाया कि पक्षी हमारे आसपास ही रहते हैं। कक्षा पांच से आठ तक के छात्र-छात्राओं ने 'जल में जीवन' तथा कक्षा नौ से 12वीं के विद्यार्थियों ने "जैव विविधता : शहरी क्षेत्र में जरूरी क्यों? विषय पर चित्रांकन किया।

22 मई को विजेताओं को किया जाएगा पुरस्कृत

अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर संजय गांधी जैविक उद्यान में चित्रांकन एवं फोटोग्राफी प्रतियोगिता

चित्रांकन प्रतियोगिता में पटना जिले के 24 सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के 1165 विद्यार्थियों ने भाग लिया। बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों को जैव विविधता के महत्व से अवगत कराना एवं उसके संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना था। चित्रांकन प्रतियोगिता में ग्रुप ए से 398, ग्रुप बी से 506 और ग्रुप सी से 261 छात्र-छात्रों ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों ने जैव विविधता की महत्ता को दर्शाते हुए सुंदर एवं रचनात्मक चित्र प्रस्तुत किए।

चिड़ियाघर में आयोजित चित्रांकन प्रतियोगिता में शामिल बच्चे • जागरण

12 प्रचार-प्रसार एवं प्रकाशन

(क) प्रचार–प्रसार–

(i) जैव विविधता की महत्ता एवं जैव संसाधनों के संरक्षण सम्बन्धी जानकारी आमजनों तक पहुँचाने हेतु निम्न अवसर पर समाचार पत्रों में जानकारी प्रकाशित करायी गयी है :–

- विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून, 2025)
- बिहार पृथ्वी दिवस (9 अगस्त, 2025)
- मानवाधिकार दिवस (10 दिसम्बर, 2025)

(ii) राज्य के स्थानीय जैव विविधता प्रबन्धन समितियों की जानकारी हेतु जैव विविधता अधिनियम तथा नियमावली के संदर्भित प्रावधान की जानकारी हेतु समाचार पत्रों में जानकारी का प्रकाशन।

(iii) जैविक उत्पादों एवं संसाधनों के व्यापार से जुड़े व्यक्तियों की जानकारी हेतु जैव विविधता अधिनियम तथा नियमावली के सुसंगत प्रावधानों की जानकारी का समाचार पत्रों में प्रकाशन।

(iv) पशुधन जैव विविधता पर डक्यूमेन्ट्री फिल्म तैयार करा लिया गया है।

(ख) प्रकाशन– **''वनों से बाहर भी वास करने वाले वन्य जन्तु– सरंक्षण संदर्भ''** प्रकाशन हेतु मुद्रित करा लिया गया है।

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्

जैव विविधता अधिनियम, 2002 अंतर्गत वैधानिक निकाय

बिहार सरकार

विश्व पर्यावरण दिवस 2025

World Environment Day 2025

Ending Global Plastic Pollution वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना।

प्लास्टिक प्रदूषण से जैव विविधता एवं पारितंत्र की हानि

- प्राकृतिक अधिवासों पर संकट
- नदी, झील एवं आद्र भूमि की जैव विविधता का क्षय
- प्लास्टिक प्रदूषण से मिट्टी, जल एवं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर दुष्प्रभाव
- माइक्रोप्लास्टिक से खाद्य श्रृंखला पर कुप्रभाव
- कीट-पतंगों तितलियों, मधुमखियों, पक्षियों और वन्य जंतुओं के जीवनचक्र के लिए घातक
- वनस्पति विविधता के लिए हानिकारक

पर्यावरण बिगड़ने का प्रमुख कारण - जैव विविधता का मानवजनित क्षरण

जैविक विविधता की पर्यावरण हितकर भूमिका

- ✓ पारिस्थितिकी संतुलन और पुनर्स्थापन
- ✓ जल संसाधनों की सुरक्षा और स्थायित्व
- ✓ प्रदूषण पर बेहतर नियंत्रण
- ✓ भूमि क्षरण की रोकथाम, मिट्टी की सुनिश्चित उर्वरता
- ✓ जलवायु परिवर्तन का शमन
- ✓ जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने में सहायता
- ✓ खाद्य उत्पादन संसाधनों की सुरक्षा
- ✓ स्वास्थ्यवर्धक वातावरण और परिवेश

जैव विविधता का संरक्षण - पर्यावरण सुधार का प्रभावी साधन

आइये! प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम के लिए संकल्पित हो और साथ ही निम्न कार्यों द्वारा जैव विविधता का संरक्षण कर पर्यावरण सुधार में सहभागी बनें

- नदियों, झीलों, पहाड़ियों जैसे प्राकृतिक स्थल का प्रदूषण और अतिक्रमण से संरक्षण
- पक्षियों और उनके वास स्थलो की रक्षा
- विविध पेड़-पौधों की रक्षा और तब तक नहीं काटना जब तक कि अत्यंत आवश्यक न हो
- प्राकृतिक विरासत को संजोने की संवेदनाशीलता
- जंगलों और निर्जन क्षेत्रों में रहने वाले जंगली जानवरों का संरक्षण और उनके प्रति सहिष्णुता
- आहार में विविधता और देशज अनाज, फल, शाक-सब्जी को अपने भोजन में सम्मलित रखना
- सिंगल यूज एवं नन-डिग्रेडेबल प्लास्टिक से परहेज एवं जैविक संसाधनों से निर्मित सामग्रियों को बढ़ावा

पर्यावरण संरक्षण का संदेश!
परिपूर्ण जैव विविधता, स्वच्छ परिवेश!!

PR. No. 005191 (B & C) D. 2025-26

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्

(जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत गठित वैधानिक निकाय)

बिहार सरकार

जैविक उत्पादों एवं संसाधनों के व्यापारियों के लिये सूचना

सं.–04, तिथि–10.03.2025

(1) जैव विविधता अधिनियम 2002, (संशोधन–2023) की धारा–7 तथा धारा–21 के अर्न्तगत एवं उक्त अधिनियम की धार–64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिसूचित जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बाँटना विनियम, 2014 के अनुसार नीचे कण्डिका (2) में उल्लेखित वनस्पतिकीय जैविक संसाधन/उत्पादों, (जिनका उपयोग औषधि, सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य एवं पोषण सामग्रियों इत्यादि के रूप में अथवा उनके उत्पादन में होता है) के वाणिज्य व्यापार (खरीद–बिक्री, संग्रहण, भण्डारण, प्रसंस्करण, गुणवत्ता संवर्द्धन एवं आपूर्ति) एवं संबद्ध क्रिया–कलापों के सम्बन्ध में निम्नांकित नियामक प्रावधान है:–

(i) वाणिज्यिक प्रयोजन से नीचे कण्डिका (2) में उल्लेखित विनियमित जैविक संसाधनों तक पहुँच एवं प्राप्ति (संग्रहण एवं संबद्ध क्रिया–कलाप) के लिये सम्बन्धित व्यापारी द्वारा बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद को पूर्व सूचना दिया जाना अनिवार्य है।

(ii) पंचायतों के अधिकारिता क्षेत्र से संग्रहित विनियमित जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक संग्रहण एवं विपणन से व्यापारी के फायदा को जैव विविधता प्रबन्ध समिति से बाँटना बाध्यकारी है।

(iii) पंचायत क्षेत्र से इन जैविक संसाधनों का वाणिज्यिक संग्रहण इस प्रकार सुनियोजित रूप से हो ताकि उनकी सतत् उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव या उनके संकटापन्न होने की आशंका न हो, जैव विविधता प्रबन्धन समिति को ऐसा सुनिश्चित करने तथा इस प्रयोजनार्थ संकटापन्न प्रजाति के वनस्पतियों से जैविक संसाधनों/उत्पादों के वाणिज्यिक संग्रहण को निषिद्ध करने की जिम्मेवारी या अधिकार प्रदत्त है।

(2) विनियमित वनस्पतिकीय जैविक संसाधन/उत्पाद की विवरणी:–

जैव विविधता अधिनियम 2002 (संशोधन–2023) की धारा–40 के तहत अधिसूचनाओं (2016 एवं 2017) द्वारा अधिनियम के प्रभाव से विमुक्त घोषित कुल 421 वनस्पतिकीय जैविक संसाधनों (विनिर्दिष्ट पादप भाग - Plant Parts) को छोड़कर शेष अन्य सभी जैविक संसाधन/उत्पाद जैव विविधता अधिनियम के अन्तर्गत विनियमित श्रेणी में हैं। **421 वनस्पतिकीय जैविक संसाधनों की सूची पर्षद् के Website – https://bsbb.bihar.gov.in/ पर अथवा 'सूचना' पर अंकित QR कोड को स्कैन कर देखा जा सकता है।**

ज्ञातव्य है कि काली मूसली (Curculigo orchiodes), मरोड़ फली (Helicteres isora), अनंतमूल (Hemidesmus indicus), कालमेघ (Andrographis paniculata), सतावर (Asparagus racemosus), कौंच (Mucuna pruriens), कुटज (Holarrhena antidysenterica), पाटला (Stereospermum suaveolens), अर्जुन (Terminalia arjuna), अग्रिमन्था (Premna integrifolia) वैसे जैविक वनस्पतिकीय संसाधन हैं जो विमुक्त 421 जैविक संसाधनों की श्रेणी में नहीं हैं, एवं इनपर कंडिका (1) में उल्लेखित जैव विविधता अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं।

(3) एतद्वारा ऐसे सभी व्यापारियों को, जो उपर्युक्त कण्डिका (2) में उल्लेखित जैविक उत्पादों का व्यापार करते हैं या करना चाहते हों, सूचित किया जाता है कि इस विषय में प्रासंगिक जैविक संसाधन अर्थात् वनस्पति–पेड़–पौधे से संग्रहित उत्पाद के नाम, स्रोत स्थान का पंचायत, क्रय स्थान एवं/अथवा भण्डारण स्थान का पंचायत एवं मात्रा का अवधिवार विवरण इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 01 माह की अवधि में निम्नांकित कण्डिका (4) में अनुदेश के अनुसार उपलब्ध करायी जाय।

(4) उपर्युक्त के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना निम्न पदाधिकारियों को दी जाय।

(i) बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद को निम्नांकित पते पर:–
सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, चतुर्थ मंजिल, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड परिसर, शास्त्रीनगर, पटना–800023, (यह सूचना इ–मेल द्वारा भी **bdbihar@bihar.gov.in** पर प्रेषित की जा सकती है।)

(ii) सम्बन्धित जिले के वन प्रमण्डल पदाधिकारी।

(iii) सम्बन्धित पंचायत के पंचायत सचिव।

(5) ज्ञातव्य हो कि उपर्युक्त अनुदशों एवं अधिनियम की सम्बद्ध धाराओं का उल्लघंन जैव विविधता अधिनियम, 2002 (संशोधन–2023) की धारा–55, 56 एवं 57 के तहत् दण्डनीय अपराध है।

(एस० चन्द्रशेखर)
सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।

PR. No. 21519 (B & C) 2024-25

जैव विविधता–बेहतर संतुलन, स्वस्थ पारितंत्र, संरक्षित पर्यावरण, सुरक्षित जीवन
जैव विविधता अधिनियम के प्रावधानों का पालन कर जैव विविधता संरक्षण में योगदान करें।

बिहार पृथ्वी दिवस

9 अगस्त 2025

बिहार सरकार

जैव विविधता - पृथ्वी की अनमोल धरोहर

बिहार की धरती जैव विविधता से परिपूर्ण रही है।

नदी, झील, ताल, वन, पठार, पहाड़ एवं वन्य तथा जलीय जीव-जन्तु और पक्षियों की विविधता से बिहार की धरा बहुरंगी है।

साथ ही, विभिन्न प्रकार के पशुधन, मछलियाँ, खेती-बाड़ी और बागवानी बिहार में जैव विविधता को संपन्न बनाते हैं।

विगत दशकों में विभिन्न कारणों से इस समृद्ध जैव-विविधता का काफी नुकसान हुआ है।

जैव-विविधता का संरक्षण और संवर्धन करना आज की आवश्यकता है।

पर्यावरण, पारितंत्र एवं जैव-विविधता संरक्षण के सात सूत्र

नदियों का संरक्षण, प्रदूषण से बचाव, सूखी नदियों एवं धाराओं को पुनर्जीवित करना, झील, ताल, मन एवं आद्रभूमि का संरक्षण

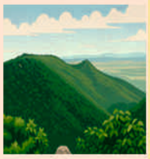

प्राकृतिक वन क्षेत्रों का संरक्षण एवं संवर्धन, पेड़-पौधों, लताओं, जड़ी-बूटी के संकटग्रस्त प्रजातिओं का संरक्षण, अतिक्रमण, अग्निक्षति एवं अतिशय दोहन से बचाव

जलीय जन्तुओं - डाल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ, उदबिलाव, कछुआ-कुर्म का संरक्षण एवं इनके वास क्षेत्रों को प्रदूषण एवं अन्य हानिकर प्रक्रियाओ से बचाव

वन्य जीव-जन्तुओं का संरक्षण, अवैध शिकार तथा व्यापर से बचाव, उनके अधिवास का बेहतर प्रबंधन तथा मानव- वन्य जीव द्वन्द का समंजस्यपूर्ण निदान

स्थानीय तथा प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा, शिकार तथा अवैध व्यापार की रोकथाम, पक्षियों के अधिवासों की सुरक्षा

कृषि, बागवानी, पशुधन प्रबन्धन में हाइब्रिड किस्मो तथा नस्लों के साथ-साथ उपयोगी स्थानिक एवं देशज प्रजातियों के विकास तथा संरक्षण को प्रोत्साहित करना

शहरी एवं उपनगरीय क्षेत्रों में बचे हुए प्राकृतिक स्थलों, हरित आवरण, जलीय निकायों का संरक्षण एवं बेहतर प्रबन्धन

प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण – हमारी साझा जिम्मेदारी।

समाज और सरकार के विभिन्न अंगों की पारस्परिक प्रयासों से सुसंगत जैव विविधता और संतुलित पारितंत्र का लक्ष्य प्राप्त करना है।

इस अभियान में हर नागरिक अपने जीवन शैली में आवश्यक परिवर्तन और अन्य अवसरों पर उपयुक्त पहल और सक्रिय योगदान कर सकते हैं।

जै व वि वि ध ता : संरक्षित पर्यावरण, स्वस्थ परितंत्र, समृद्ध जीवन, बेहतर संतुलन

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद द्वारा जनहित में प्रकाशित

PR No.- 011125 (B&C)D. 2025-26

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्
(जैव विविधता अधिनियम–2002 के अंतर्गत गठित वैधानिक निकाय)
Bihar State Biodiversity Board
(A Statutory Body of constituted under Biological Diversity Act. 2002)

प्रेस विज्ञप्ति

विश्व पर्यावरण दिवस (05 जून,2025) के अवसर पर जन जागृति हेतु बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् द्वारा पूर्व संध्या पर एक ''संवाद कार्यक्रम'' आयोजित की गयी जिसमें पर्षद् के अध्यक्ष, ई० एस० के० साहू, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता तथा पूर्व सदस्य केन्द्रीय जल आयोग, पर्षद् के पदाधिकारी तथा आठ जैव विविधता इन्टर्न्स एवं विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा भाग लिया गया।

संगोष्ठी में **विश्व पर्यावरण दिवस–2025** के अवसर पर घोषित थीम ''प्लास्टिक प्रदूषण को हराना'' (Beat Plastic Pollution) पर इन्टर्न्स द्वारा दिये गये प्रस्तुतिकरण में प्लास्टिक प्रदूषण से हमारे पर्यावरण पर पड़ रहे कुप्रभावों तथा उसके कारण जलीय जीवों एवं मानव जीवन के स्वस्थ्य पर पड़ रहे असर पर प्रकाश डाला गया। प्लास्टिक कचरा/अपशिष्ट हमारे घरों से निकलकर नाले से बहकर आस–पास की नदियों एवं यहां तक कि समुद्री जीवन और उनके पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट के पूर्णतः प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होने तथा उनके 20–30% ही पुनर्चक्रण हो पाने के कारण उनके छोटे–छोटे कण (microplastic) हमारे भोजन, पानी और यहां तक की हमारे शरीर में भी प्रवेश कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ संबंधी कई बीमारियाँ हो रही हैं।

पर्षद् के अध्यक्ष द्वारा सभा को संबोधित करते हुए रोजमर्रा की जिन्दगी में प्लास्टिक के कम–से–कम उपयोग पर बल दिया गया। प्लास्टिक थैले को न कह, कपड़े के थैले का ही उपयोग करने की सलाह दी गयी। ई० एस० के० साहू द्वारा प्लास्टिक कचरे से जल श्रोतो के प्रदूषण पर चर्चा की गयी तथा उसके रोक हेतु प्लास्टिक अवशिष्ट के अधिक–से–अधिक मात्रा में पुनर्चक्रण आवश्यक है।

सभा द्वारा सर्वसम्मति से प्लास्टिक से हो रहे प्रदूषण को रोकने हेतु जागरूकता के साथ–साथ अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने तथा कचरा निष्पादन में भी सजग रह कर गीले, प्लास्टिक एवं अन्य सूखे अपशिष्ट को अलग–अलग रखने तथा सरकारी एवं सार्वजनिक प्रयासों में सहयोग करने पर सम्मति व्यक्त की गयी।

पर्यावरण संरक्षण का संदेश !
परिपूर्ण जैव विविधता, स्वच्छ परिवेश!!

Page **1** of **1**

परिशिष्ट-1

बिहार राज्य में ''जैव विविधता विरासत वृक्षों की घोषणा कार्यक्रम'' का दिशा–निर्देश

प्रत्येक वृक्ष स्वयमेव प्राकृतिक निधि है। वृक्षों की विशिष्टता एवं इनकी लाभकारी स्वभाव की विविधता इन्हें बहुगुणी एवं बहु–उपयोगी बनाती हैं। विभिन्न प्रकार के उत्पादों (काष्ट, फल–फूल, पत्ते, रेशे, गोंद एवं रेसिन इत्यादि) के साथ–साथ प्राकृतिक मूल्यों के प्रतिरक्षण, पारितंत्र के संतुलन तथा पर्यावरणीय संरक्षण में इनकी महत्वपूर्ण उपादेयता सर्वविदित है।

साथ ही स्वास्थ्य सम्बन्धी, मनोचिकित्सीय तथा सांस्कृतिक पहलुओं से भी वृक्षों का मूल्य अद्वितीय है।

ज्ञातव्य है कि प्रकृति सम्बन्धी संरक्षण विषयों में जैव विविधता के अवयव एवं इनसे जुड़े गुण आज के पर्यावरणीय परिवेश में अतिमहत्वपूर्ण हैं।

जैविक तंत्र में वृक्षों की विभिन्न प्रजातियाँ जैव विविधता को विविध रूप से पोषित और संरक्षित करती हैं। एक स्थापित वृक्ष या वृक्षों के समूह भी जैव विविधता के लघु अधिवास (micro habitats) होते हैं। इनमें जमीन के नीचे जड़ों के साथ मिट्टी में, वृक्ष के तने, शाखाओं तथा पत्तों के आच्छादन एवं इनके संलग्न वातावरण में जैव विविधता सम्पोषित और संवर्धित होती है। लम्बी आयु के वृक्षों में स्थानीय जैव–भौतिकीय परिस्थितियों के अनुरूप वानस्पतिक तथा जन्तुओं में सूक्ष्म तथा छोटे–बड़े जीवों की यथेष्ट विविधता रहती है।

भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून द्वारा प्रकाशित **भारत राज्य वन रिर्पोट (2021)** के अनुसार बिहार राज्य में वनाच्छादन 7.84 प्रतिशत भू–भाग में है, जबकि वनों के बाहर वृक्षाछादन का स्वरूप 5.19 प्रतिशत भू–भाग में उपलब्ध है। वनों के बाहर वृक्षाछादन को सतत रूप से यथा व्यावहारिक बढ़ाने का भी लक्ष्य है। इनके अलावे नदी तथा झील इत्यादि से सम्बद्ध जलीय एवं आद्रभूमि के क्षेत्र लगभग 7 प्रतिशत भू–भाग में अवस्थित हैं। दिसम्बर 2022 में मॉन्ट्रियल (कनाडा) में आयोजित **संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन** में वर्ष 2030 तक प्रत्येक स्वरूप के पारितंत्र वाले भू–भाग के कम से कम 30% अंश को जैव विविधता के संरक्षण, पुनर्स्थापन एवं संवर्धन के लिए समर्पित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बिहार राज्य की घनी आबादी तथा कृषि एवं अनुषांगी भूमि उपयोग वाले राज्य में जैव विविधता के हितों के सुसाध्यीकरण में जैव विविधता विरासत वृक्षों, जो बहुसंख्य एवं विस्तीर्ण रूप से उपलब्ध हैं, की महती भूमिका का संज्ञान वांछित है।

अतएव जैव विविधता के संरक्षण हेतु तथा इनसे जुड़े भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के संदर्भ में लम्बी आयु एवं अन्य विशिष्ट गुणों से युक्त वृक्षों की पहचान कर उनके संरक्षण हेतु विशेष उपाय करना वर्तमान पारिस्थितिकीय समझदारी के अनुसार एकाधिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अनिवार्य आवश्यकता है। जहाँ वृक्षारोपण तथा अवकृष्ट वनों का पुनर्स्थापन एवं पुनरूद्धार वांछित है, वहीं गैर–वन क्षेत्रों में पुराने, विशालकाय तथा विशिष्ट गुणों वाले पेड़ों–दरख्तों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रकृति के प्रति संवेदना के साथ बचाये रखना भी उतना ही आवश्यक है। बिहार राज्य में अति घनी आबादी तथा आर्थिक प्रगति, औद्योगीकरण, शहरीकरण तथा अवसंरचना विस्तार की प्रक्रियाओं के कारण प्राकृतिक पारितंत्र पर स्वाभाविक प्रतिकूल प्रभावों के प्रतिकार के विविध उपायों में ऐसे वृक्षों, जो राज्य के गैर–वन क्षेत्र में विस्तीर्ण रूप से अवस्थित हैं, उनका सुनियोजित प्रतिरक्षण भी एक प्रभावकारी उपाय है।

इन सब तथ्यों को ध्यान में रखकर बिहार राज्य में **''जैव विविधता विरासत वृक्षों की घोषणा कार्यक्रम''** संचालित किया जा रहा है। इस प्रयोजनार्थ बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद की अनुशंसा पर विचार करते हुए **जैव विविधता विरासत वृक्षों को चिन्हित कर घोषित करने की प्रक्रिया तथा ऐसे घोषित वृक्षों के संरक्षण इत्यादि के सम्बन्ध में निम्नांकित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं:–**

(1) गैर–वन क्षेत्र में जैव विविधता विरासत वृक्षों को चिन्हित एवं घोषित किया जाना:–

बिहार राज्य में प्रादेशिक वन क्षेत्र से बाहर के सभी प्रकार की भूमि (अधिसूचित वन सहित) पर अवस्थित वृक्षों से जैव विविधिता विरासत वृक्षों के चयन के प्रावधान निम्नवत् होंगे :–

(क) जैव विविधता विरासत वृक्षों को स्थानीय स्वशासी निकायों (ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम) के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय, सार्वजनिक/सामुदायिक या अभिरक्षा के अन्य भूमि में अथवा निजी भूमि में अवस्थित वृक्षों को उल्लिखित चयन के मानक के आधार पर चिन्हित किया जा सकता है। निजी भूमि के मामले में इसके लिये सम्बन्धित स्वत्वधारी से सहमति लेना अपेक्षित होगा।

- (i) ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित ग्राम पंचायत की जैव विविधता प्रबन्धन समिति द्वारा विरासत वृक्षों का चयन कर उन्हें जन जैव विविधता रजिस्टर में अंकित किया जाएगा। तदोपरांत इसकी सूचना (प्रपत्र–I) के साथ जिले से सम्बन्धित वन प्रमण्डल पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायगी।
- (ii) शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम के जैव विविधता प्रबन्धन समिति द्वारा विरासत वृक्षों का चयन कर उन्हें जन जैव विविधता रजिस्टर में अंकित किया जाएगा। तदोपरांत इसकी सूचना प्रपत्र–I के साथ सम्बन्धित वन प्रमण्डल पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायगी।

(ख) राजकीय विभागों/प्राधिकारों/संगठनों/संस्थानों/लोक उपक्रम के द्वारा अपने परिसर या अभिरक्षा की भूमि में अवस्थित वृक्षों को उल्लिखित चयन के मानक के आधार पर पहचान कर इसकी सूचना प्रपत्र–I के साथ सम्बन्धित वन प्रमण्डल पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायगी।

(ग) प्राइवेट/गैर राजकीय संस्थान/संगठन/फर्म/कम्पनी इत्यादि द्वारा भी अपने परिसर या अभिरक्षा की भूमि में अवस्थित वृक्षों को उल्लिखित चयन के मानक के आधार पर पहचान कर इसकी सूचना प्रपत्र–I के साथ सम्बन्धित वन प्रमण्डल पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जा सकती है।

(घ) सम्बन्धित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा (क)/(ख)/(ग) के अंतर्गत प्राप्त सूचना में पहचान/चयन किये गये वृक्षों के सम्बन्ध में भौतिक सत्यापन कर अपनी अनुशंसा के साथ इसके सम्बन्ध में प्रतिवेदन (प्रपत्र–II) सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् को उपलब्ध कराया जायगा।

(च) सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् द्वारा ऐसे प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में आवश्यकता अनुसार अपने स्तर से तथ्यों की संपुष्टि कर राज्य जैव विविधता पर्षद् का अनुमोदन प्राप्त कर जैव विविधता विरासत वृक्षों को घोषित किया जायेगा।

(छ) उपर्युक्त प्रक्रिया के अलावे बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् द्वारा विशेष अभियान के तहत अथवा अन्य रूप से प्राप्त तथ्य विवरणी के आधार पर इस दिशा–निर्देश के मानक के अनुरूप वृक्षों को चिन्हित/चयनित कर उन्हें सम्बन्धित स्थल के प्रशासी प्राधिकार की सहमति से विरासत वृक्ष घोषित किया जा सकता है।

(2) जैव विविधता विरासत वृक्षों के पहचान एवं चयन के मानक तथा इनकी सूचना के सम्बन्ध में विवरणी का प्रपत्र –

(क) चयन के मानक:–

- (i) वृक्ष की आयु– सामान्यतः 3 पीढ़ी अर्थात् 75 वर्ष से अधिक हो।
- (ii) वृक्ष, आयु अथवा आकृति में विलक्षण विशिष्टता से युक्त हो।

(iii) वृक्ष, पौराणिक घटनाओं, ऐतिहासिक अवसरों, महत्वपूर्ण घटनाओं, अतिविशिष्ट व्यक्तियों, स्मारकों, सांस्कृतिक अथवा धार्मिक परम्पराओं (Sacred grove सहित) एवं मान्यताओं से जुड़ा हो।

(iv) वृक्ष, विलुप्त हो रही प्रजाति का हो या इनका प्रजनन नहीं हो रहा हो, अथवा भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित संकटापन्न प्रजातियों की सूची मे सम्मिलित हो, अथवा वृक्ष प्रजाति प्रथम बार पहचानी गयी हो।

(v) ऐसा वृक्ष जो किन्हीं संकटापन्न प्रजाति के पक्षी या जन्तु का अधिवास हो।

(vi) ऐसा वृक्ष जो अपनी प्रजाति की तुलना में विशेष किस्म के रूप में विकसित किया गया हो अथवा जिसमें सामान्य गुणों की तुलना में विलक्षण गुण प्रदर्शित हो रहा हो।

(vii) वृक्ष, किन्हीं वैज्ञानिक और शोध की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो।

उपरोक्त मानकों में से कोई एक या अधिक मानक युक्त वृक्ष को विरासत वृक्ष के रूप में चयनित किया जा सकता है।

निर्धारित मानकों के आलोक में प्रत्येक प्रस्तावित वृक्ष के लिए निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक–1) में सूचनाओं का संकलन किया जायेगा।

(3) घोषित जैव विविधता विरासत वृक्षों का नामकरण, पहचान संख्या तथा उनके संरक्षण इत्यादि की व्यवस्था –

(i) एक जिले में उपब्धता के आधार पर बहुसंख्य विरासत वृक्ष घोषित किये जा सकते हैं। ऐसे जैव विविधता विरासत वृक्षों को **''(जिला का नाम) जिला (प्रजाति का नाम) विरासत वृक्ष** की संज्ञा प्रजातिवार दी जायगी (जैसे– रोहतास जिला बरगद विरासत वृक्ष)। इसी के साथ ऐसे घोषित वृक्षों के सुव्यवस्थित अभिलेख संधारण हेतु पहचान संख्या (Biodiversity Heritage Tree ID) दी जायेगी जिसका निर्धारण जैव विविधता पर्षद् द्वारा युक्तिसंगत कोडिंग द्वारा की जायगी।

(ii) इसका जन–प्रचार, स्थल पर सूचना पट्ट द्वारा वृक्ष की पहचान संख्या इत्यादि एवं वृक्ष की विशेषताओं के विवरण के साथ किया जाएगा। साथ ही जिले के विभिन्न उपयुक्त प्रकाशनों में यथा–कार्यक्रमों, योजनाओं के प्रतिवेदन इत्यादि, कॉफी टेबुल बुक, पर्यटन एवं अन्य विभिन्न लोक आयोजनों के ब्रॉशरों में उपयुक्त रूप से इनको सम्मिलित किया जा सकता है।

(iii) जिले में घोषित विरासत वृक्षों की अभिरक्षा तथा उनका संरक्षण जिला पर्यावरण समिति के मार्ग दर्शन में वृक्षों के स्थल के प्रशासनिक विभाग/संगठन/ प्राधिकार/स्थानीय निकाय द्वारा किया जायगा। सार्वजनिक/सामुदायिक तथा स्थानीय निकायों की भूमि पर उपलब्ध घोषित विरासत वृक्षों की अभिरक्षा एवं उनके संरक्षण का कार्य **संबंधित जैव विविधता प्रबन्धन समितियों** द्वारा किया जायगा।

(iv) घोषित विरासत वृक्षों के रख–रखाव हेतु **मार्गदर्शन एवं व्यावहारिक अनुदेश** बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद द्वारा स्थानीय वन प्रमण्डल पदाधिकारी (जो जिला पर्यावरण समिति के सदस्य सचिव होते हैं) के परामर्श तथा उनके माध्यम से अन्य हितधारक (जिसमें पंचायत के जैव विविधता प्रबन्धन समिति भी सम्मिलित हो सकते हैं) से परामर्श कर उपलब्ध कराया जायगा।

(v) ऐसे मार्गदर्शन एवं अनुदेश अन्तर्गत संरक्षण के व्यावहारिक उपाय – वृक्ष के स्वास्थ्य तथा उनकी वृद्धि इत्यादि को कुप्रभावित किये बिना घेरान की संरचना इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी।

(vi) रैयती भूमि पर अवस्थित घोषित विरासत वृक्षों एवं अन्य निजी संस्थान/निकाय/संगठन अधिकारिता के घोषित विरासत वृक्षों के स्वामी को प्रोत्साहन स्वरूप राजकीय प्रशंसा पत्र द्वारा सम्मानित किया जायगा। इनके संरक्षण में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा तकनीकी सहायता भी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करायी जा सकेगी।

(vii) विभिन्न जिलों के लिए घोषित विरासत वृक्षों में से कतिपय अतिविशिष्ट लक्षणों से युक्त वृक्षों को **''राज्य विरासत महावृक्ष''** की उपाधि से घोषित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् द्वारा पद्धति एवं प्रक्रिया का निर्धारण कालान्तर में किया जाएगा।

(viii) किसी सरकारी संस्थान, लोक उपक्रम आदि के परिसरों में विशिष्ट लक्षणों तथा लम्बी आयु वाले वृक्षों की बहुतायत होने पर इस वृक्ष समूह को **''जैव विविधता वृक्षावली''** घोषित कर इन्हें जैव विविधता संरक्षण की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।

(ix) **विरासत वृक्षों के संरक्षण सम्बन्धी प्रावधान** –

(क) आमतौर पर घोषित **जैव विविधता विरासत वृक्षों** को काटा नहीं जाएगा जब तक यह प्राकृतिक रूप से सूख या गिर न जाय।

अपरिहार्य (यथा वृक्ष की स्थिति, दुर्घटना इत्यादि के दृष्टिकोण से खतरनाक हो गयी हो) परिस्थिति में या किसी अनिवार्य लोकहित के विकास कार्य हेतु वृक्ष के पातन की आवश्यकता पड़ने पर **जिला पर्यावरण समिति** निर्णय लेने हेतु सक्षम होगी। वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में प्रयुक्त अन्य वैधानिक प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे।

(ख) विकास कार्यों हेतु वृक्ष हटाने की आवश्यकता के निमित्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार के कार्यालय आदेश सं० वन भूमि– 39/2012–974(ई॰) दिनांक– 26.07.2019 द्वारा प्रख्यापित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप ही कार्रवाई की जायगी।

GPS Map Camera
Shiwarajpur, Bihar, India
Mg6q+j9 Pahad Chaapi, Shiwarajpur, Bihar 824210, India
Lat 24.6597° Long 84.538839°
16/01/25 05:21 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Shiwarajpur, Bihar, India
Mg6q+j9 Pahad Chaapi, Shiwarajpur, Bihar 824210, India
Lat 24.6597° Long 84.538839°
16/01/25 05:21 PM GMT +05:30
Google

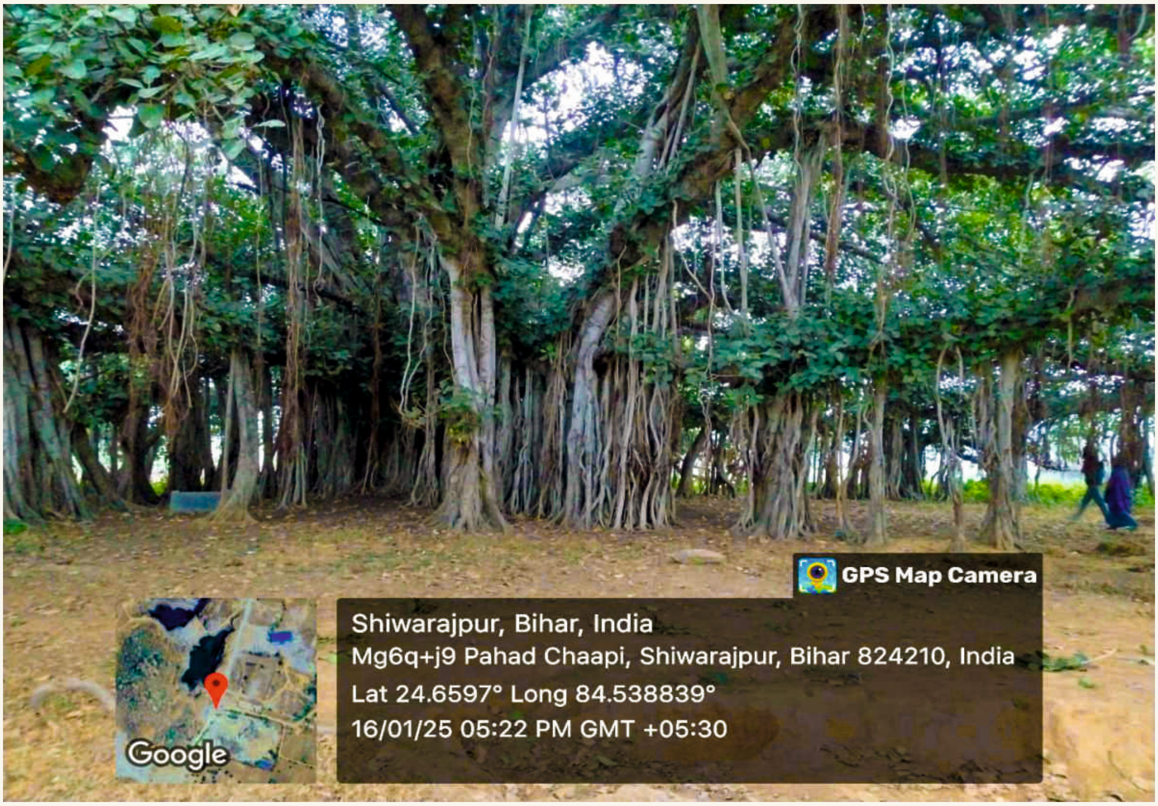
GPS Map Camera
Google
Shiwarajpur, Bihar, India
Mg6q+j9 Pahad Chaapi, Shiwarajpur, Bihar 824210, India
Lat 24.6597° Long 84.538839°
16/01/25 05:22 PM GMT +05:30

GPS Map Camera
Google
Shiwarajpur, Bihar, India
Mg6q+j9 Pahad Chaapi, Shiwarajpur, Bihar 824210, India
Lat 24.6597° Long 84.538839°
16/01/25 05:22 PM GMT +05:30

परिशिष्ट-2

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्

(जैव विविधता अधिनियम-2002 के अंतर्गत गठित सरकार का एक स्वायत्त सांविधिक निकाय)

संख्या :– बी०– 230, दिनांक :– 19.04.2024

विषय : **बिहार राज्य में ''जैव विविधता विरासत स्थलों'' की पहचान, घोषणा एवं संरक्षण प्रबन्धन हेतु दिशानिर्देश ।**

जैव विविधता अधिनियम 2002 (यथा–संशोधित 2023) के उद्धेश्य/लक्ष्यों के अनुसरण में इसके अध्याय–7 की धारा 37(1) में ''जैव विविधता विरासत स्थलों'' के सम्बन्ध में प्रावधान किये गये है।

इन प्रावधानों के क्रियान्वयन के संदर्भ में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा एक मार्गदर्शिका उपलब्ध करायी गयी है। उक्त मार्गदर्शिका में उपलब्ध स्थानीय परिवेश एवं विशिष्टियों के अनुसार व्यावहारिक कार्यान्वयन का परामर्श उल्लेखित है।

बिहार राज्य में उपलब्ध परिवेश एवं विशिष्टयों को दृष्टिपथ में रखते हुए विभिन्न स्वरूप के क्षेत्रों एवं इलाकों में जैव विविधता संरक्षण की प्रासंगिकता के अनुरूप ''जैव विविधता विरासत स्थलो'' की पहचान एवं उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें घोषित कराने के सम्बन्ध में एक दिशानिर्देश संलेख तैयार किया गया है, जो संलग्न है।

इस दिशानिर्देश संलेख को परिचालित करते हुए यह अपेक्षा की जाती है कि इसका उपयोग करते हुए राज्य में विभिन्न इलाकों में ''जैव विविधता विरासत स्थल'' की पहचान तथा घोषणा के कार्य में प्रगति होगी।

सम्बन्धित जैव विविधता प्रबन्धन समिति/वन प्रमण्डल प्रशासन/पंचायती राज/कृषि विभाग/पशु एवं मतस्य/जल संसाधन/भू–राजस्व एवं अन्य सरकारी विभाग के जिला स्तरीय प्रशासन तथा नगर आयुक्त, नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत द्वारा इन दिशानिर्देशों का उपयोग करते हुए वन प्रमण्डल पदाधिकारी के मार्गदर्शन एवं माध्यम से उपयुक्त भूखण्ड को **जैव विविधता विरासत स्थल** के रूप में चयन एवं घोषणा सम्बंधी प्रस्ताव भेजा जाना वांछित है।

संलग्न दिशानिर्देशों के अनुरूप जैव विविधता विरासत स्थल से संबंधित प्रस्ताव आलेख प्राप्त होने पर इस पर्षद द्वारा जैव विविधता अधिनियम, 2002 अद्यतन संशोधित 2023 तथा एतद सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित घोषणा हेतु विहित प्रक्रियानुसार आगे की कार्रवाई की जायगी।

इस संदर्भ में किसी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिये इस पर्षद से ईमेल द्वारा सम्पर्क किया जा सकता है। (Email- bdbihar@bihar.gov.in)

ह०

संलग्न– यथोक्त

(डॉ० के० गणेश कुमार)
सचिव,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।

बिहार राज्य में जैव–विविधता विरासत स्थलों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देशक संलेख

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा जैव विविधता विरासत स्थलों के सम्बन्ध में एक मॉडल मार्गदर्शिका जारी की गयी है। इस मार्गदर्शिका के प्रावधान जैव विविधता से सम्बंधित स्थलों के परिवेशीय एवं अन्य प्रासंगिक विशिष्ताओं के आलोक में लचीले हैं तथा राज्य स्तर पर इनके व्यावहारिक क्रियान्वयन का प्रावधान उपलब्ध है। (प्रतिलिपि संलग्न)

बिहार राज्य में जैव विविधता विरासत स्थलों की युक्तिसंगत पहचान एवं उन्हें जैव विविधता अधिनियम, 2002 के सुसंगत प्रावधान धारा–37 (1) के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा घोषित कराने की दिशा में अपेक्षित पहल एवं अनुसरण–कार्यों को सहजता से गति देने हेतु इस राज्य की विशिष्टताओं को दृष्टिपथ में रखते हुए निम्नांकित दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं।

(1) बिहार राज्य में लगभग 97% भू–भाग वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों (Wildlife protected Areas) – यथा वन्यप्राणी आश्रयणी, बाघ आरक्ष, पक्षी आश्रयणी, गांगेय डॉलफीन आश्रयणी, राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि से बाहर अवस्थित है। साथ ही लगभग 90% भू–भाग प्राकृतिक अवस्था के वनों एवं वानस्पतिक क्षेत्रों से बाहर हैं। ज्ञातव्य है कि वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों तथा प्राकृतिक वनों में जैव विविधता की उपलब्धता स्वाभाविक रूप से अधिक होती है एवं उनमें इसके संरक्षण तथा संवर्धन के प्रावधान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम तथा वन अधिनियमों के अंतर्गत क्रियान्वित हैं तथा राज्य का वन प्रशासन एवं अन्य शासन व्यवस्था इसके लिए प्रतिबद्ध है।

इस वस्तु स्थिति के आलोक में इस राज्य में जैव विविधता के संरक्षण को व्यापक रूप से प्रभावी करने के लिए जैव विविधता विरासत स्थलों की पहचान में प्राथमिकता निम्नवत दिया जाना वांछित हैः–

I. वनों के बाहर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में

II. वन्य प्राणी आश्रयणियों के बाहर अवस्थित लगभग 4% प्राकृतिक वन क्षेत्रों में

(2) बिहार राज्य में मानवीय आबादी तथा पशुधन की आबादी का घनत्व देश और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के तुलनात्मक प्रसंग में काफी ज्यादा है। इसी के साथ मानवीय आबादी की वृद्धि अभी इस राज्य में जारी है जो अगले 2 दशक में स्थिर होगी एवं इसके उपरान्त ही घटेगी। अतएव दूरगामी दृष्टिकोण से तथा भविष्य की पीढ़ियों के हितार्थ जैव विविधता संरक्षण के लक्ष्यों के अनुसरण में प्रासंगिक विरासत स्थलों की पहचान, संरक्षण, पुनर्स्थापन एवं संवर्धन किया जाना वांछित है। इन्हीं अवधारणा से मानव उपयोग वाले भू–भागों–यथा कृषि, बागवानी, मतस्यिकी, शहरी एवं उपनगरीय (Urban, Subarban/Peri-urban) इलाकों में विभिन्न स्वरूपों के अथवा विभिन्न पहलुओं से जैव–विविधता वाले प्रासंगिक स्थलों (सम्पन्न अथवा अवशिष्ट) की पहचान की जानी चाहिए।

(3) जैव–विविधता विरासत स्थल घोषित किए जाने हेतु सुयोग्य स्थलों की पहचान हेतु उनके जैव–विविधता सम्बंधी महत्व या मूल्यों का प्रेक्षण एवं आकलन स्थानीय परिवेश जो आमतौर पर जिले के जैव–भौतिक विशिष्टियों (Biophysical features) एवं अन्य सम्बंधित/सुसंगत परिवेशीय तत्वों एवं अवयवों के संदर्भ में ही किया जाना अपेक्षित है। इसे सवर्था राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर अथवा राज्य स्तर की तुलनात्मक संदर्भ में करने की अनिवार्यतता नहीं होनी चाहिए।

(4) ज्ञातव्य है कि जैव–विविधता संरक्षण का दायरा काफी व्यापक है। इसकी प्रासंगिकता अनुवांशिक, प्रजाति–प्रभेद, प्रजाति तथा पारिस्थितिकी अधिवास एवं पारिस्थितिकी लैंडस्केप स्तरों, क्षेत्रों एवं क्रियातंत्र (genetic, species, species provenances and cultivars, ecosystem habitats and ecological landscape levels, realms and functional systems) की विविधताओं एवं विशेषताओं से जुड़ी है। साथ ही इसमें केवल सहज रूप से दृश्य वनस्पति, जन्तुओं की विविधता के अलावे सूक्ष्म पादप एवं जन्तु तथा उनसे संलग्न जैविक तंत्र (diversity of micro-floral and micro-faunal biomes and associations) की विविधता भी प्रासंगिक हैं। उदाहरणार्थ soil biodiversity भी जैव विविधता का महत्वपूर्ण अवयव है। इसी के साथ किसी भू–खण्ड के geological, geo-morphological, geographical associations एवं इनके जैविक अवयव भी किन्हीं अतिविशिष्टता वाले स्थल को जैव–विविधता विरासत स्थल के तौर पर चिन्हित और घोषित करने के आधार हो सकते हैं। विलक्षण सांस्कृतिक सम्बन्धों से सहयोजित जैव विविधता के भू–खण्ड या अन्य स्थल भी इस प्रयोजनार्थ विचारण के दायरे में आयेंगे।

(5) जैव–विविधता संरक्षण की नीति एवं कानून की क्रियान्वयन व्यवस्था में सक्रिय समावेशी जन–सहभागी तथा स्थानीय हितधारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रक्खी गयी है। ज्ञातव्य है कि जैव विविधता विरासत स्थलों के संरक्षण एवं पुनर्स्थापना का उद्देश्य तथा लक्ष्य तभी सफलीभूत होंगे जब इसमें हितधारकों की पूर्ण सहभागिता होगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के मार्ग दर्शन में भी स्थानीय हितधारकों की सहभागिता एवं उनके हितों का सामंजस्यपूर्ण प्रतिरक्षण एवं प्रबन्धन पर बल दिया गया है। अतएव जैव विविधता विरासत स्थल की पहचान प्रक्रिया में प्रारम्भ से ही स्थानीय हितधारकों के हितों सम्बन्धी कारकों तथा अभिमत को संवेदनशीलता से ध्यान में रक्खा जाना है। इस प्रयोजनार्थ सम्बन्धित स्थानीय **जैव विविधता प्रबन्धन समिति** के माध्यम से इस पहलु का समावेश एवं सामंजन किया जाना है। जैव विविधता विरासत स्थल के संरक्षण और प्रबन्धन हेतु आवश्यकतानुसार **प्रबन्ध कार्य योजना** का सूत्रण किया जाना है। उक्त **प्रबन्ध कार्य योजना** के सूत्रण प्रक्रिया में ही, जिन मामलों में स्थानीय समुदाय द्वारा उक्त स्थल के विभिन्न स्वरूप में अथवा उनपर निर्भरता की परिस्थितियाँ होंगी, उनके आलोक में व्यावहारिक तथा वैधानिक विकल्पों के अनुसार नियामक प्रावधान स्थानीय हितधारक समुदाय की सम्मति से क्रियान्वित किए जा सकेंगे। निजी भूमि वाले भू–खण्डों या भूखण्ड समूहों के विरासत स्थल के रूप में चिन्हित करने के लिए सम्बन्धित स्वत्वधारियों की स्वप्रेरणा से सम्मति भी अपेक्षित होगी।

(6) उपर्युक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखकर राज्य में निम्नांकित स्वरूप एवं प्रकार के स्थलों को ''जैव–विविधता विरासत स्थल'' के रूप में चिन्हित, घोषित और संरक्षित–प्रबन्धित करना वांछित हैः–

i. झील, बील, चौर, मान इत्यादि के प्राकृतिक जलीय तथा नम–भूमि वाले स्थल;

ii. नदियों के दियारा क्षेत्र में अवस्थित प्राकृतिक या अंशतः प्राकृतिक तथा कम मानवीय उपयोग वाले स्थल, नदियों के उदगम स्थल, नदियों के संगम स्थल ;

iii. विशेष किस्म के मतस्य एवं अन्य जलीय जन्तु या जलीय पादप की तुलनात्मक रूप से धनी आबादी वाले खण्ड जो किसी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं हों;

iv. वन भूमि से बाहर अवस्थित पहाड़ी एवं शैल आच्छादित भू–खण्ड या भू–खण्ड समूह जिनकी विशेष जैविक, पारिस्थतिकीय एवं पर्यावरणीय प्रासंगिकता हो, अथवा भौगोलिक–भूवैज्ञानिक विशेषता हो;

v. मानव सृजित जलाशय या बड़ा तालाब जिसका कोई हिस्सा जैव–विविधता की किसी विशिष्टि से सम्बद्ध हो;

vi. वनों के बाहर दीर्घायु एवं विशाल वृक्ष समूह (एकल वृक्षों को ''विरासत वृक्ष''के चिन्हीकरण में लिया जा रहा है।);

vii. विशेष किस्म के कृषि, बागवानी फसल या पशु पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन की पारंपरिक प्रजाति एवं प्रचलन वाले भू–खण्ड या भू–खण्ड समूह (cluster of farms or horticultural plantation with unique provenance)

इनमें उदाहरणार्थ जर्दालू या दीघा आम, शाही लीची, धान फसल का इलाका चयन हेतु विचारणीय हो सकता है – इन मामलों में निजी स्वत्व एवं निजी खेती की भूमि होगी, अतः ऐसे मामलों में उक्त भूस्वामियों के स्वप्रेरण की स्थिति में इनका चयन विचारणीय होगा;

उपर्युक्त सूची के अलावे अन्य कोई विलक्षण आकर्षक आकारिकता तथा दृश्य स्वरूप के स्थल–खण्ड, अथवा इनमें सांस्कृतिक एवं पारंपरिक ज्ञान, प्रचलन से सम्बंधित तथ्यों इत्यादि के पहलू भी संज्ञान में लिए जा सकेंगे।

(7) **जैव विविधता विरासत स्थलों के संरक्षण योजना** की उपयोगिता के मुख्य बिन्दुः–

i. जैव विविधता संरक्षण में अनुवांशिकी तथा प्रजातियों एवं प्रभेदों के संरक्षण की दिशा में जो भी प्रयास किए जाएं, वस्तुतः उनके **अधिवास स्थलों एवं संबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र** का संरक्षण एवं पुनर्स्थापन भी अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण है। **जैव विविधता विरासत स्थलों** के संरक्षण एवं संवर्धन के माध्यम से ऐसे अधिवास स्थलों के संरक्षण में यथेष्ट योगदान होगा।

ii. **जैव विविधता विरासत स्थल की संरक्षण योजना** जैव विविधता के संरक्षण को व्यापक एवं विस्तीर्ण आयाम देगी तथा राज्य के विभिन्न हिस्सों में ऐसे स्थल कालान्तर में जैव विविधता संरक्षण के छोटे–बड़े नाभिक केन्द्रों के रूप में स्थापित हो जायेंगे।

iii. ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के अवसंरचना विकास प्रक्रिया में ऐसे वैधानिक रूप से चिन्हित एवं संरक्षित विरासत स्थलों के प्रतिरक्षण का तथ्यपरक आधार होगा तथा इनका यथाव्यावहारिक प्रतिरक्षण से पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय संरक्षण के हित में होगा।

iv. स्थानीय निकायों के प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रक्रिया में पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकीय संरक्षण के अवयवों का समावेश होगा।

v. जैव विविधता विरासत स्थलों को चिन्हित एवं संरक्षित किया जाना स्थानीय जन समुदाय के प्राकृतिक मूल्यों तथा पर्यावरणीय संरक्षण में उत्प्रेरण एवं सक्रिय सहयोजन का सशक्त व्यवहारिक माध्यम भी होगा।

(8) किसी विचाराधीन स्थल को **जैव विविधता विरासत स्थल** के रूप में चयन एवं अधिनियम के अंतर्गत घोषित कराने के प्रस्ताव को निम्नांकित सूचनाओं के साथ एक **आलेख** तैयार किया जाना हैः–

i. **प्रस्तावित स्थल की अवस्थापना**, क्षेत्रफल, इसकी परिधि में अवस्थित भू–भाग एवं भूमि उपयोग का उल्लेख – नक्शों एवं फोटो इत्यादि के साथ वर्णित

ii. **स्थल की वैधानिक स्थिति, प्रशासनिक या सरकारी अभिरक्षा एवं उपयोग**

iii. जैव विविधता एवं संबद्ध पारिस्थिकीय तथा पर्यावरणीय अवयवों एवं पहलुओं का संक्षिप्त उल्लेख

(i) Vegetation, Flora, Fauna, Terrain and topography, Soil & Geology, Hydrology, Climate

(ii) वर्त्तमान स्थिति के सम्बंध में आकलन टिप्पणी, संरक्षण–पुनर्स्थापन की आवश्यकता एवं संभावना

iv. स्थानीय समुदाय की निर्भरता का संक्षिप्त वर्णनः–

(i) स्थल के जैविक एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, विदोहन इत्यादि – Consumptive use aspects

(ii) रास्ता, धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्रिया–कलाप, उद्यान के रूप में उपयोग, पर्यटन इत्यादि– Non-consumptive use aspects

(iii) अन्य कोई निर्भरता / उपयोग का विषय

v. सम्बन्धित जैव विविधता प्रबन्ध समिति की अनुशंसा; किसी विशेष मामले, जिसमें प्रस्तावित विविधता विरासत स्थल का भूखण्ड स्थानीय समुदाय उपयोग से बिल्कुल मुक्त हो तथा सरकारी विभाग / प्रशासन के अभिरक्षा एवं उपयोग में हो तो वैसी परिस्थिति में स्थानीय जैव विविधता प्रबन्ध समिति की अनुशंसा के बदले मात्र सम्बन्धित विभाग की अनुशंसा वांछित होगी।

vi. भविष्य के संरक्षण एवं प्रबन्ध हेतु 5 वर्षीय **सांकेतिक प्रबन्धन कार्य योजना** (5-Year Indicative Management Action Plan) – हरेक मामलें में यह अनिवार्य नहीं होगा।

vii. जैव विविधता विरासत स्थल को चिन्हित कर घोषित कराने का प्रस्ताव तैयार करने में बिहार राज्य जैव–विविधता पर्षद के GIS Cell द्वारा नक्शा एवं सम्बंधित तकनीकी विश्लेषण एवं सूचना इत्यादि उपलब्ध कराई जाएगी।

(9) उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुरूप जैव विविधता विरासत स्थल से संबंधित प्रस्ताव आलेख प्राप्त होने पर इस पर्षद द्वारा जैव विविधता अधिनियम, 2002 अद्यतन संशोधित 2023 तथा एतद सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित घोषणा हेतु विहित प्रक्रियानुसार आगे की कार्रवाई की जायगी।

ह० / –
19.04.2024

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद

(जैव विविधता अधिनियम-2002 के अंतर्गत गठित सरकार का एक सांविधिक निकाय)

जैविक उत्पादों एवं संसाधनों के व्यापारियों तथा पंचायतों की जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के लिये सूचना

बिहार सरकार

सं०- 03, तिथि- 11.12.2024

(1) जैव विविधता अधिनियम, 2002 (संशोधन-2023) की धारा-7 के अन्तर्गत नीचे कण्डिका (2) में उल्लेखित वनस्पतिकीय जैविक संसाधन/उत्पादों, (जिनका उपयोग औषधि, सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य एवं पोषण सामग्रियों इत्यादि के रूप में अथवा उनके उत्पादन में होता है) के वाणिज्य व्यापार (खरीद-बिक्री, संग्रहण, भण्डारण, प्रसंस्करण, गुणवत्ता संवर्द्धन, आपूर्ति एवं संबद्ध क्रिया-कलापों) के सम्बन्ध में निम्नांकित नियामक प्रावधान हैं:-

(क) वाणिज्यिक प्रयोजन से नीचे कण्डिका (2) में उल्लेखित विनियमित जैविक संसाधनों तक पहुँच एवं प्राप्ति (संग्रहण एवं संबद्ध क्रिया-कलाप) के लिये सम्बन्धित व्यापारी द्वारा बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद को पूर्व सूचना दिया जाना अनिवार्य है।

(ख) इनके सम्बन्ध में पंचायतों की जैव विविधता समितियों के लिये निम्नांकित प्रावधान हैं:-

(i) पंचायतों के अधिकारिता क्षेत्र से संग्रहित विनियमित जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक संग्रहण एवं विपणन से व्यापारी के फायदा को जैव विविधता प्रबन्ध समिति से बाँटना बाध्यकारी है।

(ii) पंचायत क्षेत्र से इन जैविक संसाधनों का वाणिज्यिक संग्रहण इस प्रकार सुनियोजित रूप से हो ताकि उनकी सतत् उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव या उनके संकटापन्न होने की आशंका न हो। जैव विविधता प्रबन्धन समिति को ऐसा सुनिश्चित करने तथा इस प्रयोजनार्थ संकटापन्न प्रजाति के वनस्पतियों से जैविक संसाधनों/उत्पादों के वाणिज्यिक संग्रहण को निषिद्ध करने की जिम्मेवारी या अधिकार प्रदत्त है।

(2) **विनियमित वनस्पतिकीय जैविक संसाधन/उत्पाद की विवरणी:-**

जैव विविधता अधिनियम, 2002 (संशोधन-2023) की धारा-40 के तहत अधिसूचनाओं (2016 एवं 2017) द्वारा अधिनियम के प्रभाव से विमुक्त घोषित कुल 421 वनस्पतिकीय जैविक संसाधनों (विनिर्दिष्ट पादप भाग - Plant Parts) के अलावे अन्य जैविक संसाधन/उत्पाद जैव विविधता अधिनियम के अन्तर्गत विनियमित श्रेणी में हैं।

ज्ञातव्य है कि *काली मूसली (Curculigo orchiodes)*, *मरोड़ फली (Helicteres isora)*, *अनंतमूल (Hemidesmus indicus)*, *कालमेघ (Andrographis paniculata)*, *सतावर (Asparagus racemosus)*, *कौंच (Mucuna pruriens)*, *कुटज (Holarrhena antidysenterica)*, *पाटला (Stereospermum suaveolens)*, *अर्जुन (Terminalia arjuna)*, *अग्निमन्था (Premna integrifolia)* जैसे जैविक वनस्पतिकीय संसाधन हैं, जो विमुक्त 421 जैविक संसाधनों की श्रेणी में नहीं है एवं इनपर कंडिका (1) में उल्लेखित जैव विविधता अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। बिहार राज्य के कुछेक पंचायतों के लिए जैव विविधता अधिनियम, 2002 (संशोधन-2023) के अनुसरण में उनके जैव विविधता प्रबंधन समितियों को फायदा बांटने/फायदा में हिस्सेदारी की व्यवस्था विगत वर्ष 2023-24 से क्रियान्वित की जा रही है। इससे सम्बन्धित जानकारी एवं पर्षद तथा सम्बन्धित व्यापारियों के बीच किये गये एकरारनामा पर्षद के Website- https://bsbb.bihar.gov.in पर देखी जा सकती है।

(3) एतद्वारा ऐसे सभी व्यापारियों को जो उपर्युक्त कण्डिका (2) में उल्लेखित जैविक उत्पादों का व्यापार करते हैं या करना चाहते हों, उन्हें सूचित किया जाता है कि इस विषय में प्रश्नगत जैविक संसाधनों के नाम, स्रोत स्थान का पंचायत, क्रय स्थान एवं/अथवा भण्डारण स्थान का पंचायत एवं मात्रा का अवधिवार विवरण इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि में बिहार राज्य जैव विविधता नियमावली, 2017 के नियम-19 के तहत् नियमावली से संलग्न प्रपत्र-1 (पर्षद के website- https://bsbb.bihar.gov.in पर उपलब्ध) में पूर्व सूचना नीचे कण्डिका (06) के अनुसार उपलब्ध करायी जाय।

(4) ज्ञातव्य हो कि उपर्युक्त अनुदेशों एवं अधिनियम की सम्बद्ध धाराओं का उल्लंघन जैव विविधता अधिनियम, 2002 (संशोधन-2023) की धारा-55, 56 एवं 57 के तहत् दण्डनीय अपराध है।

(5) एतद्वारा पंचायतों के जैव विविधता प्रबन्धन समितियों के अध्यक्ष तथा सचिव (पंचायत सचिव) को सूचित किया जाता है कि अपने पंचायतों के क्षेत्र में ऐसे व्यापारिक क्रिया-कलाप की सूचना बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद तथा जिले के सम्बन्धित वन प्रमण्डल पदाधिकारी को दी जाय।

(6) उपर्युक्त के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना निम्न पदाधिकारियों को दी जाय।

(i) बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद को निम्नांकित पते पर-
सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, चतुर्थ मंजिल, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड परिसर, शास्त्रीनगर, पटना-800023; यह सूचना इ-मेल द्वारा भी bdbihar@bihar.gov.in पर प्रेषित की जा सकती है।

(ii) सम्बन्धित जिले के वन प्रमण्डल पदाधिकारी को वन प्रमण्डल कार्यालय में उपलब्ध करायी जाय।

(iii) सम्बन्धित पंचायतों के पंचायत सचिव, जो पंचायतों में गठित जैव विविधता प्रबन्धन समिति के सचिव भी होते हैं, को वांछित सूचना उपलब्ध करायी दी जाय।

11/12/24

सचिव,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना।

जै व वि वि ध ता – संतुलित पारितंत्र, संरक्षित पर्यावरण सुरक्षित जीवन

जैव विविधता अधिनियम के प्रावधानों का पालन कर जैव विविधता संरक्षण में योगदान करें।

परिशिष्ट-4

ई-मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांकः–8प/वि0–05–08/2020/11764/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार, भा0प्र0से0

सचिव

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,

बिहार।

पटना, दिनांक 12/12/2025

विषयः– जैव विविधता अधिनियम, 2002 (संशोधन–2023) के तहत् ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर परिषदों तथा नगर निगमों में गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों के स्थानीय जैव विविधिता निधि Local Biodiversity Fund हेतु बिहार ग्रामीण बैंक में खाता संधारण के संबंध में।

प्रसंगः– बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् का पत्रांक–बी0 916 दिनांक–26.11.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् का प्रसंगाधीन पत्र का संदर्भ करेंगे। जैव विविधता अधिनियम–2002 (संशोधन 2023) के आलोक में गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों के लिये अधिनियम में स्थानीय जैव विविधता निधि का प्रावधान है। इस निधि का संचालन स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अध्यक्ष द्वारा किया जाना है तथा बैंक खाता से राशि का संचालन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, जो ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिव हैं, के संयुक्त हस्ताक्षर से होना प्रावधानित है।

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् द्वारा इस निमित्त बिहार ग्रामीण बैंक में सभी जैव विविधता प्रबंधन समितियों का अलग खाता संधारित कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा स्थानीय जैव विविधता निधि का प्रधान खाता बिहार ग्रामीण बैंक के पटना शाखा में खोला जा चुका है। जैव विविधता प्रबंधन समितियों तक आवंटित निधि की पहुंच को सुगम बनाने हेतु सभी जैव विविधता प्रबंधन समितियों के लिए बिहार ग्रामीण बैंक के निकटस्थ शाखा में खाता खोला जाना आवश्यक है और इस हेतु बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् द्वारा बिहार ग्रामीण बैंक को प्राधिकृत किया जा चुका है।

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के संज्ञान में यह तथ्य सामने आया है कि खाता खोलने हेतु ग्रामीण बैंक के पदाधिकारियों द्वारा सम्पर्क किये जाने पर पंचायत सचिवों द्वारा यह उल्लेख किया जाता है कि जबतक उनके पैतृक विभाग का निदेश प्राप्त नहीं होता है, वे खाता खोलने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करने में असमर्थ हैं।

यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि जैव विविधता प्रबंधन समितियों के लिए स्थानीय जैव विविधता निधि के संचालन हेतु अलग खाता होना अधिनियम एंव बिहार राज्य जैव विविधता नियमावली 2017 के आलोक में बाध्यकारी प्रावधान है। बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् द्वारा प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से एवं समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कर इस आशय की जानकारी दी जा चुकी है।

कृ0पृ0उ0

D:\2025\Akhilesh, Asst\Letter.docx187

अतएव निदेशित किया जाता है कि जैव विविधता निधि के संचालन हेतु जैव विविधता प्रबंध समितियों का बिहार ग्रामीण बैंक में खाता खोलने हेतु अपने स्तर से सभी पंचायत सचिवों को इस आशय का अनुदेश जारी करें, तथा इस वैधानिक कार्य का सम्पादन अपने पर्यवेक्षण में कराया जाना सुनिश्चित करें।

अनुलग्नकः—यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन,

(मनोज कुमार) 11/12/25

सचिव

ज्ञापांकः—8प / वि0—05—08 / 2020—11764 / पं०रा० पटना, दिनांक—12/12/2025

प्रतिलिपि—सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार) 11/12/25

सचिव

ज्ञापांकः—8प / वि0—05—08 / 2020—11764 / पं०रा० पटना, दिनांक—12/12/2025

प्रतिलिपि—महा प्रबन्धक, बिहार ग्रामीण बैंक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार) 11/12/25

सचिव

ज्ञापांकः—8प / वि0—05—08 / 2020—11764 / पं०रा० पटना, दिनांक—12/12/2025

प्रतिलिपि—सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार) 11/12/25

सचिव

परिशिष्ट-5

Review of Biodiversity related Research Project in Forestry, Horticulture and Animal Husbandry

Sl. No.	Name of Institution/ Researcher	Title of the Project/ Duration/ Budget as submitted (Rs. In Lacs)	Districts Covered	Expected Outcomes	Biodiversity Conservation related significance of Outcomes	Actionable Points & Recommendations
	Projects related to Forestry					
1	**ICFRE-Institute of Forest Productivity, Ranchi (Jharkhand)/** Dr. Sharad Tiwari, Scientist G, PI; Dr. Yogeshwar Mishra, Scientist G, co-PI and Ms Rubu Kujur, Scientist E, co-PI.	Resource Assessment of Major Non-Timber Forest Produce: A Study for the Floral Biodiversity Conservation in select Terrestrial Forest Ecoregions of Southern Bihar/ 24 months/18.37 lakhs	Nawada, Aurangabad, Gaya & Nalanda /Rajgir – part of the North Chotanagpur Forest Eco-region.	1. LULC- based distribution status of major NTFP resources. 2. Potential Hotspot maps of phyto-diversity rich sites. 3. Potential Habitat Map. 4. To propose knowledge-based conservation & management strategies for Sustained Utilization practices.	The study will provide evidence-based information on NTFP resources, prioritized areas and potential threats to their numbers. This will help the SFD in formulating interventions for arresting loss of respective biodiversity attributes, their restoration and enhancement.	1. All data collected should show their GPS locations. 2. Use of NTFP and their local markets should also be assessed and reported. 3. A site-specific work plan should be suggested for their practical implementation. 4. LULC map should be generated for the entire study area. These maps give ideas of agri-crops as well as of other native species growing in the area, species shifting due to climate change and, thus, pattern of loss of bio-diversity. 5. Data of protected areas and those outside should be collected separately, which would help formulate site specific actionable schemes and their prioritization. 6. AS both the studies have their role reflecting the ecological succession proceeds in the area reported, the studies carried must come out with site specific recommendations/ actionable points to recover the biodiversity losses in these areas. Our main objective is to get back these forests into their original shape, rich in native plant species. 7. It was also suggested to look for the alternative uses of *Lantana camara* and other weeds removed from the invaded areas, instead burning them, generating carbon in nature.
2	**ICFRE-Institute of Forest Productivity Ranchi (Jharkhand)/** Dr. Sharad Tiwari, Scientist G, PI	Assessing the Impact of Forest Fires on Biodiversity amid Climate Change and other anthropogenic factors/24 months/17.22 lakhs	Nawada & Gaya	1. LULC profile of the area. 2. Potential Forest Fire Hotspots Map. 3. To understand the ecological consequences of recurring forest fires in the area. 4. Map depicting the distribution of invasive species in the area of study. 4. Suggestions for action/intervention for conservation & management strategies to promote regional biodiversity amid forest fire and invasion threat.	It will help to assess the impact of forest fires on Biodiversity in relation to forest fire hot-spots & invasive species. LULC-wise floral distribution in the area. Will offer a knowledge-based information in decision making for biodiversity conservation in the region and elsewhere.	

Sl. No.	Name of Institution/ Researcher	Title of the Project/ Duration/ Budget as submitted (Rs. In Lacs)	Districts Covered	Expected Outcomes	Biodiversity Conservation related significance of Outcomes	Actionable Points & Recommendations
	Projects related to Fruity-culture					
3	**ICAR- National Research Center on Litchi, Muzaffarpur (Bihar)/** Dr. Ipshita Samal, Ph.D. Scientist	23.10 Entomofaunal Dynamics in Litchi Agri-horticulture System: Diversity, Abundance and Ecological Interaction/30 months/ lakhs	Muzaffarpur, Vaishali, Samastipur & East Champaran.	1. Expected Outcomes 2. Identification of major insect pests, pollinators, and other benefactors of litchi. 3. Diversity and abundance of insect visitors in litchi cultivation. 4. Assessment of the impact of insect visitors on litchi production and fruit quality.	Study of the critical role of insect diversity in pollination and ecosystem health, highlighting the need for conservation efforts that integrate agricultural productivity with biodiversity conservation.	1. Study up to microbes' level should be made. 2. This study should cover all the species being grown in the litchi-agro-system of the area. 3. All types of insects affecting the crops/ grasses/ bushes/ other species/and litchi grown in the eco-system should be reported. 4. The insect type affecting different phenological stages should be reported.
4	**ICAR-Central Institute for Subtropical Horticulture, Lucknow (UP)/** Dr. Sanjay Kumar Singh & Co-Scientists.	Evaluation of diversity & decline of **indigenous seedling mango** (biju aam) of Bihar and Study for its Conservation Strategy – Phase II: 2024-2026 (in extension to Phase-I: 2022-2024)/ 24 months/11.10 lakhs for Phase-II (5.55 lakhs for Phase-I) Total: 16.65 lakhs	12 more Districts (7 Districts covered in Phase-I, Muzaffarpur, Samastipur, Madhubani, Vaishali, Darbhanga, East & West Champaran)	1. Studies of morphological, biochemical and molecular Diversity of seedling mango. 2. Number of genotypes registered with ICAR-NBPGR and/or PPV & FRA, New Delhi as Farmer's variety. 3. Number of identified seedling mango commercialized through multiplication & benefit sharing on PPP mode.	1. Area expansion and evolving conservation strategies for elite type seedling mango of Bihar. 2. Due recognition to farmers having diversity and formation of groups for Biodiversity Conservation of seedling mango genome.	1. Data collected would provide information regarding farmers growing seedling mangoes in different districts and the stock raised. 2. Also, the list of farmers whose names have been forwarded for registration under the Protection of Plant Variety and Farmers Right Act and ICAR-**National Bureau of Plant Genetic Resources** (**NBPGR**), New Delhi should be prepared.
5	**ICAR-Central Institute for Subtropical Horticulture, Lucknow (UP)/** Dr. Sanjay Kumar Singh & Co-Scientists.	Evaluation of Diversity of **Underutilized Fruits** of Bihar – Study for its Conservation & Utilization Strategy *(viz. Aonla, Bael, Jamun, Karonda, Jackfruit, Custard Apple, Pummelo, Cheeku,*	Kaimur, Rohtas, Aurangabd, Gaya, Nawada, Jamui, Banka, Munger,	1. Studies of morphological, biochemical and molecular Diversity. 2. Number of genotypes registered with ICAR-NBPGR and/or PPV & FRA, New Delhi as Farmer's variety.	1. Area expansion and evolving conservation strategies for underutilized fruit crops of Bihar. 2. Due recognition to farmers having diversity and formation of groups	1. Suggest value addition measures, as their market values are very less and the general farmers do not take interest in planting such species. 2. Establishment of native fruit-bearing plant nurseries, distinct from timber nurseries, shall be explored. 3. Identification, multiplication, conservation, and registration of elite germplasm with PPV & FRA, New Delhi, and/or ICAR–NBPGR, New Delhi shall be initiated.

Sl. No.	Name of Institution/ Researcher	Title of the Project/ Duration/ Budget as submitted (Rs. In Lacs)	Districts Covered	Expected Outcomes	Biodiversity Conservation related significance of Outcomes	Actionable Points & Recommendations
	Projects related to Fruity-culture					
		Khirni & Mahua)/ 36 months/16.77 lakhs	Bhagalpur & West Champaran.	3. Number of genotypes commercialized through multiplication & benefit sharing on PPP mode.	for Biodiversity Conservation of underutilized fruit crops.	4. Morphological, physico-chemical, and nutraceutical characterization of identified germplasm may be undertaken, including molecular characterization of elite genotypes. 5. The commercialization of identified elite seedlings through multiplication and benefit-sharing mechanisms under a PPP mode shall be explored and continued.
	Projects related to Animal-husbandry					
6	**Bihar Animal Sciences University, Patna/** Dr. Puspendra Kumar Singh, Asstt. Professor, Deptt. Of VAHEE, BVC.	A Comparative Study on Purnea Cattle & Co-habitat Cattles in Kosi and Mahananda Agro-ecological region of Bihar/24 months/15.00 lakhs	Purnea, Katihar & Araria districts of Koshi plain and Kishanganj district of Mahananda agro-ecological sub-region.	1. Socio-ecological profile and rearing practices of Purnea cattle in its native tractalong with other co-habitat cattle. 2. Constrain faced by the farmers in adoption of improved cattle rearing practices. 3. Strategies to make Purnea cattle rearing sustainable, resilient and economically viable.	1. Develop policy for making Purnea cattle rearing self-sustainable & economically viable. 2. To improve the economics of farmers engaged in rearing of indigenous species, as Purnea cattle. 3. Develop a potential marketing system for value added products of milk, etc.	1. Identification of alpha males or genetically superior males, 2. Whether mating with alpha males will help increase milk production, 3. Milk chemical profiling of Purnea cattle to assess its nutritional and immunity-related benefits compared to hybrid cattle milk., 4. Adaptability to climate change, Immunity of their urine and cow dung, and their distinctive attributes.
7	**Bihar Animal Sciences University, Patna/** Dr. Pankaj Kumar, Associate Professor & Head, VAHEE, BVC.	Documentation and Testing of ITKs used in Animal Husbandry Sector by Tribals and Non-tribal communities of Bihar/30 months/21.483 lakhs	W. Champaran, Supaul, Kaimur, Rohtas, Gaya, Nawada, Banka, Jamui, Nalanda, Munger, Bhojpur, Madhubani, Siwan, Gopalganj.	1. Documentation of different ITKs practiced by farmers in livestock production & their treatment. 2. Awareness about different ITKs, on- campus and off-campus training to farmers. 3. Effective Conservation and Propagation of indigenous species.	1. Identification & documentation of different ITKs and their promotion among the farming communities to reduce their cost of livestock production and their treatment. 2. Use of ITKs to improve livestock health & productivity.	1. Recognition to local personnel- Ayush, Vaidya, hakeem and others. 2. List the locally available products. 3. Listing of resource persons/experts in allied fields. 4. The project should help the marginal farmers. Indigenous Technical Knowledge (ITKs) in animal husbandry and livestock practices and animal healthcare

Projects related to Animal-husbandry						
Sl. No.	Name of Institution/ Researcher	Title of the Project/ Duration/ Budget as submitted (Rs. In Lacs)	Districts Covered	Expected Outcomes	Biodiversity Conservation related significance of Outcomes	Actionable Points & Recommendations
8	**ICAR-Research Complex for Eastern Region, Patna/** Dr. P. C. Chandran, Principal Scientist.	Study on Biodiversity of Duck Germplasm in Bihar using Machine learning models for Sustainable Conservation and Enhancing Farm Productivity/36 months/10.00 lakhs	East Champaran, Araria, Kishanganj, Katihar & Madhepura.	1. Digital Characterization of Indigenous Ducks of Bihar for their in-situ Conservation. 2. Enhancing Farm Productivity vis-à-vis profitability from duck rearing. 3.Better breed characterization & productivity.	1. Identification of duck species. 2. Support for biodiversity conservation. 3. Developing Conservation Policies & Management. 4. Public awareness.	1. Sample size of ducks for the germplasm selection should be increased 2. Their interaction with other species and migratory birds should also be studied. 3. As the ducks can also control pests and insects in the crop fields, their ecological values and commercial values should be outlined separately. 4. Recommendation in the final report on how to enhance their productivity for livelihood generation. Information from other states may also be gathered where the ducks are in domestic use.
	Total Eight Projects for Rs. 133.043 lacs					

परिशिष्ट-6

बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद्

(जैव विविधता अधिनियम–2002 अन्तर्गत सांविधिक निकाय)

Bihar State Biodiversity Board

(Statutory Body under Biological Diversity Act. 2002)

बिहार सरकार

स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद तथा नगर निगम) में गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के लिए महत्वपूर्ण सूचना

(दिनांक– 18.12.2025 को प्रकाशित द्वितीय सूचना के क्रम में तृतीय प्रकाशन)

जैव विविधता अधिनियम, 2002 (संशोधन 2023) के अन्तर्गत सभी स्थानीय निकायों में ''स्थानीय जैव विविधता निधि – Local Biodiversity Fund'' का प्रावधान है।

इस प्रावधान के क्रियान्वयन हेतु बिहार राज्य में गठित समस्त जैव विविधता प्रबंधन समितियों के नाम से बिहार ग्रामीण बैंक में खाता के माध्यम से वित्तीय संचालन का निर्णय लिया गया है। इन्हीं खातों में जैव विविधता प्रबंधन समितियों को समय–समय पर निर्देशित क्रिया–कलापों हेतु समर्थन राशि अनुदान सहायता के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी।

इन बैंक खातों का संचालन स्थानीय जैव विविधता प्रबन्धन समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

अतः जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अध्यक्षों एवं सदस्य सचिवों से आग्रह है कि इस प्रयोजनार्थ बिहार ग्रमीण बैंक के निकटस्थ शाखा से सम्पर्क कर अथवा उनके पदाधिकारियों द्वारा संपर्क किये जाने पर खाता खुलवाई जाय।

इस संबंध में पंचायती राज विभाग तथा बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद द्वारा जारी परिपत्र में विस्तृत जानकारी संलग्न क्यूआर कोड को स्कैन कर उपलब्ध होगी।

सचिव
बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद्

PR No. 022004 (B&C)D.2025-26

जै व वि वि ध ता : बेहतर संतुलन, स्वस्थ पारितंत्र, सरंक्षित पर्यावरण, समृद्ध जीवन।

ज्ञांक–4/जैव विविधता–01/2024.....5546....../प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग।

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–16/10/2025

विषय : **जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में राज्य में यथेष्ट संख्या में जैव विविधता विरासत स्थलों की पहचान कर जैव विविधता अधिनियम 2002 (संशोधन, 2023) की धारा–37 के अन्तर्गत घोषित कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

राज्य में जैव विविधता संरक्षण के हित में यह वांछित है कि यथाशीघ्र यथेष्ट संख्या में जैव विविधता के दृष्टिकोण से समृद्ध महत्वपूर्ण छोटे–बड़े स्थलों को जैव विविधता अधिनियम, 2002 (संशोधित 2023) की धारा–37 के अन्तर्गत **जैव विविधता विरासत स्थल** के रूप में घोषित कराकर इनका व्यावहारिक संरक्षण एवं प्रबन्धन किया जाय।

2. बिहार की बढ़ती आबादी, शहरीकरण एवं अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास प्रक्रियाओं के फलतः पारिस्थितिकीय संतुलन एवं पर्यावरणीय संरक्षण पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों के आसन्न परिदृश्य में वन्यजीव आश्रयणियों के बाहर अवस्थित, ग्रामीण एवं शहरी भू–क्षेत्रों में अवशेष प्राकृतिक एवं अर्द्धप्राकृतिक भू–खण्डों तथा जलीय निकायों के अंशों का पर्याप्त संख्या में संरक्षण अनिवार्य प्राथमिकता हो गई है।

राज्य के दीर्घकालिक पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय हितों के लिये भी जैव विविधता दृष्टिकोण से संरक्षित किये जाने वाले ऐसे स्थलों की विशेष उपयोगिता होगी।

3. इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि 25 जुलाई, 2025 को जैव विविधता विषय पर सम्पन्न वन प्रमण्डल पदाधिकारियों के सम्मेलन में इस विषय की महत्ता को रेखांकित करते हुए बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् द्वारा जैव विविधता विरासत स्थल की घोषणा के विचारण हेतु सम्भावित 110 स्थलों की सूची उपलब्ध करायी गयी है। इस प्रयोजनार्थ पर्षद के ज्ञापांक–बी०–230 दिनांक–19.04.2024 द्वारा जैव विविधता विरासत स्थलों की पहचान, अधिसूचना एवं प्रबन्धन संबंधी पूर्व निर्गत मार्गदर्शिका भी प्रासंगनीय है।

महत्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध में सरकार की अपेक्षा है कि राज्य के सभी जिलों मे जैव विविधता विरासत स्थल की घोषणा हेतु उपयुक्त संख्या में स्थलों का चयन यथाशीघ्र की जाय। इस प्रयोजनार्थ एक सांकेतिक लक्ष्य निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :–

क्र० सं०	भौगोलिक विशिष्टियाँ	जिला	जिला का सकल क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	विभिन्न स्वरूप के भू-क्षेत्रों हेतु स्थलों की सांकेतिक लक्षित संख्या			
				नदी एवं संलग्न क्षेत्र	आद्रभूमि	वन क्षेत्र/आश्रयणी के बाहर	कुल स्थल
1	Isolated hills and rock outcrops / Forest with old manmade water body with naturalised habitat	औरंगाबाद	3308	0	1	2	3
2		बांका	3027	0	1	2	3
3		गया	4966	1	1	2	4
4		जमुई	3082	1	1	2	4
5		कैमूर	3322	1	1	2	4
6		लखीसराय	1219	1	2	1	4
7		मुंगेर	1410	1	1	2	4
8		नालंदा	2354	1	1	2	4
9		नवादा	2491	1	1	2	4
10		पूर्वी चंपारण	3971	2	2	2	6
11		रोहतास	3880	1	1	2	4
12	Isolated hills and Rock outcrops / Wetland wilderness zone	अरवल	639	0	2	0	2
13		जहानाबाद	937	0	1	1	2
14		शेखपुरा	690	0	2	0	2
15	Wetland including manmade waterbodies zone / Wetland area-with aquatic Biomass Production System	अररिया	2796	2	2	0	4
16		बेगूसराय	1920	1	2	0	3
17		भागलपुर	2551	1	1	0	2
18		भोजपुर	2430	2	2	0	4
19		बक्सर	1711	2	2	0	4
20		दरभंगा	2507	2	2	0	4
21		गोपालगंज	2044	2	2	0	4
22		कटिहार	3048	2	2	0	4
23		खगरिया	1492	2	2	0	4
24		किशनगंज	1983	2	2	0	4
25		मधेपुरा	1797	2	2	0	4
26		मधुबनी	3499	2	2	0	4
27		मुजफ्फरपुर	3177	2	2	0	4
28		पूर्वी चंपारण	5243	2	2	0	4
29		पटना	3215	1	1	0	2
30		पूर्णिया	3219	2	2	0	4
31		सहरसा	1667	2	2	0	4
32		समस्तीपुर	2682	2	2	0	4
33		सारन	2660	2	2	0	4
34		शिवहर	442	1	1	0	2
35		सीतामढ़ी	2192	2	2	0	4
36		सिवान	2248	2	2	0	4
37		सुपौल	2418	2	2	0	4
38		वैशाली	1990	2	2	0	4
		कुल	94228	54	63	21	138

अतः विषयक संदर्भ में निदेशित करना है कि अपने–अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जैव विविधता पर्षद् द्वारा परिचालित सूची के अन्तर्गत अथवा आपके द्वारा पहचान किये गये किन्हीं अन्य उपयुक्त स्थलों का स्थलीय प्रेक्षण कर प्रारम्भिक प्रतिवेदन अपने वन संरक्षक तथा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को उपलब्ध कराते हुए इनकी प्रति बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् को आगामी दो माहों के अन्तर्गत प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाय।

अनु०–1. मार्गदर्शिका की प्रति।
2. विचारण हेतु सम्भावित स्थलों की सूची।

विश्वासभाजन

14/10/25

(प्रधान सचिव)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांकः– 4/जैव विविधता–01/2024 5546 /प०व०ज०प० पटना–15, दिनांकः– 16/10/25

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन बल प्रमुख)/निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण/पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/10/25

(प्रधान सचिव)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांकः– 4/जैव विविधता–01/2024 5546 /प०व०ज०प० पटना–15, दिनांकः– 16/10/25

प्रतिलिपिः– सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/10/25

(प्रधान सचिव)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार, पटना

वार्षिक
प्रतिवेदन , 2025-26

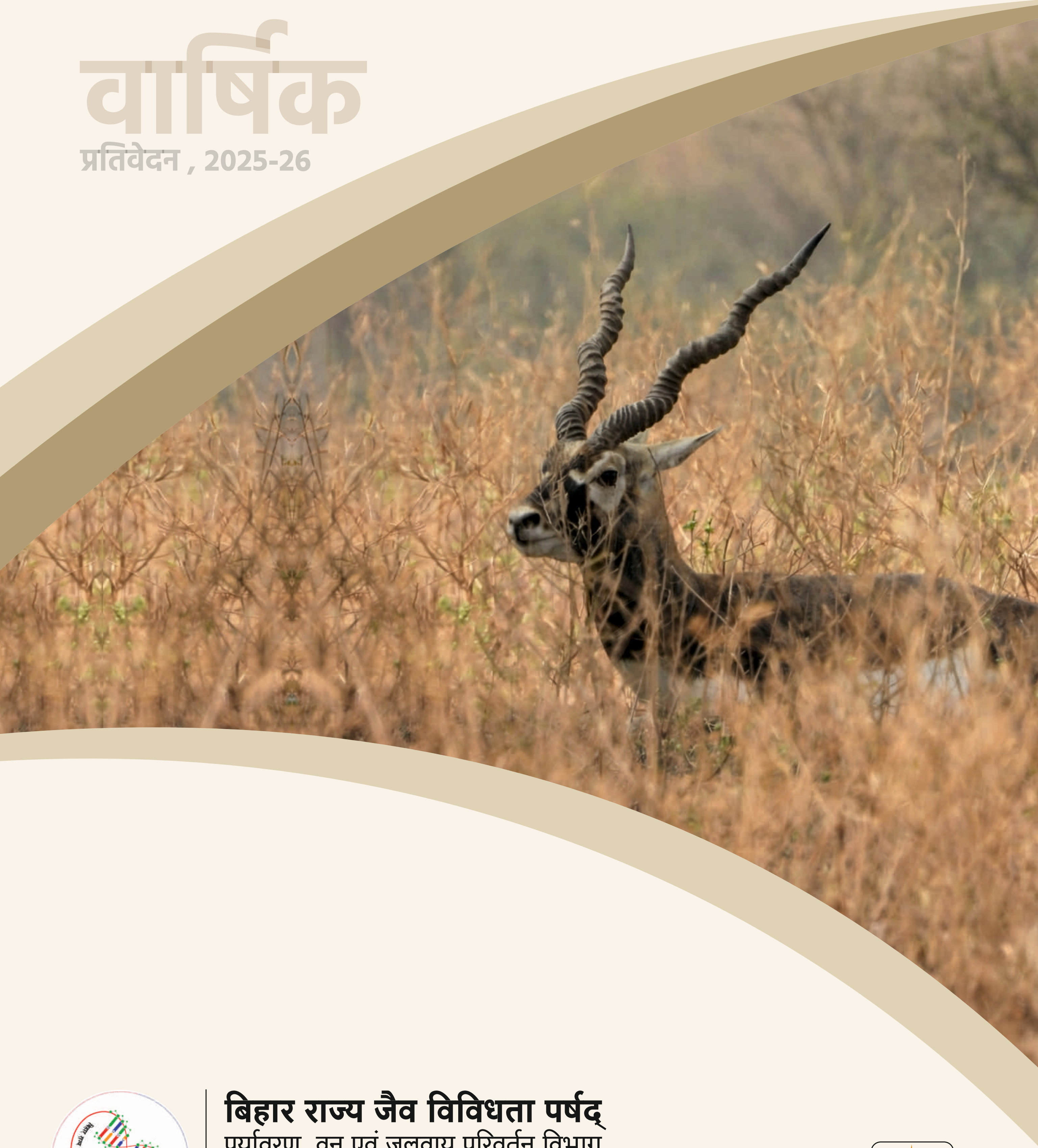

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

चतुर्थ तल, बिहार स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
कॉम्प्लेक्स, शास्त्री नगर, पटना-800 023

0612-2952412 bdbihar@bihar.gov.in https://bsbb.bihar.gov.in/

Diksha Art & Prints
+91-9431436534
ISO: 19001:2015